सत्यमेव जयते

उन्नति
UNNATI

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

दलित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए प्रवेशिका

जिसमें हर इन्सान को इन्सान बनाया जाए.....

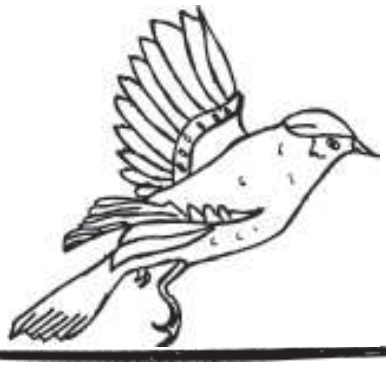

दलित
मानवाधिकार
कार्यकर्ताओं के
लिए प्रवेशिका

जिसमें हर इन्सान
को
इन्सान बनाया जाए .....

सत्यमेव जयते

उन्नति

उन्नति

UNDP

Empowered lives.
Resilient nations.

दलित
मानवाधिकार
कार्यकर्ताओं के
लिए प्रवेशिका

अनुक्रम

मानव अधिकार	1
मूलभूत अधिकार व समर्थक कानून	17
भारत में न्याय की व्यवस्था	29
अत्याचार के सम्बन्ध में तथ्य अन्वेषण	40
न्याय व्यवस्था का उपयोग	58

प्रस्तुति : उन्नति विकास शिक्षण संगठन, 2012

प्रथम संस्करण : 500 प्रतियाँ, 2012

लेखन : स्वप्नी शाह, तोलाराम चौहान

प्राप्ति स्थान :

उन्नति विकास शिक्षण संगठन

जी-1/200, आजाद सोसायटी, आंबावाड़ी

अहमदाबाद - 380 015

फोन : 079-26746145, 26733296

ई-मेल : psu_unnati@unnati.org

650, राधाकृष्णपुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास,

जोधपुर - 342 008

फोन : 0291-3204618

ई-मेल : jodhpur_unnati@unnati.org

कला निर्देशन : स्वप्नी शाह

चित्रांकन : मुकेश सिंह पंवार

ले-आउट : भारतसिंह भाटी (भामाशाह), 9252810340, 9269565900

मुद्रक : गंगा कम्प्यूटर्स ऑफसेट प्रिन्टर्स, जोधपुर

अस्वीकरण :

यह प्रवेशिका दलित मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की मानव अधिकार, समर्थक कानून व उसके उपयोग पर समझ बढ़ाने के आशय से तैयार की गई है।

इस प्रवेशिका के अवलोकन लेखक के हैं तथा भारत सरकार व यू.एन.डी.पी. के विचारों को प्रतिबिम्बित करें, यह जरूरी नहीं है।

प्रवेशिका में दी गई कानूनी जानकारी की परिशुद्धता के लिए मूल कानून पढ़ें।

इस पुस्तिका में वर्णित उदाहरण सत्य घटनाओं पर आधारित हैं परन्तु उनका उनका उपयोग सिर्फ समझ बढ़ाने की दृष्टि से हुआ है।

इस पुस्तिका में दिखाया मानचित्र पैमाने के अनुसार नहीं है।

कॉपीराइट © GOI - UNDP India 2012.

इस पुस्तिका का उपयोग जन शिक्षण के लिए गैर व्यावसायिक रूप से किया जा सकता हैं। कृपया यू.एन.डी.पी. व उन्नति का उल्लेख करें तथा हमें सूचित करें।

पृष्ठभूमि

एक न्यायिक समाज के लिए जरूरी है कि पुलिस तथा न्याय व्यवस्था असरकारक रूप से कार्य करें व जन सामान्य बिना डर के न्याय प्रक्रियाओं में जुड़ सकें। भारत में आज भी जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराईयां जड़े जमाए हैं। जाति आधारित भेदभाव सामाजिक अलगाव का मुख्य कारण बना हुआ है। यह हर रोज मानव अधिकारों के हनन व हिंसा में परिवर्तित होता है। प्रशासन व न्याय व्यवस्था कई बार ताकतवर की सराहना करते दिखते हैं और एक गरीब दलित को किसी अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में भी मुश्किलें होती हैं। कई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो पाते, मौखिक रूप से बताए गए दास्तान से अलग दर्ज होते हैं, अभियुक्त व्यक्तियों के नाम गायब हो जाते हैं या अत्याचार का वर्णन हल्का कर दिया जाता है। जमानत के बाद अभियुक्त शिकायतकर्ताओं को धमकाते हैं तथा सामाजिक – आर्थिक बहिष्कार भी होता है। अत्याचार निवारण कानून तो हैं, पर लागू नहीं होते। तमिलनाडु में पीपुल्स वॉच और आंध्रप्रदेश में साक्षी द्वारा कराए गए अध्ययनों के अनुसार अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपराध करने वालों को दोषी ठहराए जाने की दर एक प्रतिशत से भी कम है।

कानूनी व्यवस्था को दलितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है। साथ ही दलित समाज, दलित अधिकार कार्यकर्ता व दलित मुद्दों पर कार्य कर रहे अन्य लोगों को न्याय प्रक्रिया व उसके समुचित उपयोग की जानकारी जरूरी है। कानूनी प्रावधान व न्याय प्राप्त करने के लिए उसके उपयोग की प्रक्रिया पर सरल भाषा में समझ प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रवेशिका को बनाया गया है।

उन्नति विकास शिक्षण संगठन दलित, आदिवासी, महिला व विकलांग जैसे वंचित वर्गों के सामाजिक समावेश तथा सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है। पिछले 13 सालों में, पश्चिमी राजस्थान में दलित मानवाधिकार के मुद्दे पर कार्य करते हुए इस क्षेत्र विशेष पर हमारी समझ विकसित हुई है। संगठनात्मक कार्य व कानूनी मार्गदर्शन इस कार्य के महत्त्वपूर्ण भाग रहे हैं। लगभग 500 अत्याचार, घरेलू हिंसा, बलात्कार, कत्ल व जमीन अतिक्रमण के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए अधिकार व सामाजिक न्याय की विचारधाराओं, कानूनी प्रावधान तथा तथ्य अन्वेषण पर गहरी समझ बनी। खासकर यह समझ में आया कि एक गरीब दलित की न्याय तक पहुँच में किस प्रकार की रुकावटें आती हैं व उनका सामना कैसे किया जा सकता है।

इन्हीं छोटी–छोटी लेकिन महत्त्वपूर्ण बातों को इस प्रवेशिका का भाग बनाया गया है। आशा करते हैं कि यह प्रवेशिका वंचित वर्गों की न्याय तक पहुँच बढ़ाने व सामाजिक न्याय स्थापित करने की प्रक्रिया को तेजी देगी। इस प्रवेशिका का प्रकाशन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार तथा यू. एन. डी. पी. के जस्टिस इनोवेशन फन्ड के तहत एक्सेस टू जस्टिस फॉर मारजिन्लाइस्ड पीपुल प्रोजेक्ट के सहयोग से हुआ है। न्याय विभाग, यू. एन. डी. पी. तथा प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट टीम के हम आभारी हैं।

राजस्थान प्रोग्राम ऑफिस

उन्नति विकास शिक्षण संगठन

प्रवेशिका के बारे में

प्रवेशिका का आधार जमीनी अनुभव हैं। आम आदमी अक्सर यही सोचता है कि कभी पुलिस, कोर्ट, कचहरी के चक्कर में उसे न फँसना पड़े। वह इन्हें बहुत जटिल व अपनी समझ से परे मानता है। वह यह मानता है कि ये व्यवस्थाएँ ताकतवर की ताकत को बढ़ाती हैं तथा नि:सहाय की कोई सुनवाई नहीं होती। सरल भाषा में विचारधाराओं व प्रावधानों की बात कर, न्याय हासिल करने में आने वाली समस्याओं व उनके समाधान की बात कर, यह प्रवेशिका उपरोक्त धारणाओं को चुनौती देने की कोशिश कर रही है।

प्रवेशिका के पहले तीन अध्याय एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। पहले अध्याय में मानवाधिकार किसे कहते हैं, इसकी विचारधारा में कब किस प्रकार के परिवर्तन हुए तथा वह किस प्रकार समावेशी बनती गई, इसका विवरण है। महिला व दलित मानवाधिकारों की खास चर्चा है। दूसरे अध्याय में भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मूलभूत अधिकारों तथा उनका समर्थन करते कानूनी प्रावधानों की चर्चा है। तीसरे अध्याय में भारत के न्याय तंत्र तथा विविध जवाबदारियों की बात की गई है। विधिक सहायता के तंत्रों व सम्बन्धित प्रावधानों की खास चर्चा है।

चौथा अध्याय तथ्य अन्वेषण प्रक्रिया का गहराई से परिचय देता है। मानवाधिकार हनन के मामलों में तथ्य अन्वेषण सबसे पहला व महत्त्वपूर्ण चरण होता है और आगे की कार्यवाही का आधार बनता है। इस अध्याय का केन्द्र गैर दलित द्वारा दलित वर्ग के व्यक्ति पर किया गया अत्याचार है। तथ्य अन्वेषण के प्रकाशनों में यह केन्द्र नहीं मिलता है। तथ्य अन्वेषण के अनुभवों के विश्लेषण से व्यावहारिक समझ बनाने की कोशिश की गई है।

पाँचवे तथा अंतिम अध्याय में न्याय की प्राप्ति के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है तथा अक्सर जिनमें आम आदमी मुश्किलों का सामना करता है, उनकी जानकारी है।

यह प्रवेशिका मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए है पर कोई भी जागरूक नागरिक इसका उपयोग कर सकता है। प्रवेशिका एक साथ अथवा टुकड़ों में पढ़ी जा सकती है तथा जरूरत के आधार पर योग्य हिस्सों को दोहराया जा सकता है। रुचि के आधार पर अन्य प्रकाशनों से विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।

प्रवेशिका आपराधिक न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के मुद्दे महत्त्वपूर्ण होते हुए भी इसकी परिधि से बाहर हैं।

1. मानव अधिकार

ऐतिहासिक रूप से 'अधिकार' व 'मानव अधिकार' का जुड़ाव नहीं था। सत्ताधिकारियों के ज्यादा अधिकार होते थे। राजा के अधिकार प्रजा से ज्यादा, युद्ध में जीतने वाले राष्ट्र के अधिकार हारने वालों से ज्यादा, पुरुषों के अधिकार महिलाओं से ज्यादा वगैरह। इतिहास में हर जगह मानव गरिमा के लिए लड़ाई ने ही मानव अधिकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। अधिकार के आधार नैतिक अथवा कानूनी या दोनों हो सकते हैं।

मानव अधिकार के संदर्भ में अधिकार तभी अधिकार हैं जब उसे बचाने की जिम्मेदारी तथा हनन की स्थिति में न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है तथा मानव होना ही उस अधिकार को हासिल करने का एकमात्र कारण व शर्त है। इस परिभाषा से मानव अधिकार के नैसर्गिक नियम होने की विचारधारा स्पष्ट होती है। मानव अधिकार के लिए जुंबिश का हर एक कदम जन सामान्य को इसकी प्रक्रिया से जोड़ता है। अत: ये लोकतंत्र के विकास से जुड़ाव रखता है। इनके बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।

मानव अधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धान्त

मानव अधिकारों के पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं, जिन्हें मानव अधिकार सम्बन्धित सभी मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन व दस्तावेज मानते हैं।

अविभाज्यता – मानव अधिकार बांटे नहीं जा सकते। एक व्यक्ति की गरिमा का पूरी तरह आदर तब तक सम्भव नहीं है जब तक उसे सारे अधिकार उपलब्ध न हों। मानव अधिकारों की लड़ाई के शुरूआती दौर में नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर जोर रहा। धीरे–धीरे मानव के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर कुछ न्यूनतम स्तर तय हुए जिन्हें हर राज्य के लिए हासिल करना जरूरी था।

मानव अधिकारों के पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त

सर्वव्यापकता – मानव अधिकार सर्वव्यापक हैं। अत: यह जरूरी हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इसे वैश्विक स्तर पर न्यायिक, समान व एक ही नजरिए से देखे। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विशेषताओं को तथा विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भी, मानव अधिकारों व मूल स्वतंत्रताओं को बचाना व आगे बढ़ाना सभी राज्यों की जवाबदारी है, चाहे उनकी कोई भी राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था हो। मानव अधिकारों का आदर, बढ़ावा, बचाव व प्रदान करना राज्यों तथा सरकारों की जिम्मेदारी है।

सार्वभौमिकता – मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं। ये कुछ समूह विशेष के लिए नहीं हैं; अपितु राष्ट्रीयता, दर्जा, लिंग, वर्ण के दायरे से बाहर हर व्यक्ति को समान व भेदभाव रहित आधार पर उपलब्ध हैं।

नैसर्गिकता – मनुष्य होने के कारण मानव अधिकार प्राप्त हैं। अत: सरकार द्वारा ये अधिकार दिए या बख्शे जाने की बात नहीं आती। इसी सिद्धान्त के अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके अधिकारों को छोड़ने या ले लिए जाने की स्वीकृति देने की सम्भावना उत्पन्न नहीं होती।

वैधता – मानव अधिकार कानून द्वारा लागू हैं। कानूनी सिद्धान्तों व न्याय व्यवस्था के द्वारा मानव अधिकारों के सम्बन्ध में न्याय सम्भव है तथा उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हासिल किया जा सकता है।

हर मानव अधिकार के साथ राज्य की जवाबदारी जुड़ी है जो मुख्यत: तीन प्रकार से विभाजित की जाती है:

आदर – राज्यों को मानव अधिकार के मानकों का आदर करना है। लोगों को खुद को शिक्षित करने से रोका नहीं जा सकता, अन्याय को बर्दास्त नहीं किया जा सकता व किसी पर अत्याचार नहीं किया जा सकता है।

बचाव – जीवन की गुणवत्ता को कम करने वाले कृत्यों को होने से रोकने की जवाबदारी राज्य की है।

सुनिश्चित करना – अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सकारात्मक प्रयास करने हैं जैसे – शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना, अत्याचार की स्थिति को रोकना वगैरह।

राज्य की जवाबदारी समझने के लिए उदाहरण

स्वास्थ्य का अधिकार

आदर	बचाव	सुनिश्चित करना
– किसी भी व्यक्ति – बंदी, अल्प संख्यक, महिला, बच्चे को कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं नकारना – भेदभाव युक्त प्रथाओं को राज्य नीति के रूप में लागू करने से परहेज करना – स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को नियंत्रित करना, दबाना या जानबूझ कर गलत बताने से परहेज – स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लोगों की भागीदारी रोकने से परहेज करना – दण्डात्मक तौर पर स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँच रोकने से परहेज करना	– ऐसे प्रावधान बनाना जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं तक बराबरी की पहुँच सुनिश्चित हो – सुनिश्चित करना कि निजीकरण से स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, स्वीकृति तथा गुणवत्ता को किसी प्रकार का खतरा न हो – सुनिश्चित करना कि सभी स्वास्थ्यकर्मी शिक्षा, कौशल व नैतिक व्यवहार के नियम संबंधित मानकों का समुचित पालन करें – भेदभावयुक्त परम्परागत प्रथाओं से महिलाओं को बचाना	– राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति व विधिक ढाँचे का निर्माण – समुचित स्वास्थ्य संभाल के लिए संसाधन निर्धारित करना – संक्रामक रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षण व स्वास्थ्य संभाल उपलब्ध कराना – पौष्टिक आहार, स्वच्छ पानी, साफ–सफाई व उपयुक्त आश्रय उपलब्ध करवाना – उपयुक्त अस्पताल व स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना

आभार : एक्सनएड रिसोर्स बुक 'अ ह्यूमन राईट्स अप्रोच टू डेवेलपमेन्ट'

मानव अधिकार का विकास

मानव अधिकार के विकास के तीन चरण माने जाते हैं। जॉन लॉक ने इस विचारधारा का विकास किया कि मनुष्य होने के कारण आदमी के कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं जिन्हें न ही राज्य उनसे छीन सकता है और न ही जिन्हें वे खुद से अलग कर सकते हैं। यही विचार 1776 के अमरीकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा में उजागर होता है। फ्रांस के नागरिक के अधिकारों की उद्घोषणा में तथा कानूनी रूप से बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी ये विचार प्रतिबिंबित होते हैं। मानवाधिकारों के बुनियादी घोषणा पत्र की सर्वप्रथम झलक मैग्नाकार्टा (सन् 1215 का इंग्लैंड का प्रसिद्ध आज्ञापत्र) में मिलती है।

मानव अधिकार के इतिहास का द्वितीय चरण तब माना जाता है जब विचारधारा से बाहर निकल इन पर प्रयोग की कार्यवाही शुरू हुई। उत्तरी अमरीका के तेरह राज्यों द्वारा अधिकारों की घोषणा व फ्रांस की जनक्रांति इसकी शुरूआत मानी जाती है। तीसरे चरण की शुरूआत 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा (यू. डी. एच. आर.) से समझी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बाहर आए यहूदी समुदाय पर हुए जुल्म ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को लेकर विश्व की आँखें खोलीं तथा संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौमिक अधिकारों की उद्घोषणा की। इससे मानव अधिकारों को सार्वभौमिक सकारात्मक अधिकार के रूप में देखा गया। यह घोषणापत्र औपचारिक रूप से सभी राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा होने के नाते सभी देशों की राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित करती है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार व्यवस्था का आधार माना जाता है। मानव अधिकार घोषणा के बीस वर्ष बाद सन् 1968 को अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष के रूप में मनाया गया। तब से दिसम्बर 10 मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। घोषणापत्र में 30 अनुच्छेद हैं जिनका विस्तार बाद में हुई अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, क्षेत्रिय मानवाधिकार व्यवस्था, राष्ट्रीय संविधानों और कानूनों में हुआ है। घोषणा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार शामिल थे।

सन् 1966 में नागरिक व राजनीतिक अधिकारों तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अलग सन्धियाँ हुई जो सन् 1976 से लागू हुईं। इन सन्धियों को अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल के नाम से जाना जाता है। इसमें दुख

और अभाव से मुक्ति को लोगों की सर्वोच्च अभिलाषा के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन् 1986 में विकास के अधिकार के घोषणापत्र को अपनाया गया। इसमें आर्थिक विकास की प्रक्रिया को न्यायसंगत, समतापूर्ण, भागीदारीयुक्त, उत्तरदायी व पारदर्शी बनाने की बात की गई। इसमें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवनस्तर के अधिकारों का समावेश है। मानव विकास का अर्थ है स्वतंत्रता का विस्तार और लोगों का अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार। यह तभी सम्भव है जब इसमें आने वाली बाधाओं जैसे भूख, कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता और आर्थिक असुरक्षा को दूर किया जाए।

मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र के 30 अनुच्छेदों का विवरण

मानव अधिकार सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, न कि कुछ लोगों का। घोषणा पत्र के अंतर्गत नागरिकता तथा राजनीतिक अधिकार (जैसे जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, निष्पक्ष न्याय का अधिकार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार (जैसे व्यक्तित्व विकास का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार तथा जीवनयापन का अधिकार) तथा मानव अधिकारों की स्थापना के लिए बृहद संरक्षणात्मक ढांचे का उल्लेख किया गया है।

1. सभी मानव स्वतंत्र व समान गरिमा व अधिकार के साथ जन्मते हैं। उनमें तर्क शक्ति व विवेक होता है। अत: एक-दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार जरूरी है।
2. धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, राजनीति या विचारों के कारण घोषणा में सम्मिलित किसी भी अधिकार या स्वतंत्रता में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
3. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने, स्वतंत्र रहने और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।
4. किसी को गुलाम नहीं रखा जाएगा।
5. किसी को शारीरिक यातना या अमानवीय दंड नहीं दिया जाएगा।
6. कानून के समक्ष हर जगह एक व्यक्ति के रूप में पहचान;
7. कानून के समक्ष समानता तथा बिना भेदभाव के कानूनी रक्षा का अधिकार;
8. संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक उपचार का अधिकार;
9. किसी को मनमाने ढ़ंग से गिरफ्तार, नजरबंद और देश निकाला नहीं दिया जाएगा;
10. निष्पक्ष न्याय का अधिकार;
11. दोष सिद्ध होने तक आरोपी को निर्दोष माने जाने का हक है।

12. किसी के मान-सम्मान या निजी जिन्दगी पर कोई आक्षेप नहीं किया जाए।
13. प्रत्येक व्यक्ति को देश की सीमा में कहीं भी आने-जाने व बसने का हक है।
14. सताये जाने पर दूसरे देश में शरण लेने का हक है।
15. सभी को राष्ट्रीयता का अधिकार है। मनमाने ढंग से राष्ट्रीयता छीनी नहीं जा सकती न ही किसी को राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
16. बालिग स्त्री, पुरुषों को किसी भी जाति, धर्म में विवाह करने का अधिकार है।
17. किसी को भी मनमाने ढ़ंग से उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
18. प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक रूप से स्वतंत्र है; सभी को विचार तथा विवेक की स्वतंत्रता है।
19. विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता;
20. सभा करने और समिति बनाने का हक;
21. देश के संचालन में भाग लेने का सभी को हक; अपने देश में सार्वजनिक सुविधाओं को समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार है। लोगों की इच्छा सरकार की सत्ता का आधार होगा।
22. समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा व अपना व्यक्तित्व विकास करने का हक;
23. बिना भेदभाव के काम व समान वेतन पाने का हक;
24. आराम करने व अवकाश लेने का हक;
25. जीवनयापन हेतु भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा व सेवाएँ प्राप्त करने का हक;
26. अनिवार्य व नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा;
27. सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने, वैज्ञानिक उन्नति तथा उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक;
28. सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की प्राप्ति का हक;
29. हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए कानून द्वारा निश्चित सीमाओं का ध्यान रखें;
30. घोषणा में निहित अधिकारों का अर्थ इनके विरूद्ध न लगाया जाए।

मानवाधिकारों की पीढ़ियाँ

कई सन्दर्भों में पीढ़ियों के आधार पर अधिकारों का विभाजन किया जाता है।

पहली पीढ़ी – इनको 'आसमानी' अधिकार भी कहते हैं। ये मूल रूप से नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार हैं। ये अधिकार ज्यादातर व्यक्तिगत हैं। राज्य से व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। इसमें मुख्यत: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उचित न्याय का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता तथा मत देने का अधिकार है। इनकी शुरूआत अंग्रेजी राज्य में सन् 1215 में 'मॅग्नाकार्टा' घोषणा द्वारा हुई थी। 1976 के युनाईटेड स्टेट अधिकार विधेयक तथा 18वीं सदी में फ्रांस का 'मानव तथा नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र' इसके महत्त्वपूर्ण पदचिह्न हैं। 1948 में मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तथा 1966 के अंतरराष्ट्रीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्मेलन से ये पहली बार वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बने। इनसे मुख्य रूप से यह विदित होता है कि सरकार को नागरिकों के जीवन में दखल नहीं देना है।

दूसरी पीढ़ी – इनको 'लाल' अधिकार भी कहते हैं। ये मूलभूत रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हैं। इनका उद्‌भव दूसरे विश्वयुद्ध के बाद हुआ। ये अधिकार सभी नागरिकों को समान अवसर तथा व्यवहार की गारंटी देते हैं। इनमें व्यवसाय का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मुख्य हैं। 1954 में अमेरिका में प्रेसिडेन्ट फ्रेंकलीन रूझवेल्ट द्वारा पहली बार इन अधिकारों को प्रस्तावित किया गया। वर्तमान में कई देशों द्वारा इन अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है जैसे यूरोपीयन सामाजिक चार्टर। ये अधिकार सरकार की जिम्मेदारी हैं, पर उपलब्ध संसाधन भी इनकी सुनिश्चितता तय करते हैं। सामाजिक न्याय के लिए कार्य करना राज्य की जिम्मेदारी समझी गई है।

तीसरी पीढ़ी – इनको 'हरा' अधिकार भी कहते हैं। ये नागरिकता तथा सामाजिक अधिकारों से आगे की बात करते हैं। इनका उल्लेख कई अन्तर्राष्ट्रीय कानून में है, जैसे 1978 का स्टॉक होम घोषणा पत्र, 1992 का रिओ घोषणा पत्र। ये अधिकार ज्यादातर अनौपचारिक रहे हैं, जिनमें मुख्यत: प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार तथा जानकारी के अधिकार हैं।

मनुष्य की समझ में इजाफे के साथ-साथ मानव अधिकार भी लगातार बढ़ रहे हैं। नई उद्‌घोषणाओं की भाषा ज्यादा समावेशी है। सर्वप्रथम महिलाओं व श्रमिकों का

जुड़ाव स्पष्ट हुआ। धीरे-धीरे अन्य समूहों के मुद्दों को भी जगह मिली। मानव अधिकारों की अनुपालना के लिए कई संधियाँ व करार हुए हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से मान्यता देने वाले राज्यों पर बाध्यकारी हैं। मानव अधिकार अनुपालना के मानकों की संख्या 700 से भी ज्यादा है। जातिसंहार (जेनोसाईड) के अपराध से बचाव व सजा, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति, बालकों के अधिकार, सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कुछ मुख्य मानक कह सकते हैं।

मानव अधिकार समय - सारणी (बीसवीं सदी तक)

1679 बन्दी प्रत्यक्षीकरण : एक अंग्रेजी कानून जिसने व्यक्ति को स्वतंत्रता व मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और दण्ड से रक्षण प्रदान किया।

1689 अधिकारों का विधेयक (बिल ऑफ राइट्स): इन अधिकारों की घोषणा से अंग्रेजी राज्य में याचिका देने, मतदान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व न्यायिक कार्यवाही की गारंटी मिली।

1776 युनाइटेड स्टेट्स स्वतंत्रता की घोषणा : 'जीवन के अधिकार' की पहली पुष्टि हुई जो बीसवीं सदी में पुनः प्रकट हुई। यह तथ्य स्थापित हुआ कि सत्ता शासित की सहमति पर आधारित है।

1789 फ्रांस में मानव तथा नागरिक के अधिकारों की घोषणा में सर्वत्रता का दावा था व यह इस प्रकार की सभी घोषणाओं का आदर्श माना जाता है।

1791 महिला व नारी नागरिक के अधिकारों की घोषणा का मसौदा ओलिम्पे डी गोजीस

ओलिम्पे डी गोजिस - ''यदि महिलाएँ फाँसी खा सकती है, तो मंच भी पा सकती हैं''

द्वारा तैयार किया गया जिसमें 1789 की घोषणा को महिलाओं के लिए लागू करने की बात की गई ।

1793 मानव तथा नागरिक के अधिकारों की घोषणा जिसमें अश्वेतों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, यह प्रस्थापित हुआ। पहली बार आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की बात हुई – शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, सहायता का अधिकार। मानव अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में 'विद्रोह के अधिकार' की बात की गई।

1848 दूसरे फ्रॉंसीसी गणराज्य का संविधान : राज्य के सामाजिक जवाबदारियों की पुष्टि, नागरिकों द्वारा अधिकारों का दावा, जुड़ने व एकत्र होने की स्वतंत्रता, सभी के लिए मताधिकार, कॉलोनी में दास प्रथा समाप्ति, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा वगैरह इसके मुख्य पहलू रहे।

1863 स्विट्जरलैंड में हेनरी ड्यूनन्ट द्वारा रेड क्रॉस की अन्तर्राष्ट्रीय समिति का गठन : युद्ध में घायल की रक्षा पर जेनोवा में पहली सभा (1929 में इसमें युद्ध के बंदियों को भी शामिल किया गया)

1920 राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और शांति व सुरक्षा की गारंटी के लिए राष्ट्रों के संघ की उत्पत्ति।

1924 बालकों के अधिकारों की घोषणा – इस प्रकार की यह पहली अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा थी।

1945 संयुक्त राष्ट्र का सनद (चार्टर) जिनसे मानव अधिकारों व मूल स्वतंत्रताओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित किया गया।

1945 युनेस्को का गठन

1946 न्यूरेमबर्ग ट्रायल : नाजी नेताओं की अन्तरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई तथा दोष सिद्धि

1948 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा – नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों का संयोग

1950 मानव अधिकारों व मूल स्वतंत्रताओं के रक्षण पर यूरोपीय सम्मेलन

1952 महिला के राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र)

1965 सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव की समाप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र)

1971 'फ्रांसीसी डॉक्टर' मानवतावादी आन्दोलन की शुरूआत

1976 1948 की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का आदर सुनिश्चित करने के लिए दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र

1972 जातीयता के खिलाफ फ्रॉंसीसी कानून

1974 राज्यों के आर्थिक अधिकारों व जिम्मेदारियों पर अन्तर्राष्ट्रीय सनद

1979 महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र) – महिला पुरुष समानता के लिए परिवार एवं समाज में पुरुष की पारम्परिक भूमिका में बदलाव की जरूरत की पुष्टि हुई।

महिला पुरूष समानता के लिए परिवार एवं समाज में पारम्परिक भूमिका में बदलाव की जरूरत

1984 यातना की रोकथाम पर अन्तर्राष्ट्रीय सभा

1988 सहायता लेने के अधिकार को मान्यता (आपदा की स्थिति में)

1990 बालकों के अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सभा

1990 मानवतावादी कॉरीडोर की जरूरत को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा का प्रस्ताव

1991 मध्यस्थी के अधिकार को पहली बार आधार मिला (इराक के उदाहरण से)

1992 मानवतावादी सहायता की रक्षा के लिए बल प्रयोग को मान्यता (बॉसनिया – हरजेगोविना के उदाहरण में)

1998 स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय की स्थापना

आभार : एक्सनएड द्वारा प्रकाशित रिसोर्स बुक 'अ ह्यूमन राईट्स अप्रोच टू डेवेलपमेन्ट'

महिला मानवाधिकार

आज भी मानवाधिकार के हनन के दूसरे मामलों की वनिस्पत हर दिन ज्यादा महिलाएँ व लड़कियाँ लिंग आधारित भेदभाव व हिंसा के कारण मृत्यु का भोग बनती हैं। कई अत्याचार जैसे – प्रताड़ना, जलाना, यौनाचार के लिए खरीद-बेच महिलाओं के साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वे महिला हैं।

मानवाधिकार उद्घोषणा हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा सम्मान का अधिकार प्रदान करता है। फिर भी महिलाओं के लिए ये अधिकार कागजी रहे हैं। इसके कई कारण रहे हैं जिनमें व्यवस्थाजन्य महिलाओं के निम्न स्तर का होने की समझ, इस समझ को मानव अधिकार का हनन न मानना व समाज तथा सरकार की अनिच्छा शामिल हैं। शुरूआत से ही मानवाधिकार के लिए काम कर रहे समूहों में

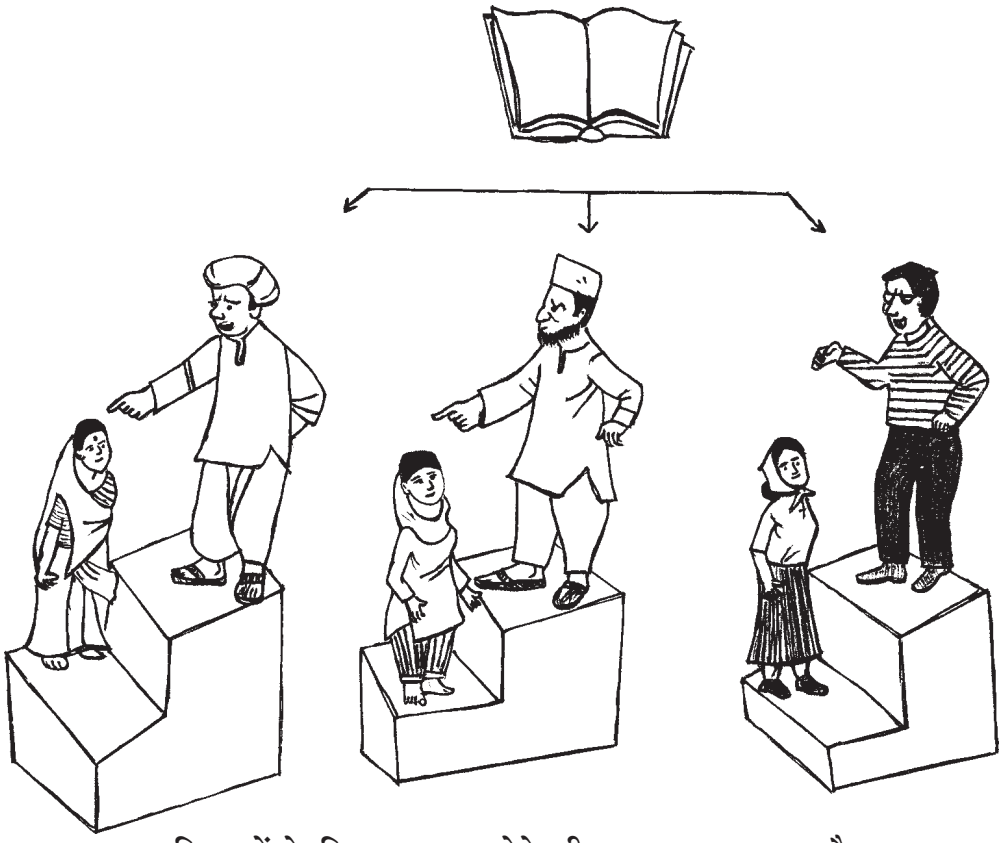

महिलाओं के निम्न स्तर का होने की समझ व्यवस्थाजन्य है

भी महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने की अनिच्छा रही। इन सभी बातों के कारण महिला अधिकारों की मानव अधिकारों में पहचान के लिए लड़ाई लम्बी व कठिन रही है। दो दशक पहले जब महिलाओं ने समानता और सम्मान को पाने की लड़ाई में मानवाधिकारों का सहारा लिया, तभी से महिलाओं के वैश्विक एजेन्डा में मानवाधिकार मुख्य मुद्दा बना। इस लम्बी कशमकश के उपरान्त, विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की कार्यसूचि में महिला मानव अधिकार के समावेश के लिए 1993 में वियेना में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कॉन्फ्रेन्स का आयोजन हुआ। वियेना उद्घोषणा व उसके कार्य आयोजन में महिलाओं का स्पष्ट उल्लेख है तथा उनके खिलाफ अत्याचार को मानव अधिकार हनन की श्रेणी में रखा गया है। हालाँकि इसमें जोर राज्य की जवाबदारियों पर रहा है और नागरिकों द्वारा हनन अछूता रहा है। महिलाओं की यौनिक दासता से जुड़े मुद्दे मानव अधिकार हनन के दायरे से बाहर ही रहते आए हैं। कई बार संस्कृति व धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ कई प्रकार की असमानता, भेदभाव व दबाव वाले कार्य होते हैं जिन्हें मानव अधिकार की परिधि में लाने की खिलाफत होती रही है।

संस्कृति व धर्म के नाम पर असमानता

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों में स्त्रियों के अधिकारों का उल्लेख

- स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव के सभी प्रारूपों की समाप्ति पर सम्मेलन
- स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों पर सम्मेलन
- विवाहिता स्त्रियों की राष्ट्रीयता पर सम्मेलन
- विवाह के लिए न्यूनतम आयु की सहमति तथा विवाह के पंजीयन पर सम्मेलन
- दासता, दास व्यापार तथा दासता के समान प्रथा तथा संस्था के उन्मूलन पर पूरक सम्मेलन
- शरीरों के दुर्व्यापार व वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन के लिए सम्मेलन
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अभिस्वीकृत – भूमिगत विश्व स्त्री सम्मेलन 1935, कार्य करने का अधिकार महिला सम्मेलन 1948, समान पारिश्रमिक सम्मेलन 1951, रोजगार में भेदभाव तथा अधिभोग सम्मेलन 1958, पारिवारिक दायित्व के साथ कर्मकार सम्मेलन 1981

भारत में सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचा सामाजिक अलगाव को कठोर बनाता है

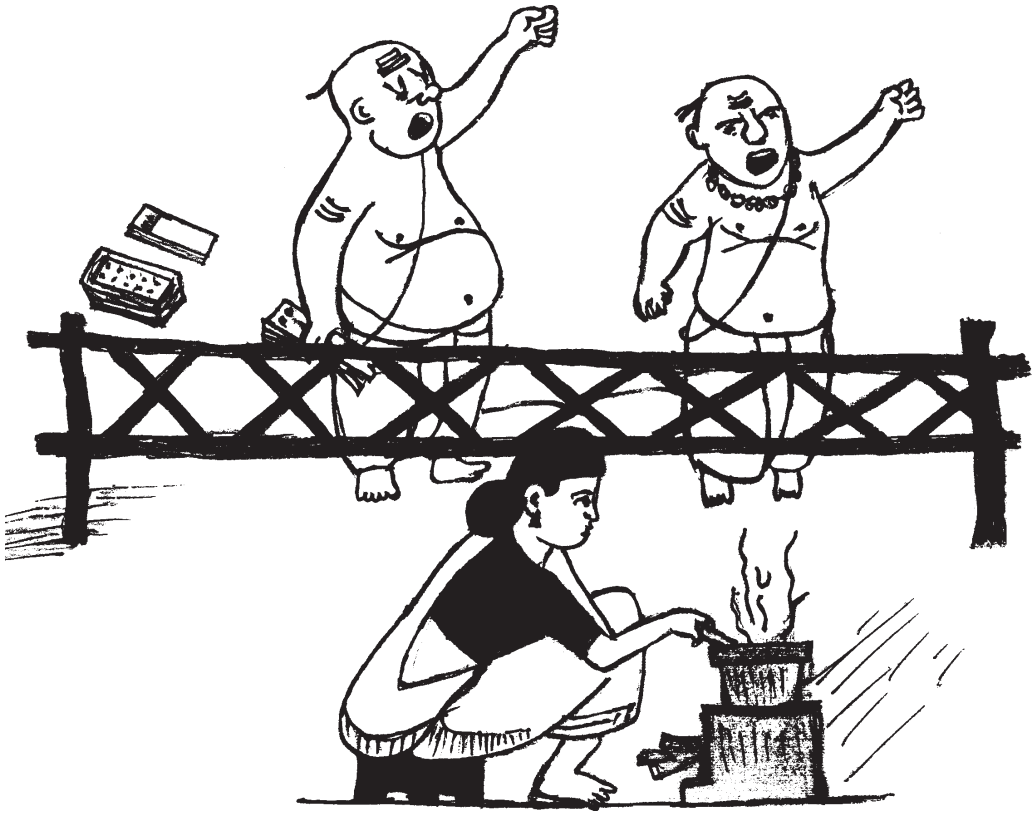

भारत में सदियों से वर्ण व्यवस्था सामाजिक तथा आर्थिक ढ़ाँचे का आधार रही है। इस व्यवस्था में निहित पवित्रता व अशुद्धता की विचारधारा ने जाति आधारित भेदभाव तथा सामाजिक अलगाव को इतना कठोर बनाया है कि स्वतंत्रता के छह दशक बाद भी ये सामाजिक बुराइयाँ कायम हैं। सामाजिक अलगाव एक सर्वविदित तथ्य है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्रांस में सन् 1970 में हुआ था। हालाँकि वर्ण आधारित सामाजिक अलगाव भारत में अनूठा है।

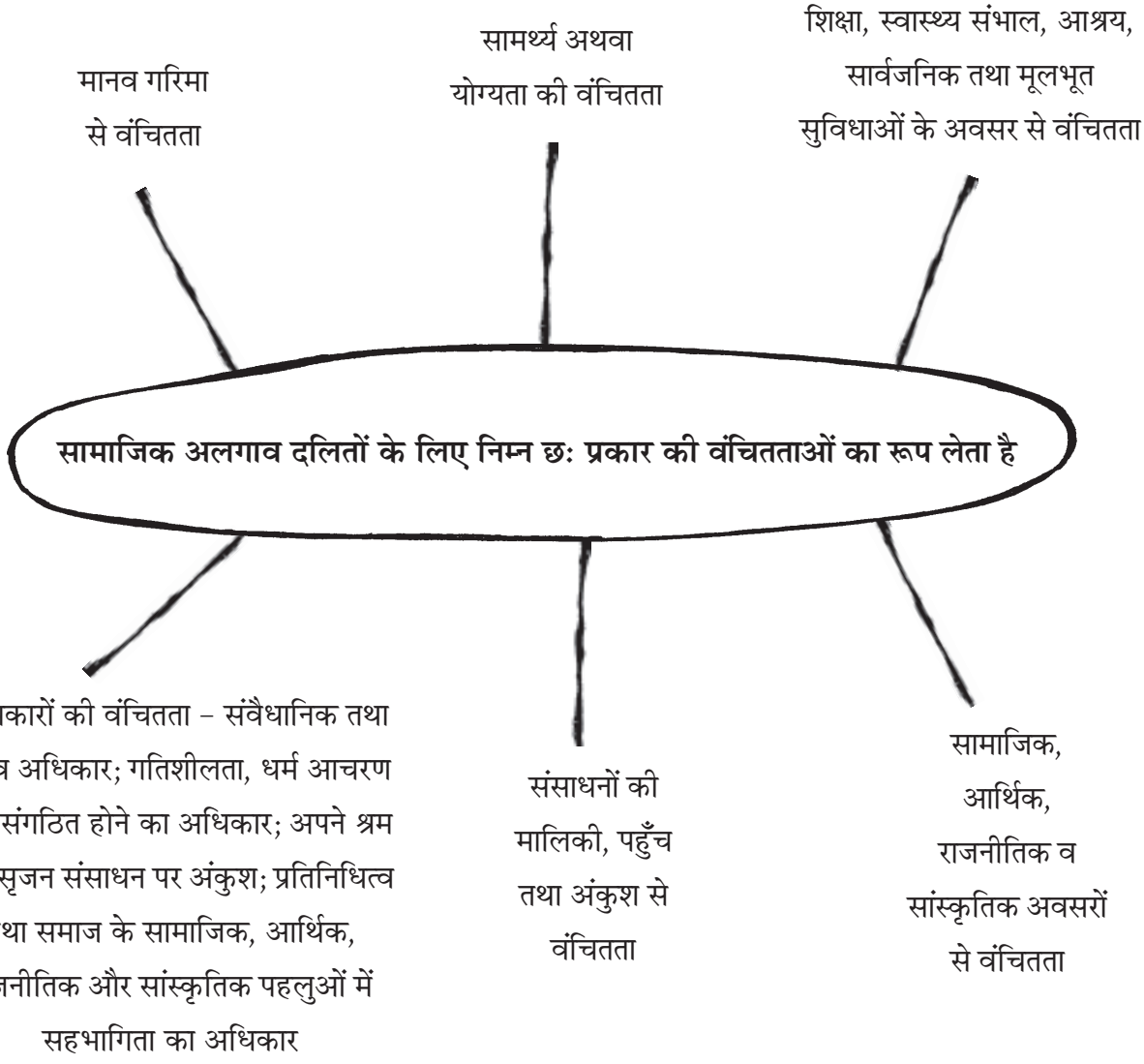

आज यह मान लिया गया है कि सामाजिक अलगाव सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सबसे बड़ा बाधक है। इस कुप्रथा के खिलाफ सदियों से आवाजें उठी हैं।

शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, खुद पर विश्वास रखो।

1920 के दशक की शुरूआत से वर्ण व्यवस्था के खिलाफ तथा दलित समाज के मानवाधिकार के सहयोग में कई सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आन्दोलनों की शुरूआत हुई। इनका प्रभाव हमारे संविधान पर दिखा जिसे सन् 1950 में अपनाया गया। संविधान को लिखने वाली समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को इसके कई प्रावधानों का श्रेय जाता है तथा वे भारत में दलित आंदोलन की सूरत माने जाते हैं।

पारम्परिक सामाजिक क्रम को तोड़, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की स्थिति में बदलाव लाने के लिए संविधान में त्रिधारी रणनीति उपयोग हुई है – समानता लागू करने तथा असमर्थता दूर करने के लिए रक्षण, क्षतिपूर्ति के लिए सकारात्मक भेदभाव तथा विकास के लिए संसाधनों का निर्धारण तथा लाभों का वितरण।

दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या करें

- भारत द्वारा अनुसमर्थित मानव अधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर खुद की संस्थागत व कार्यक्षेत्र में समझ बनाएँ।
- मानव अधिकार के विकास के इतिहास का प्रेरणास्वरूप उपयोग करें।
- समाज के साथ विश्लेषण कर जाति व जेन्डर आधारित भेदभाव से उत्पन्न वंचितता व अलगाव की समझ बनाएँ तथा अधिकारों से जोड़कर उन पर कार्यवाही की रणनीति बनाएँ।

2. मूलभूत अधिकार व समर्थक कानून

मानवाधिकारों के प्रति भारत की निष्ठा संविधान के विविध प्रावधानों में दिखती है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 30 में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का स्पष्ट स्थान है। मूलभूत अधिकार वे होते हैं जिनके बगैर एक समुचित जीवन जिया नहीं जा सकता है। इन अधिकारों का उल्लंघन करे, ऐसा कोई कानून सरकार भी नहीं बना सकती है।

मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 14 से 18 हर नागरिक को सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ इसलिए अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह गरीब या अमीर है, शक्तिशाली या कमजोर है, महिला है या पुरुष है या किसी विशेष जाति का है।

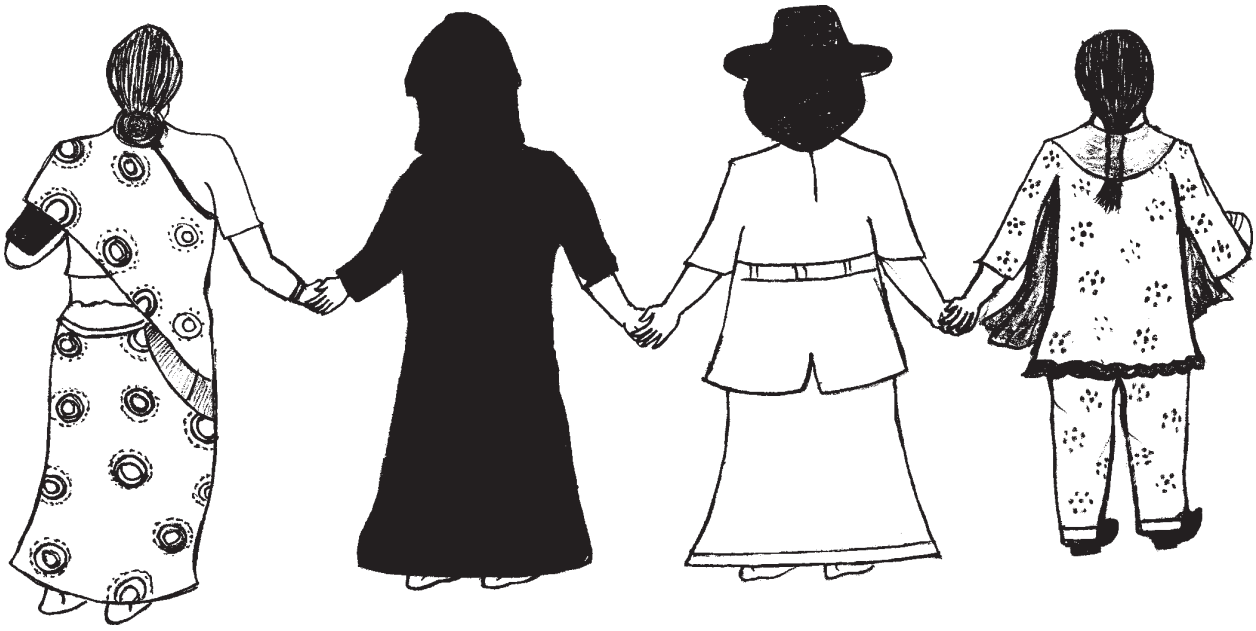

अनुच्छेद 15 – किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 16 – राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी को अवसरों की समानता होगी। धर्म, वंश, जाति, उद्‌भव, जन्म स्थान, निवास पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता समाप्ति की बात की गई है। अस्पृश्यता के कारण किसी को अयोग्य घोषित करना दण्डनीय अपराध है।

अनुच्छेद 18 – सभी उपाधियों का अंत किया गया है। सेना या शिक्षा सम्बन्धी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी और विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद, राष्ट्र की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 19 से 22 नागरिक की वाक् तथा जीवन स्वातंत्र्य के अधिकार से सम्बन्धित हैं।

अनुच्छेद 19 – सभी नागरिकों को बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की, संगम या संघ बनाने की तथा भारत में कहीं भी निर्बाध आने-जाने अथवा निवास करने की स्वतंत्रता है। हर नागरिक कोई भी आजीविका अपनाने या कारोबार करने के लिए स्वतंत्र है। इन स्वतंत्रताओं पर रोक तभी लग सकती है जब वे देश की शांति व अखण्डता को भंग करती हों अथवा सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के खिलाफ हों। अत: लोग संगठन बना सकते हैं, सामूहिक विरोध व हड़ताल कर सकते हैं, सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं और सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 20 – यह अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करता है। एक व्यक्ति प्रवृत्त विधि के अनुसार ही दोषी ठहराया जा सकता है तथा उसे कानून में लिखे अनुसार ही सजा दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अभियुक्त को स्वयं के विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21 – हर नागरिक को जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 22 – गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण से अवगत होने,

विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। कुछ संयोगों को छोड़कर, गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना जरूरी है।

अनुच्छेद 23 और 24 नागरिक को शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान करते हैं जिनमें मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम व बाल मजदूरी शामिल हैं।

अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बन्धित हैं। ये हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता देते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धित हितों का संरक्षण करते हैं। अनुच्छेद 32 अन्य अधिकारों के रक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है।

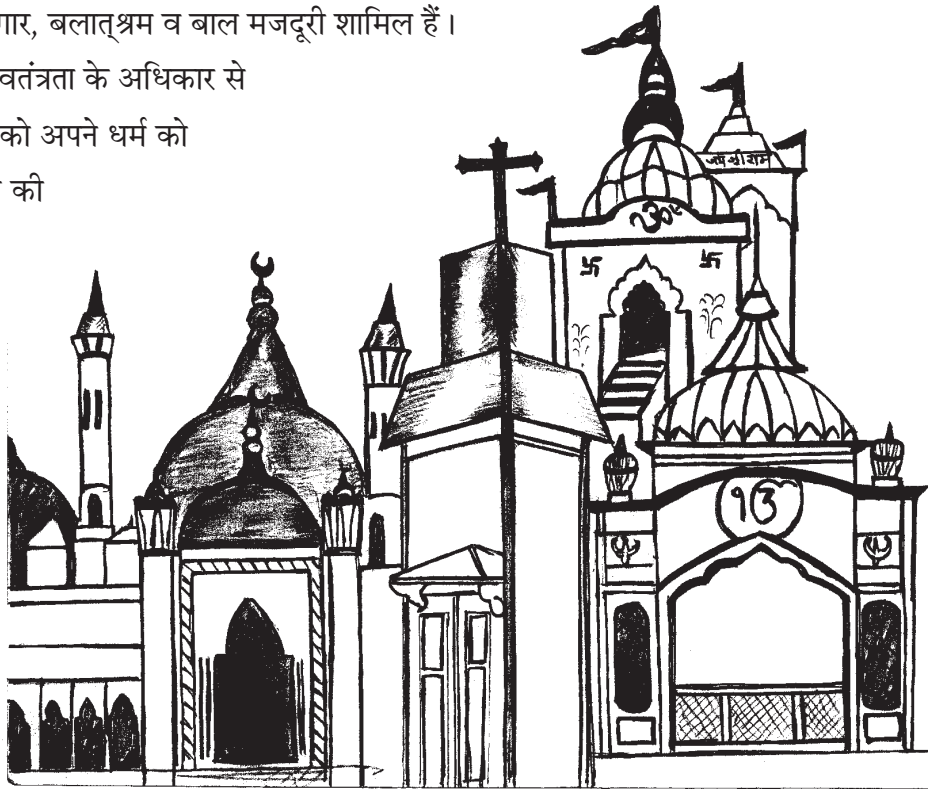

भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय मानक

मानवाधिकार की सार्वभौमिक उद्घोषणा 1948
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सभा 1966
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सभा 1966
सभी प्रकार के जातीय भेदभाव उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय सभा 1965
महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय सभा 1979
बालकों के अधिकारों पर सभा 1989
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान सभा संख्या 29 – बंधक मजदूरी सभा 1930
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान सभा संख्या 111 – रोजगार में भेदभाव 1958
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान सभा संख्या 107 – देशज लोग सभा 1957

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण का मुख्य सैद्धान्तिक आधार सन् 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में निहित हैं। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुकरण में और वियना सम्मेलन में दिए गए भारत के वचन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

संविधान में प्रदान मूलभूत अधिकारों को सहयोग करने वाले कई कानून हैं। दलित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व संस्थाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 अत्यंत महत्त्वपूर्ण होने के कारण उसके मुख्य प्रावधानों की चर्चा यहाँ है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में निहित अस्पृश्यता के अंत की भावना के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 लाया गया। सन् 1976 में कई प्रकार के सुधारों के साथ नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम आया। अपेक्षित परिणाम न मिलने पर व दलितों के साथ होते अत्याचार के निवारण के लिए एक अलग कानून की जरूरत पड़ी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के साथ संलग्न कारण स्पष्ट करते हैं कि

''अनुसूचित जाति / जनजाति के सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाने के बावजूद वे अभी भी असुरक्षित हैं। उन्हें विभिन्न नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उन पर कई प्रकार के अत्याचार जैसे उनका तिरस्कार, अनादर, उत्पीड़न आदि किया जाता है। उन पर कई प्रकार के जुल्म ढ़ाये जाते हैं।'' इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध को रोकना, ऐसे अपराधों के मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था करना और पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।

अधिनियम के प्रावधानों को तीन सूचियों में डाला जा सकता है। पहली सूची में आपराधिक नियमों के प्रावधान हैं। यह अत्याचार का आपराधिक उत्तरदायित्व ठहराता है तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा के अन्तर्गत सजा की व्याख्या करता है। दूसरी सूची में राहत और पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे के प्रावधान दिए गए हैं। तीसरी सूची में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियन्त्रण समिति के प्रावधान हैं। इस अधिनियम की निम्न विशेषताएँ इसे महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।

नये प्रकार के अपराधों की सृष्टि – अधिनियम में अपराधी को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने का क्षेत्र विस्तृत किया गया है और ऐसे अपराधों को जोड़ा गया है जो भारतीय दण्ड संहिता अथवा नागरिक अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते।

अपराध किसी विशेष व्यक्ति / वर्ग द्वारा किया जाना – अधिनियम अपराधी और पीड़ित दोनों की जाति को चिन्हित करता है। अपराधी अनुसूचित जाति / जनजाति का नहीं होना चाहिए तथा पीड़ित अनुसूचित जाति / जनजाति का ही होना चाहिए।

विभिन्न प्रकार के अत्याचारों से सुरक्षा – अधिनियम अनुसूचित जाति / जनजाति की सामाजिक असमर्थता, सम्पत्ति, प्रतिरोधात्मक मुकदमों, राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना तथा आर्थिक शोषण से रक्षा करता है।

अधिनियम में चिह्नित अपराधों की सूची

धारा 3 बाईस प्रकार के अपराधों को सूचिबद्ध करता है तथा उनके दण्ड निर्धारित करता है। नियम 12(4) के अनुसार अत्याचार से पीड़ित के लिए राहत राशि के मापदंड तय हैं।

धाराएँ	अपराध का प्रकार	राहत की न्यूनतम राशि
3 (1) (i),(ii), (iii)	अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पिलाना या खिलाना; परिसर या पड़ौस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु-शव या अन्य घृणाजनक पदार्थ, क्षति पहुँचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से डालना,	अपराध के स्वरूप व गंभीरता तथा पीड़ित द्वारा अपमान, क्षति या मानहानि सहने के अनुपात में रूपये 25,000 या उससे अधिक भुगतान का 25 प्रतिशत आरोप-पत्र न्यायालय को भेजे जाने (चालान होने) पर; 75 प्रतिशत अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर
3 (1) (iv),(v)	स्वामित्व वाली, आवंटित या आवंटन के लिए अधिसूचित भूमि पर अधिभोग, खेती या अन्तरण, अनुसूचित जाति या अनुसुचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से बेकब्जा करना या उसकी भूमि, परिसर या जल का उपयोग करने से रोकना	रूपये 25,000 या अधिक; भूमि / परिसर / जल की आपूर्ति जहाँ आवश्यक हो सरकारी खर्च पर पुन: की जाएगी। आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर पूरा भुगतान
3 (1) (vi)	बेगार, बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करना या फुसलाना	कम से कम रूपये 25,000; 25 प्रतिशत भुगतान प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रक्रम पर; 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्धि पर
3 (1) (vii)	मतदान के अधिकार का अवरोध	ज्यादा से ज्यादा रूपये 20,000
3 (1) (viii), (ix)	द्वेषपूर्ण या गलत विधिक कार्यवाही	रूपये 25,000 या वास्तविक विधि व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति में से जो कम हो; भुगतान अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात
3 (1) (x)	अनादर, अभित्रास और अपमान	रूपये 25,000 तक; 25 प्रतिशत भुगतान आरोप-पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर; 75 प्रतिशत दोषसिद्धि उपरान्त

3 (1) (xi),(xii)	महिला की लज्जा भंग करना; लैंगिक शोषण	रूपये 50,000; 50 प्रतिशत – चिकित्सा जाँच पश्चात 50 प्रतिशत – विचारण की समाप्ति पर
3 (1) (xiii)	पानी गन्दा करना	रूपये 1,00,000 तक या जल श्रोत को साफ करने व सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत; भुगतान किस स्तर पर किया जाए इसका निर्णय जिला प्रशासन द्वारा
3 (1) (xiv)	सार्वजनिक रास्तों अथवा स्थानों के उपयोग से वंचित करना	रूपये 1,00,000 तक या मार्ग के अधिकार को पुन: बहाल करने की लागत और नुकसान की भरपाई; 50 प्रतिशत – आरोप पत्र न्यायालय भेजे जाने पर 50 प्रतिशत – निचले न्यायालय में दोषसिद्धि पर
3 (1) (xv)	अपना मकान, गाँव या निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना	स्थल बहाल करना / ठहरने का अधिकार; प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रूपये 25,000; यदि मकान नष्ट किया गया हो तो सरकार के खर्च पर पुन:निर्माण; निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर पूरी लागत का भुगतान
3 (2) (i),(ii)	गलत साक्ष्य देना	कम से कम रूपये 1,00,000 या नुकसान की पूरी भरपाई; 50 प्रतिशत भुगतान न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर; 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर; अपराध के स्वरूप और गम्भीरता के आधार पर प्रत्येक पीड़ित या उसके आश्रित को कम से कम रूपये 50,000
3 (2) (vii)	लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न	नुकसान की पूरी भरपाई; 50 प्रतिशत भुगतान आरोप पत्र न्यायालय में भेजे जाने पर; 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्धि पर
	परिवार के न कमाने वाले सदस्य की 100 प्रतिशत असमर्थता पर	कम से कम रूपये 1,00,000 50 प्रतिशत – प्रथम सूचना रिपोर्ट पर 25 प्रतिशत – आरोप पत्र पर 25 प्रतिशत – निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर
	परिवार के कमाने वाले सदस्य की	कम से कम रूपये 2,00,000

100 प्रतिशत असमर्थता पर	50 प्रतिशत – प्रथम सूचना रिपोर्ट / चिकित्सा जाँच पर 25 प्रतिशत – आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर 25 प्रतिशत – निचले न्यायालय में दोषसिद्धि पर
100 प्रतिशत से कम असमर्थता पर	निर्धारित दरों पर असमर्थता के अनुपात में कमी; भुगतान के चरण वही; न कमाने वाले सदस्य का भुगतान रूपये 15,000 से कम नहीं; कमाने वाले सदस्य का भुगतान रूपये 30,000 से कम नहीं
हत्या / मृत्यु	
– परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम रूपये 1,00,000 75 प्रतिशत – पोस्टमार्टम के पश्चात 25 प्रतिशत – निचले न्यायालय में दोषसिद्धि पर
– परिवार का कमाने वाला सदस्य हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता व डकैती	कम से कम रूपये 2,00,000 (भुगतान के चरण ऊपर जैसे) राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रूप से – – मृतक की विधवा और / या अन्य आश्रितों को रूपये 1000 प्रतिमास या परिवार के एक सदस्य को रोजगार, या कृषि भूमि, आवश्यक हो तो एक मकान तत्काल खरीद कर उपलब्ध करवाना – पीड़ितों के बालकों की शिक्षा और उसके भरण–पोषण की पूरी लागत; बालकों को आश्रम / आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया जाए – तीन महीने तक बर्तन, चावल, गेहूँ, दाल आदि की व्यवस्था
पूर्णतया नष्ट / जला हुआ मकान	सरकारी खर्च पर ईंट / पत्थर का मकान निर्माण या व्यवस्था

धारा 5 के अनुसार इस अध्याय के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के सिद्ध होने पर एक वर्ष से लेकर अपराध के लिए अनुबंधित दण्ड तक की सजा है।

दिसम्बर 23, 2011 से लागू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (सुधार) नियम 2011 के अनुसार पीड़ित को मिलने वाली न्यूनतम राहत राशि को 150 प्रतिशत से बढ़ाया गया है। अत: राहत राशियाँ अब रुपये 50,000 से रुपये 5,00,000 के बीच में होंगी। ऊपर दी गई तालिका को उसी हिसाब से देखें।

कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक कदम – मामलों के शीघ्र निपटान हेतु जिला स्तरीय विशेष अदालतों की स्थापना तथा विशेष लोक अभियोक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है।

अधिनियम को धारदार बनाने वाले विशेष प्रावधान – विशेष अदालतों को सशक्त किया गया है। ये अदालतें चल और अचल सम्पत्ति आदि से संबंधित मामलों में अनुभाग 3 से 6 के तहत सजा सुना सकती हैं। अभियुक्त की पूर्व जमानत या सशर्त जमानत नहीं हो सकती। अभियुक्त के हथियार का लाईसेंस रद्द करने की व्यवस्था है तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के लोगों को स्वयं की रक्षा के लिए हथियार रखने का अनुमोदन है।

अधिनियम के अधीन किए गए अपराध की जाँच पुलिस उप अधीक्षक या उससे ऊपरी स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जाना है। 30 दिन के अन्दर जाँच पूरी कर रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के मार्फत राज्य के पुलिस महानिदेशक को भेजी जानी है। राज्य सरकार के गृह सचिव, समाज कल्याण सचिव, अभियोजन निदेशक तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा अन्वेषणों की स्थिति का त्रैमासिक अवलोकन किया जाना है। [धारा 7(1), (2), (3)] कर्तव्य में उपेक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी को छह माह से एक वर्ष की सजा हो सकती है।

पीड़ित या उसके कानूनी वारिस को मुआवजा – अत्याचार से पीड़ित या उसके कानूनी वारिस को न्यूनतम राहत एवं मुआवजे का प्रावधान है। यदि अन्वेषण अथवा मुकदमे का स्थान निवास स्थान से दूर है तो पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, भरण–पोषण व्यय व परिवहन सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। ये भत्ते तुरन्त प्रदान किए जाने हैं। किसी भी हालत में तीन दिनों से ज्यादा नहीं लगे। प्रत्येक महिला साक्षी, पीड़ित या उस पर आश्रित महिला, साठ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति, अवयस्क, 40 प्रतिशत या उससे अधिक की नि:शक्तता वाला व्यक्ति अपनी पसन्द का परिचित अपने साथ लाने का हकदार है व अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाए जाने पर उसे भी यात्रा और भरण–पोषण व्यय देय है। [धारा 21, नियम 11 (1)–(6)] अधिनियम की धारा 3 के अधीन हुए अपराध में जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड मजिस्ट्रेट / अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट पीड़ित को दवाइयों, विशेष परामर्श, रक्ताधान, आवश्यक वस्त्र, भोजन व फलों पर हुआ व्यय प्रदान करेंगे।

अत्याचार निवारण के लिए सकारात्मक प्रयास करने की राज्य की जवाबदारी ठहराई गई है – इसमें अत्याचार संभावित क्षेत्र की पहचान करना, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए दौरा, अन्य वर्ण के लोगों के हथियारों के लाईसेंस को रद्द करना, उच्च शक्ति प्राप्त समितियों का गठन, सतर्कता समिति की स्थापना, जागरूकता केन्द्र तथा विशेष पुलिस बल तैनात करने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक के भारसाधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना की जानी है जिसकी जवाबदारियाँ तय हैं। इस कक्ष को महीने की 20 तारीख या उससे पूर्व उसके द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार अथवा नोडल अधिकारी को देनी है। [नियम 8]

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्य

- मुख्यमंत्री – अध्यक्ष
- गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कल्याण मंत्री – सदस्य
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सभी निर्वाचित संसद सदस्य, राज्य विधानसभा
- सदस्य और विधान परिषद के सभी चुने गए सदस्य – सदस्य (16 से ज्यादा नहीं)
- मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक / उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग – सदस्य
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के प्रभारी सचिव – संयोजक

इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक हर वर्ष जनवरी व जुलाई माह में होनी चाहिए जिसमें वे अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधा तथा उससे सम्बद्ध मामले, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करते हैं। [नियम 16]

दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या करें

- मूलभूत अधिकारों व समर्थक कानून तथा प्रावधान की यथासम्भव जानकारी रखें तथा अपने कार्यक्षेत्र में उन पर चर्चा कर बल दें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का असरकारक अमल उसे अत्यंत धारदार बना सकता है। अन्यथा इसके कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान कागजी बनकर रह जाएंगे। जहाँ तक सम्भव हो कार्यक्षेत्र में इन प्रावधानों के अमल की निगरानी व उनकी पैरवी जरूरी है।
- अधिनियम में सूचित अपराध अजमानतीय हैं। यदि मामले में योग्यता के अनुसार इस अधिनियम की धाराओं के लगवाने की चेष्टा रखेंगे तो आरोपी के गिरफ्तारी से छूटने के बाद पीड़ित व उसके परिवार पर दबाव बनाने की स्थिति पर कुछ अंकुश लग सकता है।
- पीड़ित को योग्य मुआवजा मिले और प्रावधान के अनुसार यात्रा व्यय वगैरह का शीघ्र भुगतान हो, इस पर कार्य करने की जरूरत है। जाँच की समय सीमा, विशेष अदालतों की कार्यवाही तथा विभिन्न स्तर की समितियों की सक्रियता की निगरानी भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

आर्थिक सहायता दिलाने में सफल संगठक प्रयास

पीड़ित पक्ष को मुआवजा व राहत राशि दिलवाने में कई बार चुनौतियाँ आती हैं। अधिकतर राहत राशि किश्तों में है। चालान होने पर मिलने वाली राशि में रूकावट आती है क्योंकि सरकारी वकील चालान की प्रति समाज कल्याण विभाग व सतर्कता समिति को भेजते नहीं हैं। आरोपी की दोषसिद्धि के बाद मिलने वाली अन्तिम राशि भी नहीं मिलती। सतत निगरानी व पैरवी से इन रूकावटों पर जीत पाई जा सकती है। आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को न्याय की पैरवी में लगे रहने का सहारा प्रदान करती है। आर्थिक परेशानी के कारण उसे घर, खेत या संसाधन नहीं बेचने पड़ते और मजबूरी में राजीनामा नहीं करना पड़ता। नीचे दिए गए उदाहरण बताते हैं कि आर्थिक सहायता ने पीड़ित परिवार को किस प्रकार संभाला व वे अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रख पाए।

खण्डप के मादाराम की हत्या हुई। केस एससी/एसटी अधिनियम में 3(2)(5) व भा.दं.सं. धारा 302 में दर्ज हुई। कानूनी तौर पर राहत राशि की पहली किस्त रूपये 1,50,000 मिलनी थी। अधिकारियों ने 50 हजार मंजूर किया। दलित संगठनों ने उपखण्ड स्तर पर पीड़ित पक्ष के साथ धरना दिया। योग्य स्तरों पर ज्ञापन दिए। पीड़ित के परिवार को नियमानुसार राशि मिली।

गीगी देवी का पति बकरियाँ चराकर घर का पालन-पोषण करता था। पति की हत्या के बाद पूरे घर का जिम्मा गीगी देवी के ऊपर आ गया। पहले गीगी देवी के लिए राहत राशि सिर्फ रूपये 50,000 मंजूर किए गए। संगठन द्वारा जिलाधीश को कानूनी प्रावधान से अवगत कराए जाने पर एक लाख रूपये मंजूर किए गए। गीगी देवी को यह आर्थिक सहायता नहीं मिलती तो उसे अपना खेत बेचना पड़ता। आर्थिक सहायता मिलने से उनका कर्जा उतर गया और अपनी लड़की व लड़के की पढ़ाई भी जारी रखी। गीगी देवी ने कुछ पैसे बैंक में डलवा दिए जो लड़की की शादी में काम आयेंगे।

पारलु गाँव के छैलसिंह ने धर्मो देवी के छाती पर बैठकर मारपीट की व लज्जा भंग की। कानूनी तौर पर 25 हजार रूपये मिलने चाहिए थे। दलित संगठन के सदस्यों द्वारा जिलाधीश, अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। छैलसिंह द्वारा पूर्व में धर्मो देवी व उनके पति चैलाराम के साथ मारपीट के मामले की फाईल भी इस केस में जोड़कर जिलाधीश व समाज कल्याण अधिकारी को भेजी तो उन्होंने एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की। इस परिवार को यह सहायता नहीं मिली होती तो अपना खेत या गहना बेचकर केस लड़ता या फिर आरोपी से राजीनामा कर लेता। आर्थिक सहायता से उन्होंने अपने केस की पैरवी तेज की। अपनी लड़की की पढ़ाई भी जारी रखी।

जोधपुर जिले के भोपालगढ़ ब्लॉक में जम्मू (बदला गया नाम) के साथ बलात्कार हुआ। इस परिवार को रूपये 75,000 की आर्थिक सहायता नहीं मिलती तो वे आगे कोर्ट में लड़ने में अक्षम थे। जैसलमेर के पोकरण ब्लॉक में बाबूराम मेघवाल पर सामूहिक हमला हुआ। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। दलित संगठन द्वारा सतत पैरवी की गई, चालान हुआ, पीड़ित को 50 हजार की आर्थिक सहायता मिली जिसके कारण वे केस लड़ रहे हैं।

3. भारत में न्याय की व्यवस्था

व्यक्ति तथा समूहों के बीच व्यवहारों तथा सम्बन्धों को निर्धारित तथा शासित करने के लिए कानून बनाया जाता है। नागरिक की दिनचर्या को निर्धारित करने वाले तथा सरकार के साथ उसके सम्बन्ध व व्यवहार को निर्धारित करने वाले नियम 'कानून' कहलाते हैं। कानून को तोड़ने पर दण्ड होता है। कानून तथा दण्डों की व्याख्या के साथ ही कानून को लागू करने तथा न्याय की व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। कानून तथा न्याय की व्यवस्था अचल नहीं होती। अलग-अलग समूहों के द्वारा सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के समझौते के आधार पर बदलाव होता रहता है। हमारे लोकतंत्र में विधायिका कानून बनाती है। विधायिका जनता के मत से बनती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है।

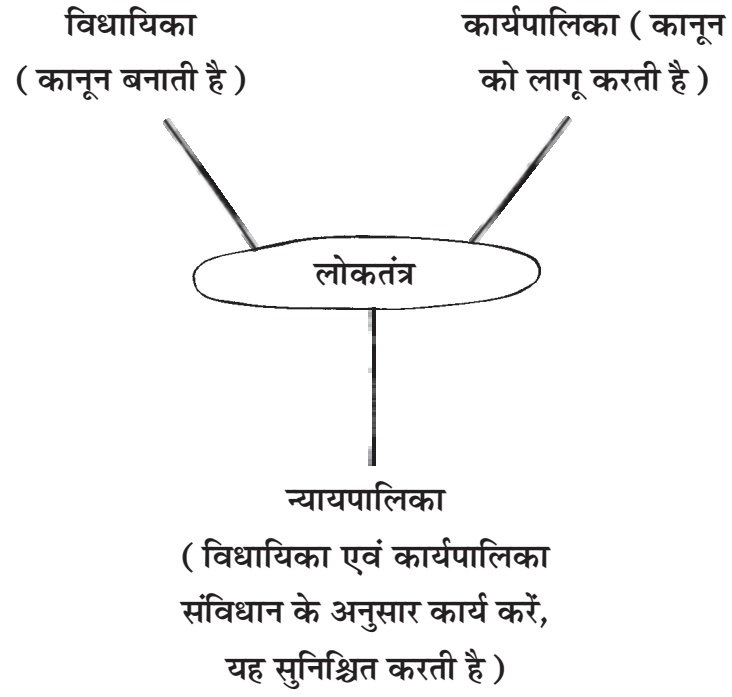

कानून दो प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक कानून नागरिक और सरकार के बीच व्यवहार पर लागू होते हैं जैसे संवैधानिक कानून और फौजदारी कानून। व्यक्तिगत कानून लोगों के आपसी व्यवहार पर लागू होते हैं जैसे विवाह सम्पत्ति अथवा दीवानी के कानून। पुलिस का दायित्य नागरिकों और कानून की रक्षा करना है। कानूनी सुरक्षा पाने का सबको बराबर अधिकार है। पुलिस के मुख्य पदों का विवरण इस प्रकार है :

पुलिस में मुख्य पद (राजस्थान राज्य के संदर्भ में)

डीजी (पुलिस महानिदेशक)	राज्य की पुलिस का अन्तिम जिम्मा
एडीजी (अति. पुलिस महानिदेशक)	राज्य स्तर पर, लेकिन अलग–अलग काम हो सकते हैं जैसे कानून एवं व्यवस्था, प्रशिक्षण।
आई जी (पुलिस महानिरीक्षक)	सम्भाग स्तरीय पुलिस अधिकारी
एस पी (पुलिस अधीक्षक)	जिला स्तर पर पुलिस विभाग के मुखिया
एडीशनल एसपी (अति. पुलिस अधीक्षक)	जिला स्तर पर एसपी के बाद
डी.वाई.एस.पी. (पुलिस उप अधीक्षक)	उपखण्ड स्तर पर या कई थानों पर
सीआई (वृत निरीक्षक)	बड़े थानों पर थानाधिकारी के रूप में
एसआई (पुलिस निरीक्षक)	छोटे थाने में थानाधिकारी व बड़े में सहयोगी
एएसआई (सहायक पुलिस निरीक्षक)	चौकी प्रभारी व थानों में सहायक थानेदार
मुन्शी (हेड कॉनिस्टेबल)	वरिष्ठ सिपाही, जो कागजात का काम करते हैं या चौकी में एक पद
सिपाही (कॉनिस्टेबल)	पुलिस की प्रथम इकाई। सिपाही।

न्याय को अलग संदर्भों में अलग–अलग रूप से देखा गया है तथा इसकी कई परिभाषाएँ भी दी गई हैं। मानव अधिकारों के संदर्भ में देखें तो इसे मानव जीवन व गरिमा से जोड़ना उचित होगा। परिणाम व प्रक्रियागत समता को इसका आधार माना जा सकता है। यह उपयुक्तता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अभिप्राय यह है कि निर्णय व उसे लेने का ढंग इस प्रकार व्यक्ति व परिस्थिति को ध्यान में रखकर हो कि किसी भी तरफ पक्षपात न हो।

न्यायप्रिय समाज उसे कहा जा सकता है जो एकजुटता के सिद्धान्तों पर आधारित हो, जहाँ मानवाधिकारों का तथा प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा हो। वंचित वर्गों को संरक्षण प्राप्त हो। अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक सदस्यों की महत्त्वाकांक्षाओं व लोभ

पर समुचित नियंत्रण की व्यवस्था होती है। अत: जरूरी है कि कानूनी प्रावधान एवं प्रक्रिया, नियम एवं विनियम लिखित, प्रासंगिक एवं अद्यतन हों तथा सभी के लिए एकरूपता हो। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित मौका होता है।

न्यायालय व्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट)

उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में अलग या सामूहिक भी होते हैं।

दीवानी न्यायालय	**फौजदारी न्यायालय**	**राजस्व न्यायालय**
जिला न्यायाधीश का न्यायालय	दंडाधीश सेशन या सत्र न्यायालय	राजस्व परिषद (रेवेन्यू बोर्ड)
सिविल न्यायाधीश का न्यायालय	प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय	कमिश्नर का न्यायालय
सिविल न्यायाधीश वर्ग (2) का न्यायालय	द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय	कलेक्टर का न्यायालय
जिला दंडाधिकारी का न्यायालय	तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय	अतिरिक्त जिलाधीश का न्यायालय
		नायब तहसीलदार का न्यायालय

सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय में तीन तरह के न्यायाधीश होते हैं। प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश को 2 साल की कैद और रू. 1000 तक जुर्माना करने का अधिकार होता है। द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश को 6 महीने की कैद और रू. 300 तक जुर्माना करने का अधिकार होता है। तृतीय श्रेणी के न्यायाधीश को 1 माह की कैद और रू. 50 तक जुर्माना करने का अधिकार होता है। गंभीर अथवा बड़े अपराध के मामले प्रथम श्रेणी के सत्र न्यायालय में चलते हैं।

कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया

पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश

आरोपों के निर्धारण के बाद आरोपी पर केस चलाना

अपराध के संबंध में सबूत पेश

आरोपी द्वारा बचाव में प्रस्तुति

कोर्ट का निर्णय

(आरोप, साक्ष्य, गवाह, सुनवाई और वकीलों की बहस सुनने के बाद यदि कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचता है कि अपराध किया गया है तो कानून की धारा के अनुसार जुर्माना, कारावास या दोनों सजा सुनाई जाती है। अन्यथा आरोपी को निर्दोष घोषित किया जाता है।)

कानूनी सहायता

सन् 1976 में संविधान में अनुच्छेद 39ए के द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया और सन् 1987 में समाज के वंचित वर्गों को नि:शुल्क व असरकारक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरणों की स्थापना के लिए कानूनी सहायता प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया।

विधिक सेवा प्राधिकरण / समिति गरीब व वंचित समुदाय के व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष किसी मामले अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता तथा कानूनी सेवाएँ प्रदान करती है। अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य, मनुष्यों का अवैध व्यापार किए जाने में आहत व्यक्ति, स्त्रियाँ, बच्चे, विकलांग, खानाबदोश, आपदा से ग्रस्त व्यक्ति, जातीय हिंसा अथवा वर्ग विशेष पर अत्याचार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, किशोर अपराधी व रूपये 1,25,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता एवं सेवाएँ ले सकते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतों का आयोजन भी करती है जिनसे कानूनी

बारीकियों के खर्चे व समय को बचाते हुए न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने तथा बड़े पैमाने पर कानूनी जागरूकता फैलाने का भी काम करती है।

कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़ित द्वारा लिखित आवेदन किया जाता है जिसमें संक्षेप में कारण लिखा हो। यदि आवेदक अनपढ़ है या लिखने की स्थिति में नहीं है तो प्राधिकरण / समिति के सदस्य, सचिव या अधिकारी उसका आवेदन लिखेंगे तथा उस पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेंगे। नि:शुल्क उपलब्ध कराए गए प्रारूप में आवेदक की कानूनी सहायता प्राप्त करने की योग्यता सम्बन्धित शपथ पत्र दिया जाता है जिसमें दिए गए तथ्यों को जाँचने के लिए पूछताछ भी हो सकती है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही विधिक सहायता प्राप्त करने का उसका अधिकार शुरू हो जाता है। मजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य होता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में बताए। पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह नजदीकी विधिक सहायता समिति को अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे।

कानूनी प्रक्रिया में खर्चे जैसे टाइपिंग वगैरह का भुगतान, विधि व्यवसायी (वकील) द्वारा प्रतिनिधित्व के खर्चे, निर्णयों, आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने हेतु विधिक खर्चे, दस्तावेजों का अनुवाद तथा आकस्मिक खर्चे कानूनी सहायता में शामिल हैं। आवेदक, उचित समय सीमा में कानूनी सहायता न मिलने पर अध्यक्ष को अपील कर सकते हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत मिलने वाली कानूनी सहायता हर ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है जो किसी अपराध का अभियुक्त हो या जिसके विरूद्ध फौजदारी न्यायालय में कोई कार्यवाही शुरू की गई हो। वह अपनी पसन्द के वकील द्वारा अपनी रक्षा कर सकता है। (धारा 303) जहाँ कोर्ट को ऐसा लगे कि अभियुक्त के पास अपने बचाव के लिए वकील की नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं तो वह राज्य के खर्च पर वकील उपलब्ध कराएगा। (धारा 304)

कानूनी सहायता के तीन स्तर हैं

राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण — जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण — तालुक/तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण

न्याय की वैकल्पिक व्यवस्थाएँ

लोक अदालत – लंबी प्रक्रिया के कारण विभिन्न अदालतों में कई मामले विचाराधीन हैं जो सभी के लिए चिंता का विषय हैं। इस कारण लोक अदालत का चलन बढ़ा है। लोक अदालत समझौते के आधार पर विकसित की गई न्याय की प्रक्रिया है। आपसी बातचीत से सुलह की स्थिति पर पहुँचा जाता है। दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट दूर कर मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया जाता है। कोई अदालती खर्च नहीं होता है। मामलों का निपटारा जल्दी हो जाता है। राजीनामे में न्यायिक अधिकारी, शिक्षक, समाजसेवी आदि शामिल होते हैं। आदेश अंतिम होता है। इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत द्वारा पारित आदेश की नि:शुल्क सत्य प्रतिलिपियां पक्षकारों को फौरन प्रदान की जाती हैं।

लोक अदालतों को उन सभी मामलों को राजीनामों या समझौतों द्वारा निपटाने का अधिकार होता है जो किसी अदालत में लंबित या विचाराधीन हैं या जो अदालत नहीं पहुँचे हैं। लोक अदालतों द्वारा ऐसे फौजदारी मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता जिसका कानून के तहत समझौता नहीं हो सकता जैसे हत्या।

लोक अदालत द्वारा श्रम सम्बन्धी मामले जैसे निलम्बन, छंटनी, भविष्यनिधि, मजदूरी, बोनस का समझौता करवाया जा सकता है। मुआवजे से सम्बन्धित जैसे मोटर दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग या मृत्यु, रेल्वे दुर्घटना, टेलीफोन या बिजली से संबंधित, पारिवारिक मामले, आपसी सहमति से तलाक, दाम्पत्य सम्बन्धों की फिर से स्थापना, बच्चों का संरक्षण, गोद व भरण पोषण तथा हिन्दु, मुस्लिम व ईसाई विवाह अधिनियम से जुड़े मामले में समझौता कराया जा सकता है।

कोई एक पक्ष यह चाहे कि उसके मामले का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से हो तो वह अदालत में इस आशय का आवेदन कर सकता है। जब अदालत संतुष्ट हो जाती है कि मामला लोक अदालत में निपटाये जाने योग्य है तो वह उसे वहाँ भेजने का निर्देश दे सकती है। लोक अदालत दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर समझौता कराने की कोशिश करती है। यदि कोशिश के बावजूद भी पक्षों के बीच राजीनामा या समझौता नहीं हो पाता है तो फिर मामला उसी अदालत को भेज दिया जाता है जहाँ से वह प्राप्त हुआ था। वह अदालत उस मामले में पुन: उसी स्तर से आगे की कार्यवाही करती है। लगभग हर महीने लोक अदालतों का आयोजन जहाँ तहसील न्यायालय, जिला अदालत या उच्च न्यायालय हैं वहाँ किया जाता है। ये

अदालतें अधिकतर छुट्टी के दिनों में आयोजित की जाती हैं। इन अदालतों में बल, प्रभाव का गलत इस्तेमाल, लालच इत्यादि पूर्णत: गैर कानूनी एवं कार्यवाही को प्रभावहीन बना सकते हैं।

मध्यस्थता – मध्यस्थता अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने की कानूनी तकनीक है। जो स्वयं पक्षों द्वारा तय की जाती है। मध्यस्थता केन्द्र पर समाजसेवी, वकील, प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि होते हैं, जो पक्षकारों के बीच सुलह कराते हैं। मध्यस्थ द्वारा विवादों का निपटारा संधिपत्र या पंचाट कहलाता है। यह न्यायालय की डिक्री के समान होता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर सुलहकर्ता उनके बीच समझौते के माध्यम से सुलह कराते हैं। मध्यस्थ एवं सुलहकर्ता के द्वारा विवादों के निपटारे संबंधी कानून को ''मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996'' के रूप में जाना जाता है।

मध्यस्थ अधिकारी निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए प्रशिक्षित होते हैं। सभी पक्षों को उनके विवादों का हल निकालने में मदद करते हैं। मध्यस्थ अधिकारी, मध्यस्थता की प्रक्रिया से सभी पक्षों को अवगत करवाता है। उन्हें प्रक्रिया के नियमों एवं गोपनीयता के बारे में भी बताता है। सभी पक्षों से एक साथ मिलकर उनके विवाद के बारे में जानकारी हासिल करता है। वह विवाद के निपटारे के लिए सभी के बीच बेहतर वातावरण बनाता है। जरूरत पड़ने पर मध्यस्थ अधिकारी हर पक्ष से अलग–अलग बात भी करते हैं। विवाद के निपटारे के बाद मध्यस्थ अधिकारी सभी पक्षों से समझौते की पुष्टि करवाता है। उसकी शर्तें समझाता है। इन समझौतों को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। जिस पर सभी पक्ष हस्ताक्षर करते हैं

राजीनामा – दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार तीन प्रकार के अपराध होते हैं – राजीनाम योग्य, न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य तथा जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता। अत्यंत गम्भीर अपराध राजीनामा योग्य नहीं गिने जाते हैं।

राजीनामा योग्य अपराध सबसे ज्यादा साधारण समझे जाने वाले अपराध हैं जैसे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के लिए कहे गए अनुचित कथन; साधारण चोट पहुँचाना; अनुचित रूप से किसी को बंदी बनाकर रखना; किसी पर प्रहार करना या निजी नुकसान पहुँचाना; अतिक्रमण; किसी के घर में गलत इरादे से प्रवेश या बने रहना; व्यभिचार; विवाहिता को भगा ले जाने या गलत इरादे से बंदी रखना; मानहानि; अपमानजनक सामग्री छापना, खुदवाना या बेचना; उकसाने हेतु अपमान करना तथा धमकी देना।

न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य वे समझे जाते हैं जिन मामलों की सुनवाई न्यायालय में चल रही हो, न्यायालय की अनुमति से परिवादी आरोपी के राजीनामा कर सकता है। इसमें निम्न प्रकार के अपराध आते हैं – घायल करना; गंभीर चोट पहुँचाना; धमकी देना; दैवी शक्तियों के प्रकोप का भय दिखाकर कोई कार्य करा लेना; तीन दिन या अधिक समय तक किसी को बंद रखना, स्त्री का शील भंग के इरादे से बल प्रयोग; दो सौ पचास रूपये के मूल्य तक की वस्तु की चोरी; किसी की संपत्ति को बुरी नीयत से रख लेना या उपयोग में ले लेना; दो सौ पचास रूपये तक की संपत्ति को विश्वासघात से हड़प लेना; दो सौ पचास रूपये तक मूल्य की चोरी की संपत्ति बेईमानी से खरीदना; इसी मूल्य की चोरी की वस्तु को छिपाने या इधर–उधर करने में मदद करना; धोखाधड़ी; संरक्षण में दी गई संपत्ति के साथ धोखाधड़ी करना; किसी और का रूप रखकर धोखाधड़ी करना; धोखा देकर किसी को मूल्यवान संपत्ति देने के लिए विवश करना, मूल्यवान दस्तावेजों में काट–छांट करना या नष्ट करना; साहूकारों को संपत्ति प्राप्त करने या विभाजन में बाधा पहुँचाने के लिए संपत्ति को छिपाना या हटाना; संपत्ति के क्रय–विक्रय में मूल्य संबंधी गलत कथन दिखाना; जानवर या पशुधन को मार डालना या उसका अंग भंग करना; किसी व्यक्ति की सिंचाई वाले जल का बहाव अनुचित रूप से बदल कर उसे नुकसान पहुँचाना कोई अपराध करने के लिए किसी के घर में घुसना; झूठे व्यापारिक चिह्न या संपत्ति चिह्न का प्रयोग करना; किसी के व्यापारिक या संपत्ति चिन्ह की नकल करना; झूठ और नकल किए गए व्यापारिक या संपत्ति चिह्न वाली वस्तु को जानबूझकर बेचना या रखना; पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना; राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल या केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासक के विरूद्ध उसके लोक कर्तव्य पालन को लेकर मानहानि करना; किसी स्त्री को भद्दे इशारे करना या शब्द कहना या कोई वस्तु दिखाना ताकि स्त्री की मर्यादा भंग हो या उसकी निजता पर आँच आये।

कोई भी पीड़ित राजीनामा कर सकता है। यदि वह अठारह वर्ष से कम आयु का है, नासमझ या पागल है तो उसका पालक या संरक्षक राजीनामा कर सकता है। यदि राजीनामा कर सकने वाला मर जाए तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी राजीनामा कर सकता है या न्यायालय की अनुमति से कोई दूसरा भी राजीनामा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे पहले सजा दी जा चुकी हो, इस कारण उसे दूसरे अपराध में बढ़ा हुआ दण्ड या दूसरे प्रकार का दण्ड दिया जाना हो, राजीनामा नहीं कर सकता। राजीनामा स्वीकार हो जाने पर आरोपी आरोप से बरी माना जाता है।

विभिन्न वंचित समुदायों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, सफाई कर्मचारी व अल्पसंख्यकों के लिए, समर्थक व्यवस्थाएँ हो रही हैं या नहीं तथा न्याय तक उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए निगरानी व्यवस्था के रूप में विभिन्न आयोगों का गठन हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के तहत हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अलग–अलग अधिनियमों के अंतर्गत हुआ है। ये आयोग जाति से परे समाज के हर वर्ग की शिकायत पर कार्य करते हैं।

मानव अधिकार आयोग – मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया गया। अधिनियम की धारा 12 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य का विवेचन किया है। आयोग का कार्य किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना है। जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो और शासकीय कर्मचारी, लोक सेवक या अधिकारी उसकी सहायता करने के बजाए खुद उस व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने लगें तो मानव अधिकार आयोग को सादे कागज पर या फोन से शिकायत की जा सकती है। अपराध होने पर एवं पुलिस को सूचना देने पर भी यदि उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती या अन्य किसी भ्रष्ट कारणों से कार्यवाही होती है तो इसकी शिकायत आयोग को की जा सकती है। शिकायत प्राप्त करने पर संबंधित लोक सेवक की जाँच आयोग कर सकता है और सरकार को सिफारिश या निर्देश दे सकता है।

जिन संस्थाओं, कारखानों, अस्पतालों, जेलों, स्कूलों, सार्वजनिक जगहों पर या सुधार गृहों आदि में लोगों को आश्रय दिया जाता है, बंद रखा जाता है या इलाज किया जाता है, वहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ ठीक हों इसकी चिंता मानव अधिकार आयोग कर सकता है।

आयोग मानव अधिकारों की सुरक्षा करने वाले कानूनों का पुनर्मूल्यांकन तथा उन्हें लागू करने हेतु आवश्यक सिफारिश कर सकता है। आयोग आतंकवाद संबंधी स्थितियों का मूल्यांकन और उपचारात्मक सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों तथा उपायों के बारे में अध्ययन कर उन्हें लागू करने संबंधी सिफारिश कर

सकता है। मानव अधिकारों के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा मानव अधिकारों संबंधी शोध कार्य कर सकता है।

मानवाधिकार आयोग को स्वप्रेरित गतिविधि (बिना कोई शिकायत मिले स्वयं मामले को लेना) करने और मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना पर पूछताछ करने की शक्तियाँ प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति जो मानवाधिकार उल्लंघन की जानकारी रखता है वह मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत कर सकता है। यदि स्थानीय पुलिस व प्राधिकरण मानवाधिकार हनन की शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह शिकायत मानवाधिकार आयोग में की जा सकती है।

अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में पहले एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था। सन् 2003 में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 (क) जोड़कर अब दो आयोग बनाए गए – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। लगभग सभी राज्यों में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

अल्पसंख्यक आयोग – अल्पसंख्यकों के विकास एवं सरकारी कामों की देखरेख तथा अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण और संरक्षण के कार्यों की निगरानी इस आयोग की जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यकों को विकास, कल्याण और संरक्षण से वंचित करने की शिकायतों का शासन से निराकरण कराना, उनसे भेदभाव रोकने संबंधी उपायों की सिफारिश करना, उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास का अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण करना भी अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी है।

जब किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह आयोग से शिकायत कर सकता है। आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस जारी करता है। दोषी पाये जाने पर सरकारी कार्यवाही के लिए लिखता है। अल्पसंख्यकों के लिए अनेक योजनाएँ इस आयोग के माध्यम से चल रही हैं।

महिला आयोग – पूरे देश में राज्य महिला आयोग बनाए गए हैं। महिलाओं के हितों की देखभाल एवं उनकी सुरक्षा करना, महिलाओं से भेदभाव को खत्म करना, उनकी गरिमा एवं सम्मान को सुनिश्चित करना, उनको विकास के बराबर मौके

दिलाना तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार या अपराध पर कार्यवाही करना इस आयोग की जिम्मेदारियाँ हैं।

महिला आयोग को सिविल कोर्ट के अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेज कर हाजिर करा सकता है, शपथ–पत्र लेकर जाँच कर सकता है, दस्तावेज / कागज मंगा सकता है तथा शपथ–पत्र पर सबूत ले सकता है। किसी महिला के साथ अत्याचार होने पर वह सादे कागज पर आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है, जिस पर कार्यवाही की जाती है।

पिछड़ा वर्ग आयोग – पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बनाए कानून और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके कल्याण एवं विकास के लिए योजना और नीति बनाना, उनको लाभ पहुँचाने के लिए शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्यक्रम तैयार करना तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दिलाना इस आयोग की जिम्मेदारियाँ हैं।

दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या करें

- पीड़ित को विधिक सेवा प्राधिकरण की कानूनी सहायता से जुड़वाने की कोशिश अवश्य होनी चाहिए जिससे योग्य व्यक्ति को सहायता तो मिलती ह है, प्राधिकरण का उद्देश्य भी सिद्ध होता है।
- आयोगों के उपयोग को बढ़ावा दें।
- न्याय व्यवस्था से पूरी तरह जानकार हों तथा अपने कार्यक्षेत्र में इसकी जानकारी फैलायें।

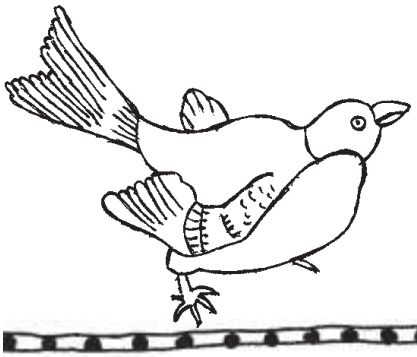

4. अत्याचार के संदर्भ में तथ्य अन्वेषण

तथ्य अन्वेषण (फेक्ट फाइन्डिंग) का अर्थ है तथ्यों की खोज, उनका सत्यापन व दस्तावेजीकरण। आपराधिक मामलों में तथ्य अन्वेषण पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कई मानवाधिकार संस्थाओं ने तथ्य अन्वेषण प्रक्रिया का उपयोग सरकारों / राज्यों की मानवाधिकार प्रथाओं पर निगरानी के लिए किया है। आज के सामाजिक संदर्भ में जब दलित के न्याय तक पहुँच में कई व्यवस्थाजन्य रूकावटें आती हैं, अत्याचार के मामलों की सही पैरवी के लिए दलित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तथ्य अन्वेषण प्रक्रिया का उपयोग जरूरी हो गया है।

तथ्य अन्वेषण अदालती जाँच या रासायनिक जाँच का विकल्प नहीं है और न ही उनके महत्त्व को कम करता है। वह उचित पैरवी के लिए सिर्फ दिशा सूचित करता है। तथ्य अन्वेषण के नियम आवश्यक हैं पर वे एक मानव अधिकार कार्यकर्ता के सामान्य बोध और उचित व्यक्तिगत निर्णय की जगह नहीं ले सकते।

तथ्य अन्वेषण के दो मुख्य व परस्पर संबंधित पहलू है : (i) जानकारी का एकत्रीकरण जिससे यथासंभव सत्य निर्धारित किया जा सके और (ii) जानकारी का दस्तावेजीकरण (जानकारी को व्यवस्थित तरीके से लिखना व प्रबन्ध करना) जिससे वे सरलता से उपयोग में लिए जा सकें। इस प्रक्रिया से किसी घटना का क्रम, उसमें सम्मिलित व उससे प्रभावित लोग तथा घटना घटित होने का कारण स्पष्ट होता है। मानव अधिकारों के किन मानकों व कानूनी प्रावधानों का उपयोग या उल्लंघन हुआ है, यह पता चलता है।

हमारी धारणा रहती थी कि कहने वाला गरीब व दलित वर्ग से है तो उसके साथ जो भी घटना वह बता रहा है एकदम सत्य ही होगी। इस आधार पर हम आगे की कार्यवाही की तैयारी करने लगते थे। इससे कई प्रकार की समस्याएं व केस को कमजोर करने वाले मामले सामने आने लगे।

फलौदी ब्लॉक (जोधपुर जिला) के बैगटी गाँव से समाचार आया कि किसी महिला के साथ बलात्कार हो

गया तथा उसके पति का अपहरण कर लिया गया। तथ्य अन्वेषण से पता चला कि जिस आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई है उसके पिता को पीटा गया है तथा वे अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों पक्षों की आपसी लड़ाई थी। अपराध की गम्भीरता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह गलत जानकारी दी गई थी। पुलिस ने भी इस बात को माना और आरोपियों को मारपीट के जुर्म में गिरफ्तार किया।

सोनू देवी के अपहरण की घटना गलत दर्ज होने के कारण उनके साथ हुए अपराध की गम्भीरता अत्यधिक कम हो गई। गाँव के कई लोगों ने कहा कि हो सकता है उठाने वाले को सोनू देवी पहले से जानती थीं या मिली हुई थीं, इसलिए उसने ऐसा किया। तथ्य अन्वेषण टीम ने पाया कि सोनू देवी अपने घर से बाहर बकरी का दूध निकालने के लिए गई थीं। उनका घर हाई–वे के निकट था। गाड़ी के निकलने के इन्तजार में वे किनारे पर रूक गईं। गाड़ी उनके पास आकर रुक गई तथा उन्हें जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया गया। वो रोईं, चिल्लाई तथा चलती गाड़ी से कूदने का प्रयास करने लगीं जिससे वो गिर गईं। पेट में चोट लगने से उनके आठ माह के गर्भ का गर्भपात हो गया। सोनू आरोपी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थीं। वह उस दिन शराब के नशे में था तथा उसे जब रोड पर महिला दिखी तो हैवानियत जाग गई। तथ्य अन्वेषण से पुलिस को मदद मिली थी। वहाँ के लोगों के सामने भी वास्तविकता आई। जो लोग कह रहे थे कि उसका भी सहयोग इसमें हो सकता है वे चुप हो गए।

तथ्य अन्वेषण का प्रयोजन व प्रकार

मानव अधिकार पर काम कर रही संस्था, यदि पीड़ित या पीड़ितों की सहायता करने से पहले तथ्य अन्वेषण की प्रक्रिया करती है तो वह तथ्यों का विश्लेषण कर आगे की स्पष्ट रणनीति बना सकती है और सही निष्कर्ष तक पहुँचने में प्रशासन की मदद कर सकती है। संस्था द्वारा तथ्य अन्वेषण का कोई कानूनी आधार नहीं है। दलित व महिला मानव अधिकार हनन के मामलों में तथ्य अन्वेषण से न्याय की माँग को मजबूती मिलती है क्योंकि ऐसे मामलों में प्राय: असरग्रस्त सत्ताविहीन हैं व अत्याचारी सत्ताधारी। अत्याचार को साबित करने के लिए साक्ष्य व सबूत जरूरी होते हैं। तथ्य अन्वेषण की प्रक्रिया इसमें मदद करती है। गिरफ्तारी, अवैध रूप से रोकना, गायब होना, यातना आदि के मामलों में पीड़ित की तुरन्त खोज व कानूनी कार्यवाही जरूरी होती है। तथ्य अन्वेषण पीड़ित व उसके परिवार को तुरन्त मदद पहुँचाने की

दिशा में मदद करता है। तथ्य अन्वेषण त्वरित कानूनी कार्यवाही के लिए तथ्यात्मक आधार प्रदान करता है।

कानूनी सहायता के अलावा चिकित्सकीय, आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायताओं की जरूरत हो सकती है जिसके लिए सरकार या संस्थाओं से जोड़ने में आसानी होगी यदि तथ्य अन्वेषण के दौरान इनका अंदाजा लगाया जा सके। तथ्य अन्वेषण के दौरान जब मुद्दे, उससे जुड़े तथ्य, प्रक्रिया व पैरवी का संपूर्ण दस्तावेजीकरण होता है व उनका सुनियोजित तरीके से संकलन होता है तो इससे उभरी सीखों का उपयोग भी समुचित हो सकता है। जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग संगठनात्मक कार्य, अभियान तैयार करने में, विभिन्न हितधारकों की साझी समझ बनाने में तथा वंचितों की न्याय तक पहुँच बढ़ाने के क्रम में राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पैरवी में किया जा सकता है।

तथ्य अन्वेषण प्रक्रिया का उपयोग किस प्रयोजन से किया जा रहा है यह उसका प्रकार और विस्तार निर्धारित करता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति पर अत्याचार के मामले को लेकर न्यायालय में दावा करना चाह रहे हैं तो पीड़ित व साक्षियों से बातचीत उपयुक्त हो सकती है। पर यदि राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों की पालना अथवा अवमानना पर रिपोर्ट व पैरवी करनी है तो उसमें दस्तावेजों का विश्लेषण, असरग्रस्तों को ढूंढना व बात करना, पालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से बातचीत, आँकड़ों का संकलन व विश्लेषण जरूरी होगा। तथ्य अन्वेषण के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। कुशल अन्वेषणकर्ताओं तथा संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ सीमित समय सीमा के लिए क्षेत्र में जाँच करना; मानवाधिकार उल्लंघनों पर जानकारी एकत्रीकरण और दस्तावेजीकरण के लिए क्षेत्र में लम्बे समय तक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को रखना; स्थानीय लोगों से बनी टुकड़ी द्वारा अन्वेषण; देश के जाने-माने लोगों की उच्च स्तरीय टुकड़ी द्वारा अन्वेषण; अन्तर्राष्ट्रीय नागरिकता के लोगों की टुकड़ी द्वारा अन्वेषण; मुकदमा अवलोकन; कारागृह निरीक्षण; चुनाव अवलोकन; गैर-सरकारी न्यायाधिकरण तथा जाँच आयोग का संगठन; अदालती जाँच; आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर आँकड़ों का एकत्रीकरण, शोध अध्ययन व सर्वेक्षण, तथ्य अन्वेषण के कुछ मुख्य प्रकार हैं।

तथ्य अन्वेषण के घटक

तथ्य अन्वेषण के निम्न मुख्य घटक हैं जिनका ध्यान प्रक्रियापर्यन्त जरूरी है।

1. **तथ्य अन्वेषण की समझ विकसित करना** – तथ्य अन्वेषण के संदर्भ में निम्न बातें जरूरी हैं।

सटीक व निष्पक्ष – तथ्य अन्वेषण के नतीजे की विश्वसनीयता जरूरी है। अत: एकत्र की तथा दी गई जानकारी की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए संपूर्ण एहतियात बरतनी चाहिए।

सुनिश्चित केन्द्र व स्पष्ट मानदण्डों का उपयोग – जाँच प्रक्रिया के विस्तार को परिभाषित करना जरूरी है जिससे जरूरत से ज्यादा या अनुपयोगी जानकारी लेने में बहुमूल्य समय का व्यय न हो। साथ ही प्रक्रिया में लचीलेपन का भी उतना ही महत्त्व है जिससे विभिन्न रास्ते अपनाने व सत्य की तह तक जाने में मदद मिले।

साक्ष्यों की खुले दिमाग से समीक्षा – कथित मानवाधिकार उल्लंघन के पक्ष व विरूद्ध के साक्ष्यों की समीक्षा में खुला दृष्टिकोण जरूरी है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि लिखने का अंदाज ऐसा हो कि पढ़ने वाले या उस पर विचार करने वाले को भी रिपोर्ट की विश्वसनीयता और निष्पक्षता का एहसास हो।

असरग्रस्त लोगों की सुरक्षा व कल्याण – मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सर्वप्रथम कर्तव्य पीड़ित के प्रति है। अत: तथ्य अन्वेषण में नैतिक लिहाज महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप जानकारी देने वाले व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरी होना चाहिए। मानवाधिकार कार्यों में जानकारी के वितरण का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु यह ध्यान रखना जरूरी है कि जानकारी के श्रोत को कोई हानि नहीं पहुँचे। जानकारी के वितरण व पीछे की कार्यवाही के असर की चर्चा लोगों से हो जानी चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि जाने–अनजाने अन्वेषण टुकड़ी अपने निष्कर्षों की चर्चा न करें।

पीड़ित के प्रति आदर व परानुभूति – तथ्य अन्वेषण की प्रक्रिया तभी सुदृढ़ होगी जब पीड़ित के अनुभव को समझने का प्रयास हो, महज जानकारी एकत्र करने का नहीं। यह प्रक्रिया लोगों के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप है, यह समझ अपेक्षाओं पर अंकुश रखती है तथा अन्वेषणकर्ता को संवेदनशील बनाती है।

सांस्कृतिक संवेदनाओं को ध्यान में रखना व आदर करना जरूरी है – क्षेत्र विशेष की समझ उपयोगी होती है। इसमें लोग, इतिहास, सरकारी ढाँचा, संस्कृति, प्रथाएँ, भाषा वगैरह शामिल हैं।

2. **नीति और विस्तार परिभाषित करना** – संस्थागत नीति व प्राथमिकता निर्धारण से तथ्य अन्वेषण गतिविधि का प्रकार और विस्तार निर्धारित होता है। जैसे एक संस्था यह निर्धारित कर सकती है कि वह सिर्फ घरेलू हिंसा के मामलों व उनमें न्याय व पुनर्स्थापना की प्रक्रिया पर ध्यान देगी। मामले की गंभीरता, असरकारक हस्तक्षेप की सम्भावना, संसाधनों की उपलब्धता वगैरह के आधार पर संस्था नीति निर्धारण करती है। विशेषज्ञ की उपलब्धता, कार्यकर्त्ताओं की संख्या व उनकी क्षमता संस्था के संसाधन हैं जिन पर उसका विस्तार निर्धारित होता है। तथ्य अन्वेषण की तकनीक व दस्तावेजीकरण पर कार्यकर्त्ताओं की नियमित क्षमतावर्धन जरूरी है।

3. **मानकों का उपयोग** – तथ्य अन्वेषण के लिए मानवाधिकार के विभिन्न मानकों तथा कानून की समुचित जानकारी जरूरी है क्योंकि इनसे ही हनन की तथ्यता प्रस्थापित होती है। यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि सनसनी फैलाना ध्येय नहीं है परन्तु प्रस्थापित मानकों के आधार पर तटस्थ विश्लेषण से न्याय की पैरवी करना है। अधिकारियों तथा सरकारी नीति का पूर्ण सम्मान आवश्यक है।

4. **सबूतों की विश्वसनीयता** – सबूतों को एकत्र करने व तोलने के लिए मार्गरेखाएँ बनानी जरूरी होती हैं। एक मानदण्ड होना जरूरी नहीं है, पर संस्थाएँ जो भी मानदण्ड निश्चित करें उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें व जाहिर भी करें।

5. **मानवाधिकार हनन के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारण** – मानव अधिकार हनन के पीछे जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारण हों, तथ्य अन्वेषण के दरम्यान उन्हें पूर्ण रूप से समझना जरूरी है। इससे अन्वेषक घटना के कारणों, पीड़ित व अत्याचार करने वाले के विषय में ज्यादा केन्द्रित जानकारी ले सकेंगे।

6. **स्थानीय सम्पर्क विकसित करना** – तथ्यों तक पहुँचने के लिए स्थानीय सम्पर्क जरूरी होते हैं। यदि संस्था पहले से किसी क्षेत्र विशेष में संगठक व क्षमतावर्धन के कार्य में जुड़ी है तो इसमें फायदा होता है।

आभार : इस हिस्से को आकार देने के लिये डी. जे. रविन्द्रन, मैनुअन गुजमैन, बेब्स इगनाशियो द्वारा सम्पादित ''हेन्डबुक ऑन फैक्ट फाइन्डिंग अैन्ड डॉक्युमेन्टेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन्स'' व हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राईट्स, जिनीवा के यू. एन. कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'ट्रेनिंग मैनुअन ऑन ह्यूमन राइट्स मोनिटरिंग' – यू. एन. प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिरीज नं. 7 का उपयोग किया गया है।

तथ्य अन्वेषण के कदम

तथ्य अन्वेषण की प्रक्रिया का एक निश्चित स्वरूप है और नीचे दिए गए कदम उसमें मदद कर सकते हैं।

1. **पूर्व तैयारी** – समुचित पूर्व तैयारी तथ्य अन्वेषण की प्रक्रिया को वेग देगी, उसे सरल व केन्द्रित बनाएगी तथा निष्कर्षों को ठोस करेगी।

1.1 एक छोटी टुकड़ी (टीम) पूरी तथ्य अन्वेषण प्रक्रिया में जुड़े। यह टुकड़ी मामले की माँग व संस्थागत संसाधन को ध्यान में रखकर बनाई जा सकती है। किसी मामले में विशेषज्ञ की राय जरूरी हो सकती है। यदि पीड़ित महिला है तो अन्वेषण टीम में महिला का होना जरूरी होगा। यदि लगता है कि किसी मुद्दे पर बोलने में लोग हिचकिचाएँगे तो स्थानीय या जानकार व्यक्ति जरूरी होगा। टुकड़ी में कार्य करने से तटस्थता के प्रश्न नहीं होते व आपसी मतभेद तथा दूसरी प्रकार की रूकावटों की सम्भावनाएँ भी कम होती हैं। अत: टुकड़ी में कम से कम तीन व्यक्ति तो अवश्य हों। स्थिति के हिसाब से ज्यादा भी हो सकते हैं। टुकड़ी में महिला की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

1.2 यह जरूरी है कि घटनास्थल पर जाने से पहले अन्वेषण टुकड़ी साथ बैठकर घटना की उस समय तक मिली जानकारी की चर्चा कर लें व सुनियोजित तरीके से उसे लिख लें जिससे सभी की एक समझ रहे।

1.3 सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का विभाजन महत्त्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं। पहला, न्याय की सम्भावनाएँ बढ़ाने के लिए अन्वेषण में शीघ्रता जरूरी है जो कार्य के विभाजन पर निर्भर है। दूसरा यह कि जिम्मेदारियों की स्पष्टता से अन्वेषण का कोई चरण छूटता नहीं व बिना किसी असमंजस के निष्पादित होता है।

1.4 जहाँ तक सम्भव हो, किन दस्तवेजों का अध्ययन करेंगे, किनसे साक्षात्कार करेंगे व कौन–कौन से प्रश्न पूछेंगे, इनकी सूची पहले से बना लें। स्थिति के हिसाब से उनमें बदलाव किया जा सकता है।

तथ्य अन्वेषण के कदम

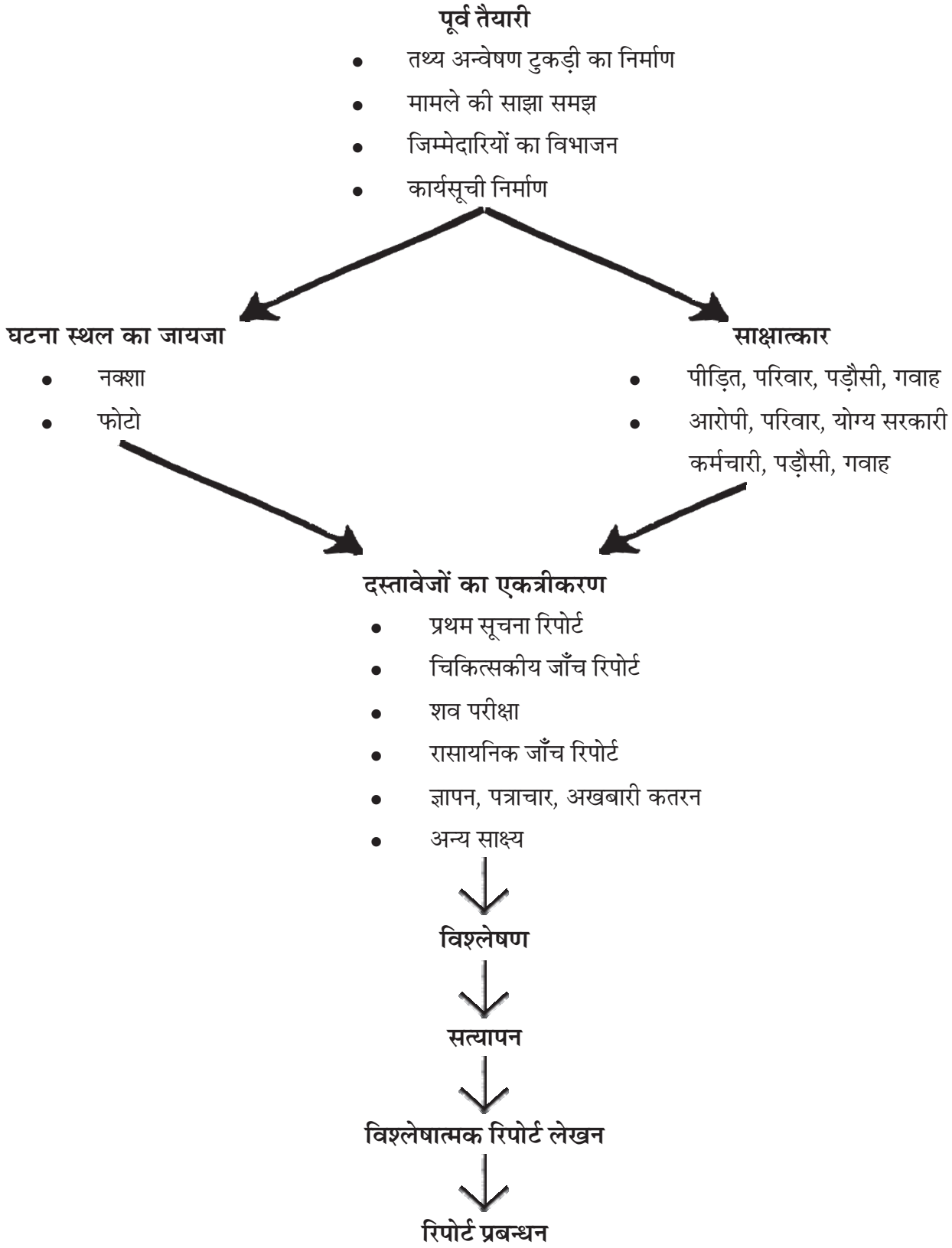

घटना स्थल के जायजे से मिली महत्त्वपूर्ण जानकारी

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले के बिरामी गाँव के निवासी रावताराम मेघवाल के तीन लड़के थे। सभी मजदूरी कर जीवनयापन करते थे। मँझला लड़का 24 वर्षीय पप्पूराम पिता के साथ ही मजदूरी पर जाता था। उसने अप्रैल 3, 2011 की रात को बबूल के पेड़ से फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसा अगले दिन सुबह पता चला। गाँव तथा परिवार के सभी लोगों ने मान लिया था कि पप्पूराम ने आत्महत्या ही की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मामले को हादसा दर्ज किया व दं. प्र. सं. की धारा 174 लगाई। शव परीक्षण में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। पुलिस जाँच ने पप्पूराम की मौत को आत्महत्या माना था।

तथ्य अन्वेषण टुकड़ी द्वारा स्थल की मुलाकात से निम्न निष्कर्ष निकले। शव के फोटोग्राफ इन बातों को प्रमाणित करते थे कि – पप्पूराम को जिस पेड़ की टहनी से लटकाया गया था वह काफी नीची थी और शव के घुटने मुड़े हुए थे। गले में बँधे गमछे में फाँसी वाली गाँठ नहीं थी। शव के पीछे गुदा पर चोटें थीं जिनसे काफी खून बहा था। पूरी पतलून खून से भर गई थी। पाँवों के तड़पने के निशान जमीन पर नहीं थे। शव की शारीरिक दशा से फाँसी द्वारा मौत का अंदेशा नहीं होता था। जहाँ शव मिला वहाँ पास में कोई नहीं रहता परन्तु पास से मोटरसाईकिल के टायरों के निशान मिले।

परिवार व ग्राम जनों से साक्षात्कार से दो महत्त्वपूर्ण बातें सामने आईं। दो वर्ष पहले गाँव के एक सरगरा जाति के लड़के की मौत पानी की टंकी से कूदकर हुई थी। पप्पूराम ने वाकये को होते हुए नहीं देखा था परन्तु उसके पास कुछ ऐसी जानकारी थी जो उस मामले को हत्या सिद्ध कर सकती थी। लड़के की माता ने बताया कि पुलिस थाने में रपट लिखवाई थी परन्तु हत्यारे का आज तक कुछ पता नहीं चला। जिन लोगों के साथ पप्पूराम का उठना-बैठना था, वाकये वाले दिन उसे उनके साथ देखा गया था। उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर तथ्य अन्वेषण टीम का यह मानना था कि पप्पूराम को मारकर पेड़ से लटकाया गया था। छः व्यक्तियों के नाम थे जिन पर इस कृत्य को करने की शंका थी। जाँच के गलत दिशा में जाने का पता चलते ही तीन बार जाँच अधिकारी बदलने का दबाव बनाया गया। पुलिस द्वारा सघन जाँच के बाद तीन आरोपियों को अगस्त 6, 2011 को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और उन्होंने गाँव वालों के सामने कबूल किया।

2. **घटनास्थल का जायजा** – घटनास्थल का दौरा स्थिति को समझने में मदद करती है। घटनास्थल तथा उसके आस-पास की स्थिति को नक्शे के रूप में कागज पर उतारा जा सकता है। यह नक्शा जितना विस्तृत होगा, स्थिति की समझ उतनी गहरी बनेगी। नक्शे से खास पता चलेगा कि घटना घर के अन्दर या बाहर हुई; घर की खिड़कियाँ व दरवाजे बन्द या खुले थे; घटना को देखने

व सुनने वाले सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन हो सकते हैं वगैरह। सम्भव हो तो फोटो लेना काफी उपयोगी सिद्ध होता है।

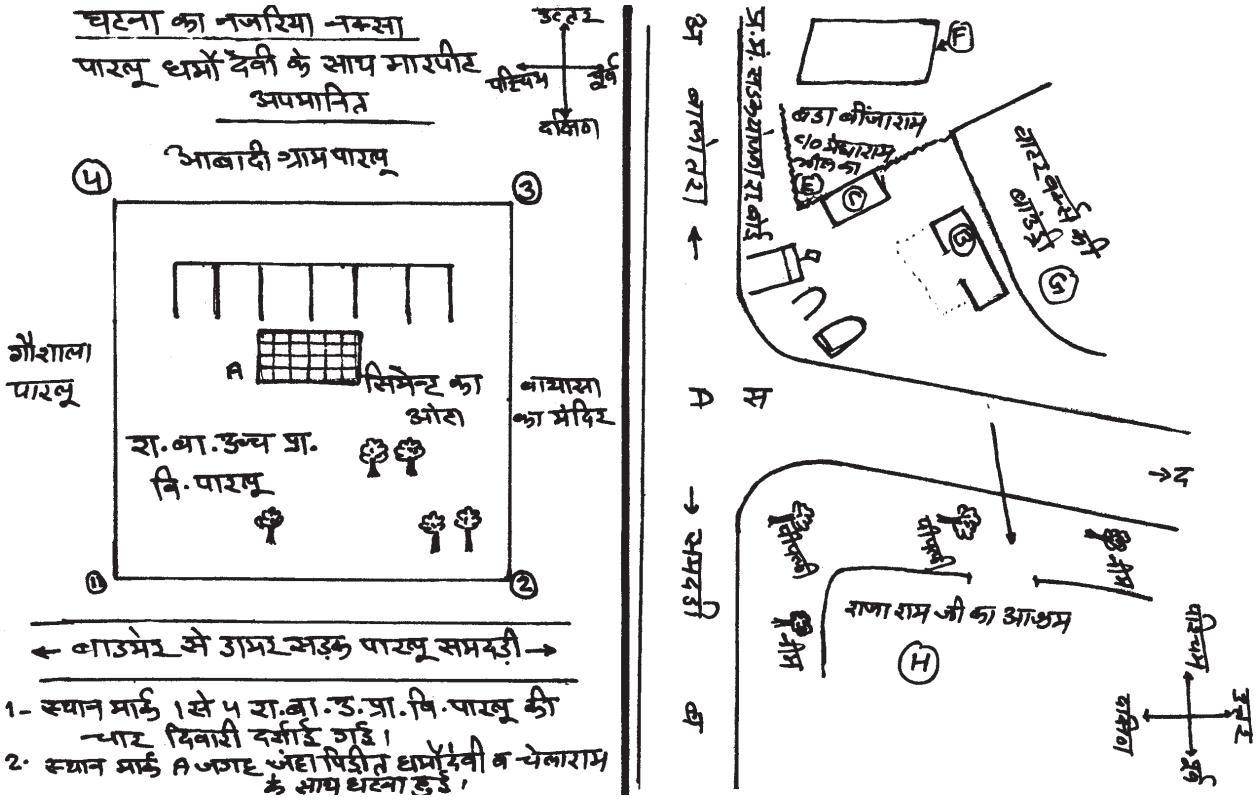

3. **साक्षात्कार** – विभिन्न पक्षों – पीड़ित, परिवार जन, परौषी, अन्य गवाह व अभियुक्त तथा उनका परिवार / परौषी – के साथ साक्षात्कार व उनके बयानों का लेखन तथ्य अन्वेषण प्रक्रिया की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। असरकारक साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ताओं की समुचित पूर्व तैयारी जरूरी है। साक्षात्कार प्राय: घटनास्थल की मुलाकात के साथ ही होते हैं।

3.1 साक्षात्कार से पहले अन्वेषण टुकड़ी का पूरा परिचय देना तथा प्रक्रिया का उद्देश्य स्पष्ट करना जरूरी है। सिर्फ पीड़ित ही नहीं वरन् किसी भी पक्ष से बात करने में संवेदनशील रवैया लाभदायक होता है।

3.2 बातचीत की जगह बहुत महत्त्वपूर्ण है। पीड़ित या गवाह से बात करते समय खास ध्यान रखा जा सकता है कि वहाँ दबाव या डर की स्थिति पैदा करने वाला व्यक्ति न हो। ऐसा देखा गया है कि कई पीड़ित पर घरवालों का भी दबाव होता है जैसे बलात्कार के मामले में वे शर्म या समाज का डर महसूस कर रहे हों।

पचपदरा की कमला देवी अपनी मर्जी से एक व्यक्ति के साथ रहने गई थीं। अपने परिवार के दबाव के कारण उन्होंने अपने ससुराल वालों पर उन्हें बेचने व बलात्कार करने के आरोप लगाये। पुलिस द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 161 के अन्तर्गत साक्षियों की परीक्षा में उन्होंने अलग बयान दिए तथा धारा 164 के अनुसार मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकृति में अलग बात कही। कमला देवी से अकेले में बात करने पर उन्होंने सच्चाई बताई तथा स्वेच्छा से अपने परिवार वालों के मान जाने की स्थिति में अपने प्रेमी से साथ रहने की इच्छा बताई। तथ्य अन्वेषण टीम ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। पुलिस ने तथ्य अन्वेषण टीम की बात को मानकर जाँच व कार्यवाही की तथा बेगुनाह बेवजह फँसने से बच गए।

3.3 साक्षात्कारकर्ता के लिए सुनने की कला अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सहजता से खुले प्रश्न पूछने से व्यक्ति बोलने के लिए प्रेरित होता है। बोलने वाले के लिए यह एहसास जरूरी है कि उन्हें ध्यान से सुना जा रहा है।

3.4 साक्षात्कार के समय जो बातचीत हुई है उसे लिखना जरूरी है। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कभी न लिखे। अन्वेषण टुकड़ी का एक व्यक्ति केवल लिखने का कार्य करे। जहाँ तक सम्भव हो साक्षात्कारी के शब्दों में लिखें। प्रश्न तथा उत्तर दोनों को ही लिखना आवश्यक है। इससे तथ्यों के विश्लेषण में मदद मिलेगी तथा साक्षात्कार की कमियों को पूरा कर सकेंगे। यदि सम्भव हो तो टुकड़ी के दो सदस्य लिख सकते हैं अथवा बातचीत रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे महत्त्वपूर्ण बातों के छूटने का भय कम रहेगा तथा आवाज में निहित भाव का विश्लेषण भी कर सकेंगे। रिकॉर्ड करने से पूर्व साक्षात्कारी की आज्ञा अनिवार्य है।

साक्षात्कार करते समय मोबाईल फोन पर बात नहीं करें। जैसी भी जगह मिले बैठ जाएँ। पीड़ित से अलग या ऊँचाई पर बैठने से बचें। यथासम्भव बिना टोके पीड़ित को खुलकर बोलने दें।

3.5 आरोपी पक्ष से साक्षात्कार भी जरूरी है। कई बार यह मुश्किल हो सकता है पर इसके बिना तथ्य अन्वेषण अधूरा है। अत: आरोपी पक्ष के बयान लेने की हरसम्भव कोशिश होनी चाहिए। इससे घटना के पीछे की मंशा को लेकर स्पष्टता होती है। कई बार देखा गया है कि अपने पक्ष को बल देने के लिए पीड़ित या उनके पक्षकार कुछ बातें बढ़ाकर बोलते हैं या पुराने झगड़े तथा उसमें अपनी भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। आरोपी पक्ष से वार्तालाप अन्वेषण को तटस्थता प्रदान करता है।

आरोपी के साथ चर्चा : केस में दिशा परिवर्तन

आरोपी से बात कर मामले के बारे में तथा उस घटना के होने या गम्भीरता के आकलन का सही अन्दाजा होता है। यह भी समझने का मौका मिलेगा कि वे कौन से हालात हैं जो घटना होने के लिए कारण बनते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आरोपी से चर्चा करने पर तथ्य अन्वेषण टीम को मामले के बारे में कई महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली है।

गणपतराम खेती करता है। खेत को समतल करने के लिए जिस बिजली के खम्बे के टुकड़े को ट्रेक्टर के पीछे बांधकर उपयोग करते हैं, वो गणपतराम बिना पूछे अपने पड़ौस के सिकन्दर मुसलमान से ले आया। वापिस देने के लिए नहीं गया। सिकन्दर व उसके साथी गणपत के घर आये तथा दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ भी मारा। सिकन्दर ने फोन करके गाँव से अपने साथियों को बुला लिया। सबने मिलकर गणपत व उसकी पत्नी जमना को मारा। गणपतराम के 80 वर्षीय पिता चैनाराम व अन्य सदस्य ये सुनकर आए कि उनके घर में कोई हमला हो गया है। रास्ते में आरोपियों ने उन पर हमला कर उन्हें घायल किया।

अक्टूबर 14, 2011 को पुलिस थाना फलौदी (जोधपुर ग्रामीण) प्राथमिकी संख्या 291/11 में जमना देवी की ओर से 376, 365, 323 आईपीसी एवं 3(1)(12) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया गया। जमना देवी ने रिपोर्ट में कहा कि उसके साथ सिकन्दर पुत्र अता मोहम्मद ने बलात्कार किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति को अगवा कर लिया गया था।

अक्टूबर 15, 2011 को पुलिस थाना फलौदी (जोधपुर ग्रामीण) में प्राथमिकी संख्या 292/11 में इमरताराम पुत्र श्री चैनाराम मेघवाल निवासी बैंगटी कल्ला की ओर से 143, 447, 323, 379 आईपीसी एवं 3(1)(10) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया गया।

मामले का खुलासा आरोपी पक्ष के द्वारा कही गई जानकारी को परखने के बाद हुई। आरोपी ने दावा किया कि यदि बलात्कार की बात सच निकली तो वो हर सजा के लिए तैयार होंगे। उनके आत्मविश्वास से भरी तथा सैंकड़ों लोगों के बीच में कही बात ने सोचने पर विवश किया। आरोपियों ने ही जानकारी दी कि गणपतराम खुद भागा था और कहाँ छुपा था। आरोपी पक्ष ने माना कि वे आपस में लड़े हैं तथा ज्यादा संख्या में थे इसलिए सामने वाले को चोटें आईं।

वर्ष 2011 में मंगलाराम का मामला सुर्खियों में आया। मंगलाराम ने कहा था कि ग्राम पंचायत में चल रही गड़बड़ी के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी माँगने पर सरपंच ने उन्हें कुल्हाडी व डंडे से पीटा।

आरोपी पक्ष से बातचीत के दौरान पता चला कि घटना की वजह सूचना लेना नहीं है, चुनावों में मंगलाराम के द्वारा सरपंच के सामने खड़ा होना है। लोगों का कहना था कि वो गाँव के कुछ लोगों से उलझ गया था और

उन्होंने ही उसके साथ मारपीट की। मारपीट में सरपंच शामिल नहीं था। यह जानकारी मंगलाराम के साथ मारपीट के मामले की कमजोर कड़ी बन गई। आरोपियों की जानकारी के आधार पर सामने आ सका कि कोई एक व्यक्ति 200 लोगों के बीच में इतने वार कैसे कर सकता है जिससे दोनों हाथ और दोनों पैर टूट जाएं। पीड़ित मारने वाले लोगों का नाम न बताकर, घटना को सरपंच के विरूद्ध उपयोग करना चाहता था।

जस्सू देवी की मौत को उसके पीहर वाले व अन्य लोग दहेज हत्या बता रहे थे। तथ्य अन्वेषण टीम को जस्सू देवी के पति व सास से पता चला कि पति के अपनी भाभी के साथ अवैध सम्बन्ध थे। भाभी का फोन आने पर पति बाहर जाकर उससे बात करने लगा तो जस्सू ने पीछे से सब कुछ सुन लिया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी जेठानी मेरा घर खा रही है। उसका पति उसे रोकने लगा, जबरदस्ती उसे घर के अन्दर ले जाने लगा और मारपीट भी की। उसको अन्दर ले जाने में पति के चाचा शंकरलाल व बड़ी माँ टीपू देवी ने भी मदद की। अन्दर जाकर भी वो रोती रही तो तीनों ने उसे पकड़े रखा तथा उसका मुँह दबा दिया। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा गया। विरोध कम नहीं हुआ तो उनके मुँह की पकड़ व दूसरे हाथ से गले तक पहुँच गई जिससे जस्सू देवी की सांसें घुटने लगीं और थोड़ी देर में वो शांत हो गई। जब तीनों को एहसास हुआ कि जस्सू देवी मर गई है तो हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। एक रस्सी लगाकर उससे थोड़ी देर लटका दिया। आखिर में नीचे उतारकर लोगों को बुला लिया।

4. **अन्य जरूरी दस्तावेजों को एकत्र करना** - कई बार ऐसा होता है कि अन्वेषण टुकड़ी को घटना की जानकारी देर से मिलती है। ऐसे समय में जाँच व सम्बन्धित प्रक्रियाएँ आगे बढ़ गई होती हैं। तब मामले से सम्बन्धित दस्तावेजों को लेना व विश्लेषण अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। शुरूआत से जुड़े होने पर भी दस्तावेज न्याय की दिशा दिखाने में तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता या संस्था के हस्तक्षेप का प्रमाण देते हैं। निम्नलिखित दस्तावेज महत्त्वपूर्ण हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट से घटना व उसके क्रम का विवरण तथा कानून की कौन सी धाराएँ लगी हैं इसकी जानकारी मिलती है। जाँच अधिकारी का भी पता चलता है। चिकित्सकीय जाँच रिपोर्ट मारपीट जैसे अत्याचार के मामलों में महत्त्वपूर्ण है। इनसे जायजा लगाया जा सकता है कि कितनी व कैसी चोटें हैं तथा किस प्रकार के हथियार का उपयोग हुआ है। इनका अपराध की धाराओं पर असर होता है। यदि अंदरूनी अंगों पर चोट है, गहरी चोट है, सर पर चोट है या धारदार हथियार से चोटें की गई हैं जो अपराध की धारा 'जान से मारने के उद्देश्य से मारपीट' होती है।

कोशिश करें कि पीड़ित, गवाह व आरोपी से मिलने के बाद ही सरकारी अधिकारी से मिलें। पीड़ित से किसी भी प्रकार का मूल दस्तावेज नहीं लें।

घटनास्थल का नजरी नक्शा पुलिस द्वारा की गई जाँच का भी अहम् हिस्सा होता है व इसके विश्लेषण से घटना के तुरन्त बाद की स्थिति का जायजा मिल सकता है। यदि किन्हीं महत्त्वपूर्ण बातों को नहीं दर्शाया गया है या अपूर्ण दर्शाया गया है तो वह पैरवी के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो सकता है। शवपरीक्षा की रिपोर्ट हत्या के मामलों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। इस रिपोर्ट से खासकर व्यक्ति की मौत की समयावधि व मौत के कारण पर प्रकाश पड़ता है। रासायनिक जाँच भी हत्या के मामलों में महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालती है।

बाबूराम की हत्या में जागी न्याय की उम्मीद

पेशे से किसान बाबूराम भील घर से दूर अपने परिवार के साथ अपने जागीरदार के पास काम करने के हिसाब से रह रहा था। उसे वहाँ पूरे परिवार के साथ काम करने पर 25 प्रतिशत हिस्सा मिलता था। फसल आने पर बाबूराम ने अपना हक माँगा। उनके बीच में कहा-सुनी हो गई तथा बाबूराम को हक माँगने के एवज में मौत मिली। जाँच भी बाबूराम के खिलाफ चली गई। तीन दिनों तक लाश मुर्दाघर में पड़ी रही लेकिन प्रशासन ने एक ही बात कही कि ये दिल के दौरे से हुई मौत है। इसमें किसी साजिश की बू नहीं आती है। केस बंद हो गया। रासायनिक जाँच की रिपोर्ट आई तो सभी अधिकारियों की आँखों से पट्टी हट गई। उनको उसी केस को हत्या में दर्ज करना पड़ा तथा आज वे हत्या के मामले के तौर पर उसकी जाँच फिर से कर रहे हैं। नौ माह बाद फाईल खुली लेकिन जाँच को रासायनिक जाँच रिपोर्ट ने मजबूत कर दिया है जिसमें जहर के होने का उल्लेख है।

मामले के सम्बन्ध में ज्ञापन, अन्य पत्राचार या अखबारी कतरण तथा सम्भव हो तो अन्य साक्ष्य एकत्र रख सकते हैं। अपराध करने वाले ने पूर्व में भी ऐसे वारदात किए हों तो उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों का एकत्रीकरण न्याय की पैरवी को मजबूती देता है।

शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) के बारे में आवश्यक जानकारी

हत्या व संदेहास्पद मौत के मामलों में सही शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) होना जरूरी है। यह रिपोर्ट सबूतों का मुख्य आधार होती है। पोस्टमार्टम प्रशिक्षित डॉक्टर ही कर सकता है तथा यह कार्यवाही पुलिस के निवेदन पर ही की जाती है। मृत्यु के बाद शव परीक्षण जितना जल्दी हो, उतना बेहतर होता है। देर होने पर शरीर में परिवर्तन होता है जिसका असर सबूतों पर पड़ता हैं। शव परीक्षण रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा 24 घण्टे में पुलिस को देनी पड़ती है। रिपोर्ट के तीन भाग होते हैं – मृतक तथा मृत्यु की प्राथमिक जानकारी, मृतक शरीर का विस्तृत विवरण (सभी अंगों की स्थिति के बारे में), तथा मृत्यु का कारण व समय का अन्दाज। पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) में मृत्यु का सही समय पता नहीं चलता पर अंदाज लगाया जा सकता है। यह अन्दाज कई कारकों के आधार पर बनाया जाता हैं जैसे शरीर का तापमान, भोजन की स्थिति वगैरह।

हत्या व हिरासत में हुई मौत के मामलों में वीडियो सी.डी. बनाना जरूरी है। ऐसा होने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश कम रहती है तथा साक्ष्य के रूप में भी काम आती है। यदि इस प्रकार के मामलों में चिकित्सक गलत रिपोर्ट करता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 में मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। दहेज हत्या, पुलिस हिरासत में मृत्यु, पुलिस मुठभेड़ आदि मामलों की जाँच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। परीक्षण रिपोर्ट की प्रति उपयुक्त शुल्क भरकर प्राप्त की जा सकती है।

5. **विश्लेषण** – असरकारक विश्लेषण के बिना साक्षात्कार व दस्तावेज एकत्रीकरण अर्थहीन हो जाते हैं। विश्लेषण शीघ्र हो, साथ बैठकर हो व सभी पहलुओं पर सम्पूर्ण चर्चा हो यह अत्यंत जरूरी है। निम्न पहलू विश्लेषण के भाग होंगे – घटनास्थल के विवरण के निष्कर्ष; पीड़ित के साक्षात्कार से क्या बातें निकलती हैं; साक्षी व आरोपी पक्ष के बयानों में समानताएँ, विसंगतियाँ, किन बातों की सत्यता प्रमाणित हो रही या नहीं हो रही है; तथा दस्तावेजों से मुख्य क्या बातें निकलकर आ रही हैं।

गाँव या परिवार के निवास से दूर कर टीम के साथ बैठकर यह देखना व चर्चा करनी चाहिए कि कोई बात छूटी तो नहीं। प्रत्येक दिन शाम को टीम की कुछ समय के लिए समीक्षा बैठक होना अतिआवश्यक है। ताकि काम की स्थिति के बारे में सभी को जानकारी हो सके।

विश्लेषण अंत में किया जाने वाला कार्य नहीं है। यह प्रक्रिया के बीच में जितनी बार हो सके उतना अच्छा है। इससे अन्वेषण टुकड़ी की एक सी समझ बनती है। विसंगतियों की समझ भी समय से बन पाती है जिन पर ज्यादा अन्दरूनी छानबीन या अन्य श्रोत से सत्यापन की कार्यवाही की जा सकती है।

कानूनी लड़ाई में कानूनी पहलुओं के अलावा कई सारी बातें महत्त्वपूर्ण होती हैं। इसलिए जरूरी है कि पीड़ित तथा आरोपी की आर्थिक स्थिति, गाँव में पिछले कुछ सालों में हुए अन्य इसी प्रकार के अपराध, पीड़ित के परिवार की स्थिति तथा केस को असर कर सकें ऐसे लोग (सामाजिक पंच, गाँव के नेता, राजनीतिक व्यक्ति, वगैरह) तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं को भी तथ्य अन्वेक्षण में शामिल हो। कई बार कानूनी रूप से मजबूत मुकदमा अन्य सामाजिक कारणों की वजह से सफल नहीं हो पाता।

6. **जानकारी का सत्यापन (ट्राईऐंगुलेशन)** – एक असरकारक तथ्य अन्वेषण व निष्कर्षों की विश्वसनीयता तथा गंभीरता से उन पर कार्यवाही के लिए जानकारियों में से विसंगतताओं को दूर करना जरूरी है। जब एक श्रोत द्वारा दी गई जानकारी दूसरे श्रोतों से प्रमाणित होती है तो उनका सत्यापन हो जाता है।

7. **तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट** – तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट मानवाधिकार पर कार्य कर रही संस्थाओं के लिए आगे की कार्यवाही का आधार बनती है। पीड़ित को कानूनी सहायता दी जा सकती है तथा न्याय तंत्र के विभिन्न स्तरों में पैरवी होती है। पूर्ण व स्पष्ट विवरण तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट को असरकारक बनाता है। रिपोर्ट में निम्न बातें अवश्य शामिल की जानी चाहिए। हर विवरण तथा विश्लेषण के साथ मूल बयानों या दस्तावेजों का पृष्ठ संख्या के साथ हवाला जरूरी है।

- घटना का सम्पूर्ण विवरण जिससे घटनाक्रम स्पष्ट हो सके;
- घटनास्थल की मुलाकात से निकले निष्कर्ष जिसमें खासकर विवरण, विश्लेषण व निष्कर्ष तक पहुँचने के कारण समाहित होंगे। आधार स्वरूप स्थल पर बनाया नक्शा संलग्न कर सकते हैं।
- साक्षात्कारों से निकले निष्कर्ष जिनमें घटना, क्रम, मंशा वगैरह के साथ-साथ विसंगतताओं का भी वर्णन हो। किन बातों का सत्यापन हो पाया है और कौन सी बातें निराधार हैं वे स्पष्ट रूप से चिह्नित होनी चाहिए।
- दस्तावेजों से निकले निष्कर्ष जिनसे जरूरी सबूतों की जानकारी तो मिलेगी ही, न्याय के लिए कार्यवाही स्पष्ट होगी। यदि चिकित्सकीय जाँच, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट में कमियाँ नजर आती हैं तो उनका स्पष्ट विवरण शामिल होगा।
- अन्वेषणकर्ताओं के अनुभवों का विवरण व विश्लेषण महत्त्वपूर्ण है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होना चाहिए कि मानव अधिकारों के किन मानकों का हनन हुआ है अथवा किन कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। विश्लेषण से ही पैरवी की माँग निकलना जरूरी है। अन्वेषणकर्ता अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि विश्लेषण व माँगों में इतनी स्पष्टता हो कि रिपोर्ट पढ़ने वाले के मन में कोई प्रश्न न रहे।

रिपोर्ट का काम उसी दिन पूरा करें। कोई भी काम बकाया नहीं रखें। लिखकर एक बार देख लें कि कोई बात छूटी तो नहीं है। यदि कोई गेप लगता है तो अगले दिन का काम शुरू करने से पहले पिछले दिन के काम को पूरा कर लें।

8. **तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट का प्रबन्धन** - हर मामला जिसका तथ्य अन्वेषण हो रहा है, उसकी एक अलग फाइल बनाएँ जिसमें उससे सम्बन्धित सभी जानकारी प्रक्रिया के दौरान व बाद में रखी जा सके। फाइल में सुनियोजित रूप से कागजों को रखने का क्रम निम्नांकित हो सकता है।
- विषयवस्तु जिसमें पन्ने के नम्बर के साथ शीर्षक लिखे हों - पन्ने नम्बर के साथ शीर्षकों के होने से पढ़ने वाले को सरलता होती है व किसी भी शीर्षक को ढूँढ़ने में बिना वक्त गँवाए वह बार-बार देख सकता है। सभी पन्नों पर नम्बर होने से दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ होने की सम्भावना भी कम हो जाती है।
- सारांश - एक या दो पन्नों में इस प्रकार संक्षिप्त विवरण प्रदान करें कि पढ़ने वाले को मामले के मुख्य बिन्दु व उसमें की गई कार्यवाईयों का बिना पूरा दस्तावेज पढ़े ही ज्ञान हो जाए। फिर किसी बिन्दु पर ज्यादा जानकारी की

जरूरत महसूस होने पर उस शीर्षक विशेष का अध्ययन किया जा सकता है।

- तथ्य अन्वेषण की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट – यह रिपोर्ट तथ्य अन्वेषण टीम द्वारा बनाई गई होती है व इसमें पीड़ित की जानकारी, आरोपी पक्ष की जानकारी, अन्य साक्ष्य व विभिन्न साक्षात्कारों और दस्तावेजों के सार तथा विश्लेषण मुख्य होते हैं। विश्लेषण के साथ मूल बयानों व दस्तावेजों का हवाला पृष्ठ संख्या के साथ होता है जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें देखा जा सके। तथ्य अन्वेषण के निष्कर्ष स्पष्ट लिखे होने चाहिए। इनमें खास निम्न बातों को दर्शाना जरूरी है – मानवाधिकार के किन मानकों का हनन हुआ है; अपराध का प्रकार व विधि की योग्य धाराएँ; न्याय की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही हुई है व उसमें क्या कमियाँ हैं।

  उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार संस्था की क्या रणनीति होगी यह भी स्पष्ट लिखें। इसमें स्पष्ट रूप से पीड़ित की जरूरतों का उल्लेख होगा जैसे काउन्सलिंग, चिकित्सकीय जाँच, कानूनी सलाह, वित्तीय सहायता वगैरह तथा न्याय के सम्बन्ध में क्या, किससे और कैसे पैरवी करनी है व किस माध्यम का उपयोग करना है, यह विवरण होगा। पीड़ित, साक्षी व आरोपी के बयान व मामले से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज शामिल होंगे।

दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या करें

- तथ्य अन्वेषण के साथ या उसके दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि मामला दर्ज हो तथा चिकित्सकीय जाँच हो जाए। यातना पुलिस द्वारा होती है तो भी यही प्रक्रिया हो। डॉक्टर जाँच करने व रिपोर्ट देने से मना करे तो तत्काल एस.पी. व मजिस्ट्रेट को तार से घटना का विवरण लिखकर भेज दें। उसके बाद प्राईवेट चिकित्सालय में भी मेडिकल जाँच करवाई जा सकती है।
- दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता यह जरूर ध्यान रखें कि तथ्य अन्वेषण पुलिस जाँच, अदालती या रासायनिक जाँच, चिकित्सकीय जाँच या शव परीक्षण का विकल्प नहीं है और न ही उनकी तकनीकी गहराई इसमें होने की जरूरत है। इसका आधार ज्यादा लोगों के बयानों व स्पष्ट नजर आने वाली जानकारियों पर है। अत: इनका उपयोग औपचारिक जाँच में मदद के लिए किया जा सकता है। औपचारिक जाँच में विभिन्न कारणों से रूकावटें महसूस हो रही हों तो उचित दबाव बनाने या जाँच बदलवाने के लिए इनका उपयोग उचित होता है।
- दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता ज्यादातर अपने कार्यक्षेत्र में जागृति व संगठक कार्यवाही में लगे होने के कारण लोगों को अपने लगते हैं व उनके भरोसापात्र होते हैं। यह तथ्य अन्वेषण के दौरान उनके लिए फायदाकारक सिद्ध होता है। पुलिस वाला डर नहीं होने के कारण लोग अपने मन की पीड़ा आसानी से कह देते हैं। बातों–बातों में जानकारी लेने में परेशानी नहीं होती।
- जहाँ तक सम्भव हो सरकारी कर्मचारियों के साथ दौरा न करें। यदि दलित गरीब वर्ग में विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो गाँव के सत्ताधीन वर्ग से ज्यादा नजदीकी न बढ़ाएँ।

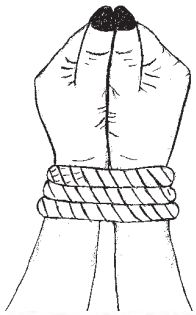

5. न्याय व्यवस्था का उपयोग

किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में कानून के अनुसार उसे दण्ड देने की जिम्मेदारी राज्य की है। भारत की दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अपराध की जाँच व आरोपी की सुनवाई संबंधित प्रक्रियाएँ दर्ज हैं। यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे।

प्रथम सूचना रिपोर्ट

न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नजदीकी थाने में अपराध की सूचना तुरन्त दर्ज होना जरूरी है। अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा लिखित में उसका विवरण दर्ज किया जाता है। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) कहते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट से कानूनी कार्यवाही व न्याय की प्रक्रिया आरम्भ होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जाँच शुरू करती है। यह रिपोर्ट मामले का आधार बनता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के पैसे नहीं लगते। यदि थाने में कोई इसके लिये पैसे माँगता है तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से की जा सकती है।

यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दूसरे सबूतों से मेल न खाए तो दूसरे सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। अदालत संदेह करती है।

जहाँ तक सम्भव हो प्रथम सूचना रिपोर्ट वही दर्ज कराएँ जिन्होंने घटना होते हुए खुद के आँख से देखा है। अन्यथा कोर्ट में विवरण की सत्यता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है; परन्तु अपराध हमेशा समाज के खिलाफ हुआ समझा जाता है। अत: कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस स्टेशन का इन्चार्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है। उसकी अनुपस्थिति में निचला अधिकारी यह कार्य कर सकता है, परन्तु दर्ज करने वाला अधिकारी हमेशा कॉन्सटेबल स्तर से ऊपर होना चाहिए।

जिस थाने के क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है, वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा

सकती है। अन्यथा मामले को डेली डायरी (रोजनामचे) में दर्ज करने के बाद रिपोर्ट लिखाने के इच्छुक व्यक्ति को अन्य थाने भेजा जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के तुरन्त पहले व बाद में रोजनामचे में समय के साथ विवरण लिखा जाता है जहाँ तक सम्भव हो, ध्यान दिया जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्न बातें आ जाएँ। घटना से सम्बन्धित सभी जानकारी सही व स्पष्ट रूप से दर्ज हो।

- जानकारी देने वाले व्यक्ति ने घटना अपने आँखों से देखी है या उसके बारे में सुना है;
- अपराध का स्वरूप;
- आरोपी का नाम तथा जितना सम्भव हो उसकी शारीरिक विशेषताओं का विवरण जैसे कद, रंग, उम्र, कपड़े, चेहरे या दिखने वाले अंगों पर कोई निशान वगैरह;
- पीड़ित का नाम व परिचय, घटना की तारीख व समय, स्थल जहाँ अपराध हुआ;
- अपराध का उद्देश्य; किस प्रकार से अपराध किया गया उसका विवरण;
- गवाहों के नाम व पता;
- यदि आरोपी ने वस्तुएँ ली हैं तो उनकी सूची; तथा
- आरोपी द्वारा अन्य कोई प्रमाण छोड़े गए हों जैसे चप्पल, जूतों के निशान वगैरह तो उसका विवरण।

जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है, उसी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी नहीं होता। यदि कोई किसी अपराध के बारे में जानता है या होते हुए देखा है तो वह भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। पुलिस अधिकारी स्वयं भी एफ. आई. आर. दर्ज कर सकता है।

पुलिस कर्मचारी यदि सूचना देने वाले से पुष्टि कर लेते हैं कि उसे आरोपी को अच्छी तरह देखने का योग्य समय मिला, अपराध यदि रात को हुआ तो वहाँ रोशनी बराबर थी या नहीं और आरोपी से सूचना देने वाले की कोई बात हुई या संघर्ष हुआ तथा ये बातें भी दर्ज होती हैं, तो केस को मजबूती मिलती है।

यदि थाना अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करता है तो लिखित में अपराध की जानकारी का सार पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है। जानकारी संज्ञेय अपराध सम्बन्धित है, इस बात की संतुष्टि कर अधीक्षक खुद या अपने निचले अधिकारी से जाँच करवा सकते हैं। [दं. प्र. सं. धारा 154 (3)] सीधे कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। [दं. प्र. सं. धारा 200] प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना करने वाले पुलिस कर्मचारी के लिए कानूनन दंड का प्रावधान है जो दो वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है [भा. दं. सं. धारा 217]

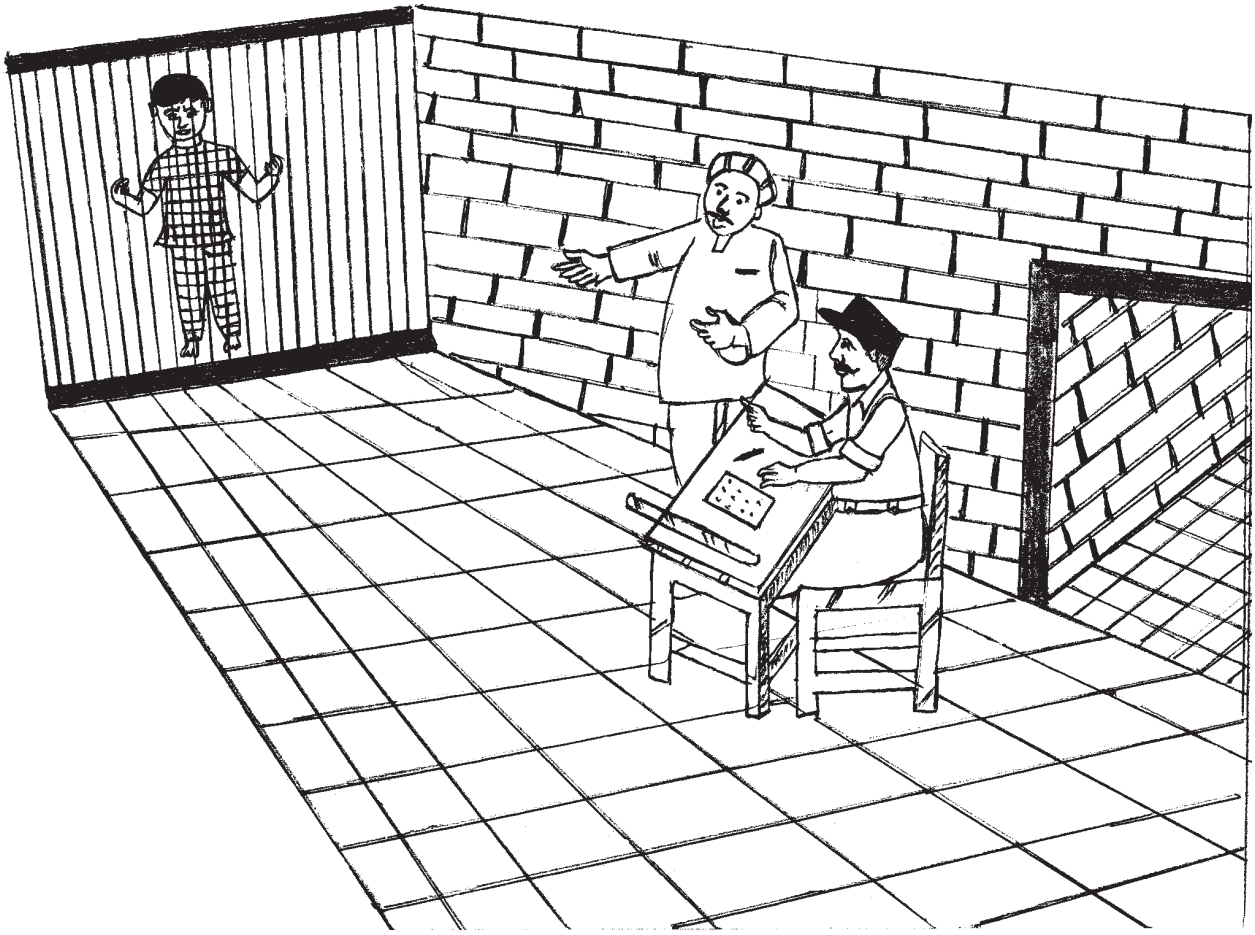

अत्याचार के मामलों का असत्य घोषित होना - न्याय के लिए चुनौति

पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने की स्थिति में कोर्ट में शिकायत दर्ज करने को इस्तगासा कहा जाता है। पिछले दो सालों में इस्तगासा से दर्ज कराए मामलों से पता चलता है कि सिर्फ एक मामले को छोड़ कर पुलिस ने सभी में नकारात्मक रूख अपनाया व जाँच के बाद उसे असत्य (फाल्स रिपोर्ट) घोषित किया। जाँच के बाद मामलों को असत्य घोषित किए जाने के चार कारण स्पष्ट होते हैं।

1. इस्तगासा को पुलिस अपनी व्यवस्था के खिलाफ चुनौती के रूप में लेती है;

2. कई बार मामले की गम्भीरता को बढ़ाने के लिए पीड़ित द्वारा कुछ असत्य बातें जोड़ी जाती हैं जो सही में हुए अत्याचार का पलड़ा भी हल्का कर देती है;

3. आरोपी तथा समाज के अत्यधिक दबाव में पीड़ित पक्ष राजीनामे के लिए तैयार हो जाता है व अपनी ही सूचना को गलत करार देता है।

4. आरोपी पक्ष पीड़ित को रिपोर्ट दर्ज न करने देने के लिए कई हथकण्डे अपनाते हैं जैसे पीड़ित के परिवार को बंदी बनाकर रख लेना, हत्या को आत्महत्या बताकर बिना शव परीक्षण वगैरह के लाश को जला देने का दबाव बनाया जिससे सबूत नष्ट हुए।

जुलाई 19, 2011 को सिवाना तहसील के समदड़ी थाना क्षेत्र में रामाराम की हत्या कर दी गई और शव को पेड़ से टाँग दिया गया। उसके परिजनों पर दबाव बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने जब कार्यवाही के लिए प्रयास किए तो आरोपियों ने दबाव के जरिये केस को थाने में दर्ज नहीं होने दिया। अगस्त 16, 2011 के इस्तगासे के द्वारा केस दर्ज करवाया गया लेकिन जाँच आज भी जारी है।

मई 18, 2005 को गाँव धीरा (सिवाना, जिला बाड़मेर) के घेवरराम सरगरा को मारकर कुएं में डाल दिया गया। उसके पिता मोटाराम ने बताया कि उनको बंधक बनाये रखा और मामले को दर्ज नहीं कराने दिया। मोटाराम को घर से आरोपी यह कहकर लाये कि अरण्डी बेचनी है इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। वहाँ जाने पर बताया कि आपके बेटे ने खुदकुशी कर ली है तथा किसी को बताओगे तो खुद फंस जाओगे। उसके बाद उन्होंने लाश निकाली तथा साथ रहकर अंतिम संस्कार किया। मोटाराम व उसके परिजनों को बंधक के रूप में एक गाड़ी में बिठाये रखा। अगले दिन थाने ले जाकर खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये और कह दिया कि केस के बारे में किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। मोटाराम जैसे ही कुछ दबाव से दूर हुए तो वो अभियान के पास आये तथा अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि उनके बेटे की हत्या हुई है तथा वे मामला दर्ज करवाकर न्याय चाहते हैं। केस इस्तगासे के द्वारा दर्ज करवाया गया। कोर्ट ने जून 6, 2005 को केस दर्ज करने के लिए भेज दिया। केस दर्ज तो हुआ लेकिन पुलिस ने मामले में अदम वकू (असत्य) लिख दिया। पीड़ित परिवार ने कोर्ट में भी बयान दर्ज करवाने के लिए अपील

की लेकिन तब तक सभी सबूत नष्ट हो चुके थे। केस में आज तक सुनवाई चलती रही तथा 2011 में इसके बारे में फैसला आया कि इसे अस्वीकार किया जाता है, केस असत्य है तथा मामले की फाईल बंद कर दी जाए।

गाँव करमावास (सिवाना, जिला बाड़मेर) निवासी घेवरराम का 16 वर्षीय बड़ा बेटा रायपुर (कर्नाटक) में गाँव के ही होटल व्यवसायी के साथ मजदूरी के लिए गया था। घेवरराम इस बात से खुश हो रहा था कि अब उसका बेटा कमाने लगा है। कुछ समय के बाद बच्चे ने कहा कि उसे तंग किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट होती है। घेवरराम ने बच्चे को घर बुला लिया। कुछ दिन बाद ठेकेदार का फोन आया कि बच्चे को भेज दिया है तथा पहुँचते ही समाचार कर देना। दो दिन बीत गए तो घेवरराम ने बेटे के साथ आने वालों से सम्पर्क किया। उन्होंने कहा कि लड़का उनके साथ अहमदाबाद से तो चढ़ा था लेकिन लूणी में साथ नहीं उतरा। घेवरराम पुलिस के पास गया। उसकी पीड़ा की थाह लेने वाला को नहीं था। सभी कह रहे थे कि मामला उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है। वो पुलिस अधीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक के पास गया, यहाँ भी कोई राहत नहीं मिल सकी। केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में इस्तगासा किया गया। पुलिस ने कहा है कि मामले में सत्यता नहीं है।

अध्यापक संतोकलाल को आये दिन अपमानित किया जाता था। कई बार वो सहन कर लेता और कई बार उसका विरोध करता। दलितों में भी पिछड़ा माने जाने वाले वाल्मिकी समाज के संतोकलाल को अपने समाज में भी संघर्ष कर अपने आपको स्थापित करना पड़ता है। अगस्त 4, 2010 को सिलोर में मां-बेटी सम्मेलन था जिसमें कई प्रकार के कार्यक्रम रखे गए थे। कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के लिए चाय व नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने संतोकजी से कहा कि आप समदड़ी कस्बे से आ रहे हैं तो आते वक्त नाश्ते के लिए कुछ आवश्यक सामग्री ले आना। वो मिठाई व नमकीन ले आये। स्कूल में आते ही अध्यापकों ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे लिए मिष्ठान लाओ। संतोकजी कुछ समझते उससे पहले तो मामला धक्का-मुक्की व गाली-गलौच तक आ गया। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया। मिठाई किसी ने नहीं खाई और गाँव से दूसरी मिठाई मंगवाकर लोगों को खिलाई गई। मामले के बाद संतोकजी ने केस करने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट के प्रयास किए गए। आखिर हारकर उन्होंने इस्तगासे के द्वारा केस दर्ज करवाया। पुलिस को ये मामला झूठा लगा।

यह मामला पुलिस व तहसीलदार के सकारात्मक रवैये का उदाहरण है। पोकरण (जिला जैसलमेर) के जसवंतपुरा गाँव के निवासी पदमाराम मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाही कि उसके खेत को गाँव के दबंगों ने दबा लिया है तथा केस के बारे में कार्यवाही की जाए। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। अपने 75 बीघा खेत को जाता हुआ देख पदमाराम ने दलित अधिकार अभियान के कार्यकर्ताओं को अपनी पीड़ा बताई। दबंग उसे खेत में जाने से रोक रहे थे तथा किसी प्रकार की कार्यवाही भी नहीं होने दे रहे थे। कार्यकर्ताओं ने वकील के द्वारा इस्तगासा करवाया जिसके बाद कोर्ट में मुकदमा संख्या 38 जून 26, 2011 को भा. दं. सं. 447, 397 एवं एससीएसटी एक्ट 3(1)(1), 3(1)(3) में दर्ज किया गया। जाँच अधिकारी ने तहसीलदार के साथ मिलकर कार्यवाही के लिए सकारात्मक रूख अखतियार किया। तहसीलदार ने मौके पर जाब्ता भेजा। जून 29, 2011 को तहसीलदार के द्वारा खेत की जमीन को दिलाकर सीमा ज्ञान करवाने का आदेश प्रार्थी के पास आ गया।

यदि जाँच अधिकारी को यह लगता है कि दर्ज कराया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत है तो वह केस को खारिज करने की प्रार्थना योग्य मजिस्ट्रेट से करता है। इस प्रार्थना में वे सारे आधार स्पष्ट लिखे जाते हैं जिनके कारण केस की जानकारी को गलत माना गया है। दं. प्र. सं. की धारा 173 के तहत केस खारिज होता है। गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों दण्डों का प्रावधान है। [भा. दं. सं. धारा 182]

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी उसकी सत्यता पर प्रश्न चिह्न लगाती है। देरी का कारण स्पष्ट होने की जरूरत है। दर्ज होने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति योग्य मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजनी होती है। इसमें देरी भी केस को कमजोर बनाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उपयोग कोर्ट में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में नहीं हो सकता। तथ्यों को स्थापित करने के लिए सहयोगी साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग हो सकता है।

अपराध की मौखिक सूचना देने पर वह पुलिस द्वारा लिखित रूप में दर्ज की जाती है और पढ़कर सुनाई जानी चाहिए जिससे सूचना देने वाला सन्तुष्ट हो कि उसकी सूचना सही तरीके से लिखी गई है। यदि लिखी गई सूचना कहीं भी गलत

गाँव में अक्सर अपराध घटित होने के बाद सामाजिक पंचायतें दोनों पक्षों में समझौता करवाने का प्रयास करती हैं जिसमें दो से पाँच दिन लग जाते हैं। यदि मामला समझौते से नहीं निपट पाता है तो पुलिस को इसकी रिपोर्ट की जाती है लेकिन इस विलम्ब का असर अंतत: मामले की विवेचना पर पड़ता है जो उसकी गम्भीरता को कम कर देता है। यदि समझौता होता है तो अपराधी बिना सजा पाये मुक्त रहता है।

सूचना देने वाला व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट पर तभी हस्ताक्षर करे जब वह सन्तुष्ट हो जाए कि दर्ज की गई सूचना उसके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार है।

लगती है तो सूचना देने वाला पुलिस अधिकारी को उसमें बदलाव करने के लिए कह सकता है तथा अधिकारी को अपने हस्ताक्षर सहित एफ. आई. आर. में बदलाव करना होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट फोन पर दर्ज तभी करवाई जा सकती है जब सूचना देने वाला अपना पूरा परिचय व पता दे। सूचना देने वाले को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति नि:शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। [द. प्र. सं. 1973, धारा 154(2)]

रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी गंभीर किस्म का न होने के कारण या अपर्याप्त तथ्य होने पर पुलिस जाँच को आगे नहीं बढ़ा सकती है। ऐसी स्थिति में जाँच न करने का कारण दर्ज करना है व सूचना देने वाले को बताना है। [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 157]

यदि प्राथमिक सूचना के तौर पर मिली जानकारी संज्ञेय अपराध के होने को प्रस्थापित नहीं करती हो पुलिस अधिकारी अपराध के स्थल पर जाकर अतिरिक्त बयान व जानकारी लेता है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार बनती हैं।

यदि थाने में किसी असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो उसका विवरण थाने की जनरल डायरी में दर्ज किया जाता है तथा सूचना देने वाले व्यक्ति को योग्य मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। [दं. प्र. सं. धारा 155(2)] मजिस्ट्रेट का आर्डर मिलने पर ही पुलिस कर्मचारी द्वारा जाँच की जा सकती है। गिरफ्तारी के लिए भी वारंट की जरूरत होती है।

कई बार पीड़ित को ऐसा लगता है कि वह मामले को तथ्य से ज्यादा गम्भीर करके बताएगा, तभी आरोपी को सजा हो पाएगी। कभी भी तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर या तोड़-मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। गलत सूचना देना या पुलिस को गुमराह करना जुर्म होता है। बयान बिल्कुल स्पष्ट हों, यह बहुत जरूरी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुख्य अंश

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला ..... थाना ..... वर्ष ..... प्र. सू. रि. सं. ..... तिथि .....
2. अधिनियम ..... धाराएं .....
3. (क) अपराध घटित होने का दिन ..... समय अवधि .....
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त हुई दिनांक ..... समय अवधि .....
   (ग) सामान्य डायरी संदर्भ: प्रविष्टि संख्या ..... समय .....
4. सूचना का प्रकार : लिखित / मौखिक
5. घटित होने का स्थान : (क) थाने से फासले एवं से दिशा .....
   गश्त संख्या ..... (ख) पता ..... (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तो थाना का नाम ..... जिला .....
6. शिकायतकर्ता / सूचनाकार
   (क) नाम ..... (ख) पिता /पति का नाम .....
   (ग) जन्मतिथि / जन्मवर्ष ..... (घ) राष्ट्रीयता ..... (छ) पता .....
7. ज्ञात / संदेहास्पद / अज्ञात सिद्ध दोषियों का पूरा ब्योरा दीजिए
   (क) ..... (ख) .....
8. शिकायतकर्ता / सूचनाकार द्वारा रिपोर्ट विलम्ब से रिपोर्ट करने का कारण .....
9. चुराई गई / सम्बद्द सम्पत्ति का ब्यौरा दीजिए .....
10. चुराई गई / सम्बद्द सम्पति का मूल्य .....
11. मृत्यु की जांच रिपोर्ट / अप्राकृतिक मृत्यु केस संख्या, यदि कोई हो .....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट
13. की गई कार्यवाई : चूंकि उक्त रिपोर्ट मद संख्या 2 पर उल्लिखित धाराओं के अनुसार हुए अपराधों को उजागर करती है :
    (क) मामले को दर्ज किया तथा छानबीन शुरू कर दी
    (ख) नाम ..... रैंक ..... नं ..... पी. आई. एस. नं. ..... को जांच आरंभ करने का निर्देश दिया / जांच सौंपी गई।
    (ग) जांच / अन्वेषण करने की लिए इंकार कर दिया क्योंकि .....
    (घ) क्षेत्राधिकार वाले थाने ..... जिला ..... को हस्तान्तरित कर दिया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायकर्ता / सूचनाकार को पढ़कर सुनाई गई उसने ठीक माना कि इसे सही सही दर्ज किया गया है और इसकी एक प्रति शिकायकर्ता / सूचनाकार को निशुल्क दी गई।

थाना प्रभारी / कर्तव्य अधिकारी के हस्ताक्षर नाम ..... रैंक ..... संख्या .....

14. शिकायतकर्ता / सूचनाकार के हस्ताक्षर / निशान अंगूठा
15. न्यायालय को भेजने की तिथि व समय .....

थाने में रखे जाने वाले रिकॉर्ड

पुलिस थाने में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य रिकॉर्ड निम्न प्रकार हैं :

रोजनामचा – यह एक दैनिक रिकॉर्ड है जिसमें रात के 12 बजे से लेकर दूसरी रात के 12 बजे तक अर्थात 24 घण्टे का विवरण होता है। अपराध की कोई भी घटना जो उस थाना क्षेत्र में घटी हो वह इसमें दर्ज होगी। गिरफ्तारी का समय व कारण भी दर्ज होगा। इस रजिस्टर को कोई भी देख सकता है तथा जानकारी ले सकता है।

रोजनामचा खास अथवा केस डायरी – इस डायरी में प्रत्येक केस का सम्पूर्ण विवरण, तथ्यों का संकलन व जाँच की जानकारी होती है। डायरी में केस से संबंधित सभी रिपोर्ट (मेडिकल, प्राथमिकी या पोस्टमार्टम) भी लगी होती है।

अपराध रजिस्टर – इस रजिस्टर में थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों की जानकारी होती है। थाना क्षेत्र के नागरिक ने यदि अन्य स्थानों पर भी अपराध किए हैं तो उनकी संबंधित थाना उसकी जानकारी भेजते हैं जो इस रजिस्टर में दर्ज की जाती है। इससे अपराधी के द्वारा समस्त अपराधों का संकलन हो सकता है। इसमें अपराध का प्रकार व संख्या, थानावार अपराध, मुकदमा नम्बर, जाँचकर्ता, धारा जिसमें मामला दर्ज है, घटना की दिनांक, घटना स्थल, समय, फरियादी कौन है, बनाम (विपक्ष) क्या है, आदि की जानकारी होगी।

जमानत रजिस्टर – इस रजिस्टर में गिरफ्तारी व जमानत की पूरी जानकारी होती है।

रजिस्टर नंबर 8 – आदतन अपराधियों के लिए होता है। इसमें पुलिस प्रतिदिन पता (नोटिफिकेशन) करेगी कि वह क्या कर रहा है। इसमें अपराधी के द्वारा किए गए गुनाहों का पूरा ब्यौरा होगा। चरित्र सत्यापन करने के बाद सही पाये जाने पर ही निगरानी बंद की जाएगी। तब तक उसे थाने में उपस्थिति देकर बताना होगा कि वह कहाँ है। यह पन्ना दुराचारी के जिन्दा रहने तक खुला रहता है।

गिरफ्तारी

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी तब होती है जब किसी अपराध के सम्बन्ध में उसे पुलिस अधिकारी अथवा नागरिक द्वारा हिरासत में लिया जाता है या कार्य करने की उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है। जब तक वारंट या बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए नहीं रोक सकती।

वारंट वह लिखित फरमान होता है जो किसी अपराधी की गिरफ्तारी या उसके निवास स्थान की छानबीन के लिए पुलिस को कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। वारंट पर कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी की जवाबदारी है कि वह गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को वारंट का मजमून बताए व माँगे जाने पर दिखाए भी। गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी गैर जरूरी विलम्ब के बिना अदालत में पेश करना है।

वारंट दो प्रकार के होते हैं – जमानतीय व अजमानतीय। जमानतीय वारंट में अदालत के फरमान में सूचना होती है कि यदि आरोपी अदालत के सामने पेश होगा, यह आश्वासन देता है, तो उसे छोड़ा जा सकता है। जमानत की रकम व अदालत में हाजर होने का समय भी लिखा होता है [धारा 71, सी.आर.पी.सी.] अजमानतीय वारंट में यह सूचना नहीं लिखी होती है।

जाँच-पड़ताल के दौरान, पुलिस गवाह या संदिग्ध व्यक्ति जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, से सवाल पूछ सकती है। हिरासत में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से जब सवाल पूछते हैं तो इस प्रक्रिया को पूछताछ कहते हैं। मामले की जाँच कर रहा पुलिस अधिकारी तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी भी व्यक्ति को लिखित आदेश कर थाने में सवाल पूछने के लिए बुला सकता है। पुलिस की जाँच प्रक्रिया में गवाह सहायता देते हैं। प्रधान कांस्टेबल से कम ओहदे वाले पुलिस अधिकारी को उनसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है।

वारंट

- लिखित होना चाहिये
- अदालत के मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर हो
- अदालत की मोहर हो
- आरोपी का नाम, पता, अपराध स्पष्ट लिखा हो। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो गिरफ्तारी गैर कानूनी है

1973 की दण्ड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में संज्ञेय व असंज्ञेय अपराधों का विवरण है। संज्ञेय अपराध ऐसे संगीन जुर्म हैं जैसे डकैती, खून या बलात्कार, जिनमें पुलिस बिना वारंट (न्यायालय का आदेश) के गिरफ्तार कर सकती है। [दं. प्र. सं. 1973, धारा 2(सी)] असंज्ञेय अपराध वे गिने जाते हैं जिनमें जाँच आरंभ करने के लिए पुलिस को न्यायालय की अनुमति की जरूरत होती है। वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। डराना या धमकाना, बेइज्जती करना, मामूली चोट पहुँचाना वगैरह असंज्ञेय अपराध के उदाहरण हैं। असंज्ञेय अपराध निजी विवाद हैं जिनसे आम जनता का सरोकार नहीं होता।

पुलिस को बिना किसी वैध कारण किसी को पकड़कर थाने ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। आठ ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है – जब किसी व्यक्ति के पास ऐसा औजार मिलता है या ले जाते हुए पाया जाता है, जिसे सेंधमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि अर्गला, छड़, शीशा काटने की मशीन आदि और पुलिस के पूछने पर वह ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता; सम्पत्ति की चोरी; पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में अवरोध डालना; पुलिस हिरासत से भागना या भागने का प्रयास करना; तथा संज्ञेय अपराध जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी का संदेह होने पर।

यदि अदालत ने किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया है और वह व्यक्ति खुद को पुलिस को नहीं सौंपता है तो पुलिस उसकी तलाश कर सकती है और वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर जेल जाता और आता रहता है और जिसका नाम पुलिस की डायरी में दर्ज है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को आदतन अपराधी करार देती है। आदतन अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में एसा लगे कि वह सेना का भगौड़ा है तो पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

सिर्फ पुलिस ही गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक किसी भी घोषित अपराधी को या किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं जिसने उनकी नजरों के सामने संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती अपराध किया हो।

गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। गिरफ्तारी के समय जोर जबरदस्ती करना गैर कानूनी है। हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। हथकड़ी सिर्फ ऐसे कुख्यात और आदतन अपराधियों को लगाई जाती है जिनके भागने की आशंका हो। गिरफ्तारी के तुरन्त बाद पुलिस मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देती है और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी है। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है। आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे कहा जाता है कि वह अपने किसी परिचित को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। गिरफ्तारी के बारे में जिसे सूचित किया गया

उसका नाम, पता थाने में दर्ज किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना आरोपी के किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित को दी गई या नहीं, इसकी जाँच मजिस्ट्रेट करते हैं। [दं. प्र. सं. धारा 50]

महिला आरोपी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि गिरफ्तार करना जरूरी हो तो इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अनुमति जरूरी है। [दं. प्र. सं. धारा 46(4)] महिला की डॉक्टरी जाँच पंजीकृत महिला मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में ही की जानी है। [दं. प्र. सं. धारा 53(2)]

गिरफ्तार हो रहे व्यक्ति के अधिकार

- गिरफ्तारी के कारण की जानकारी दी जाय (मौलिक अधिकार, अनु. 22, दं. प्र. सं. धारा 50)
- गिरफ्तारी का वारंट देख सकते हैं (दं. प्र. सं. धारा 75)
- अपने पसन्द के वकील से मशवरा कर सकते हैं (मौलिक अधिकार अनु. 22)
- 24 घंटे के अन्दर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी (मौलिक अधिकार अनु. 22)
- जमानत का अधिकार है या नहीं इसकी जानकारी (दं. प्र. सं. धारा 50)

प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि पूछताछ के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार न हो अथवा प्रताड़ना न दी जाए। पूछताछ के दौरान पुलिस बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान ही न्यायालय में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार करना चाहता है तो वह यह सिर्फ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करे। मजिस्ट्रेट द्वारा भी अभियुक्त को यह बताया जाता है कि उसे दबाव में अपराध स्वीकार नहीं करना चाहिए।

चोरी के सामान या फर्जी दस्तावेज इत्यादि के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट के साथ मकान या दुकान की तलाशी ली जा सकती है। तलाशी और बरामदगी के वक्त आस-पास के निष्पक्ष प्रतिष्ठित व्यक्तियों का वहाँ होना जरूरी है। तलाशी के दौरान जब्त वस्तुओं जैसे रूपया, जेवर आदि का पंचनामा बनाया जाता है और उस पर दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर जरूरी हैं जो तलाशी के वक्त वहाँ मौजूद थे। [दं. प्र. सं. धारा 50(1)]

किसी महिला की तलाशी महिला ही ले सकती है और तलाशी के समय किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं की जा सकती। अगर तलाशी वाले स्थान पर कोई महिला निवास करती है तो उसे पहले बाहर निकल आने को कहना जरूरी है। उसके बाहर निकलने पर तलाशी की कार्यवाही की जा सकती है।

गिरफ्तार व्यक्ति जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तब तीन प्रकार की कार्यवाही हो सकती है।

जमानत पर छोड़ना | **पुलिस हिरासत में भेजना** | **न्यायिक हिरासत में भेजना**

जमानत

अपराध की कार्यवाही या सुनवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपी को जिन शर्तों पर छोड़ा जाता है, उसे जमानत कहते हैं। जमानत की जवाबदारी आरोपी स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति लेता है। शर्त यह होती है कि जब भी कहा जाए वह व्यक्ति अदालत या पुलिस के समक्ष उपस्थित होगा। जमानती अपराध में जमानत मिलना अधिकार होता है। गैर जमानती अपराध में भी जमानत मिल सकती है पर अधिकार के रूप में नहीं। गैर जमानती अपराध की जमानत पुलिस नहीं कर सकती। जमानत का आवेदन मजिस्ट्रेट के यहाँ देना होता है। जमानत की अर्जी का उद्देश्य इस बात का विश्वास दिलाना है कि आरोपी भागेगा नहीं व जमानत की शर्तों का पालन करेगा। जमानत की अर्जी में आरोपी का नाम व गिरफ्तारी की तारीख, जुर्म का प्रकार, आरोपी का पता – वे उस पते पर कितने सालों से रह रहे हैं तथा परिवार का संक्षिप्त विवरण, मकान खुद का है, पिता का या किराए का, मकान किराए से है तो मकान मालिक का संक्षिप्त विवरण, काम का स्थल, आरोपी वहाँ कितने सालों से काम कर रहा है तथा इससे पहले कभी गिरफ्तारी हुई है जैसी विगतें होती हैं। आरोपी अपने बारे में अन्य कोई जानकारी जैसे समुदाय, लोगों में पहचान वगैरा बताना चाहता है तो बता सकता है। यह अर्जी अदालत में पहली पेशी के दिन जज को एक सादे कागज पर लिखकर दी जाती है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट अपने विवेक से जमानत पर छोड़ने या न छोड़ने का फैसला लेते हैं। कुछ अपराध जिनमें मृत्यु दण्ड या आजीवन जेल की सजा दी जा सकती है, इनमें न्यायालय भी जमानत नहीं देती है। (सम्पूर्ण सूची के लिए दं. प्र. सं. 1973 देखें) गैर जमानती अपराध में सुनवाई के खत्म हो जाने तक भी आरोपी को जेल में रखा जा सकता है। महिला, सोलह साल से कम उम्र के बच्चे व बीमार व्यक्तियों को, उन पर मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध के आरोपी होने पर भी जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

जमानत की दरखास्त में आरोपी अपनी नौकरी चली जाने की सम्भावना या उस पर निर्भर परिवार की मुश्किलों का उल्लेख कर सकता है।

जमानत का मतलब बरी होना नहीं है। जमानत पर छूटने के बाद ~~चन्दि~~

सत्यमेव जयते

जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है जिससे गिरफ्तारी की स्थिति में उसे तुरन्त जमानत पर छोड़ दिया जाए। अग्रिम जमानत का आदेश होने पर मजिस्ट्रेट भी जमानती वारंट जारी करते हैं।

गवाहों को डराया - धमकाया, बहकाया या सबूतों के साथ छेड़-छाड़ की जाती है तो जमानत रद्द हो सकती है।

आरोपी चाहे तो बार-बार जमानत की अर्जी लगा सकता है। जिन अपराधों की सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल का कारावास है, उनमें जाँच या आरोप-पत्र 90 दिन के अन्दर न होने से आरोपी जमानत का हकदार होता है। बाकी अपराधों के लिए जाँच व आरोप-पत्र 60 दिन में पूरी न होने पर आरोपी जमानत का हकदार होता है।

जमानती अपराध में पुलिस ही आरोपी को जमानत लेकर छोड़ सकती है। आरोपी का रिश्तेदार या जान-पहचान वाला व्यक्ति अपनी जमानत पर आरोपी को छोड़ने की जिम्मेदारी लेता है। जमानत की शर्त भंग करने पर जमानत जब्त की जाती है और जमानतदार को बाण्ड की रकम सरकार को देनी पड़ती है।

यदि आरोपी मुकदमा चलाने की अवधि में हिरासत में है और अपराध में निर्धारित की गई सजा की आधी अवधि काट चुका है तो उसे निजी बाण्ड पर छोड़ना जरूरी है।

प्रतिभूति बंध पत्र ऐसे जमानतदार द्वारा प्रस्तुत की जाती है जिसमें अभियुक्त को अदालत में हाजिर करने की क्षमता, नियंत्रण और योग्यता हो या जो जमानत नामे की रकम अदालत को अदा कर सके। साथ में हलफनामे (सरकारी दस्तावेज) में जमानतदार ऐसे तथ्य प्रस्तुत करता है जिससे आरोपी पर उसके प्रभाव की पुष्टि हो। इस दस्तावेज में जमानतदार की पहचान (पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पत्र या कार्यालय पहचान पत्र की प्रति) तथा आर्थिक स्थिति (आय का विवरण, वेतन प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि) का सबूत शामिल होता है।

यदि व्यक्ति गरीब हो (एक हफ्ते में जमानतदार न पेश कर सके) तो पुलिस या अदालत अपनी राय से अभियुक्त को मुचलके पर छोड़ सकते हैं जो उस व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन है।

जमानत की राशि बहुत अधिक नहीं हो सकती है। राशि निर्धारण में अपराध के साथ-साथ अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। जमानत की राशि अधिक लगे तो अभियुक्त उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में राशि कम करने के लिए अपील कर सकता है। जमानत देते समय कोई भी राशि जमा नहीं करनी पड़ती।

पुलिस हिरासत (रिमांड)	न्यायिक हिरासत (जुडिशियल कस्टडी)
आरोपी को अदालत में पेश करते समय पूछताछ जारी रखने के लिए पुलिस आरोपी को अपनी हिरासत में रखने की माँग कर सकती है। आरोपी लॉक–अप में ही रहता है। आम तौर पर यह माँग पुलिस द्वारा की जाती है ताकि पूछताछ करके अपराध की छानबीन में मदद मिल सके। कोर्ट की लिखित स्वीकृति के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को पुन: पुलिस थाने में ले जाया जाता है। पुलिस हिरासत में 15 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता।	आरोपी को कोर्ट के संरक्षण में जेल में रखा जाता है और कार्यवाही के दौरान उसे वहीं से पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस आरोपी से पूछताछ नहीं कर सकती। न्यायिक हिरासत एक समय में सिर्फ 15 दिन के लिए हो सकती है। हिरासत को बढ़ाना हो तो बंदी को शारीरिक रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके कोर्ट का आदेश फिर से लेना होता है।

उत्पीड़न

अपराधों की तहकीकात व स्वीकारोक्ति करवाने के नाम पर कई बार आवेदकों, शिकायतकर्त्ताओं और सूचना देने वालों को यातना का शिकार होना पड़ता है। हिरासत में बलात्कार, छेड़छाड़ और विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाएँ व लड़कियाँ बनती हैं। ये इंसान की प्रतिष्ठा पर आघात हैं। समाज के गरीब और कमजोर तबकों के लोग ही ज्यादा उत्पीड़न का शिकार बनते हैं। उत्पीड़न किसी खास मकसद के लिए राज्य प्राधिकरणों द्वारा या उनकी सहमति से इरादतन किया जाने वाला तीव्र शारीरिक या मानसिक पीड़ा है।

शारीरिक उत्पीड़न के समान तरीकों में मारना, बिजली के झटके देना, डुबकी लगवाना, श्वासावरोधन, जलाना, बलात्कार और यौन आक्रमण सम्मिलित हैं। मानसिक उत्पीड़न के सामान्य तरीकों में अलगाव, धमकियाँ, अपमान, बनावटी फांसियाँ और औरों के उत्पीड़न का प्रत्यक्षदर्शी बनाना शामिल हैं। दर्द से ज्यादा उत्पीड़न के मानसिक प्रभाव लम्बे समय तक पीड़ित व उसके परिवार पर दिखते हैं।

भारत के संविधान में हर व्यक्ति को पुलिस व अन्य शासकीय अभिकरणों द्वारा दुर्व्यवहार और यातना से सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 21 में जीवन व निजी स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अधिकार सुरक्षित है। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।

डॉक्टरी जाँच गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है जिसका प्रयोग वह मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर या हिरासत में किसी भी समय कर सकता है। सब-इन्सपेक्टर से ऊँचे पद के किसी भी पुलिस अधिकारी के निवेदन पर आरोपी की डॉक्टरी जाँच पंजीकृत मेडिकल ऑफिसर से कराई जा सकती है यदि जाँच कराने का पुख्ता आधार हो।

उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति की तत्काल चिकित्सकीय जाँच जरूरी है जिससे सही चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित हो सके। साथ ही आगे की कार्यवाही के लिए घावों का अंदरूनी व बाहरी स्वभाव तथा उनकी अवधि का लिखित प्रमाण मिल सके। यह जरूरी है कि पीड़ित दोषी व घटना की जगह का भी स्पष्ट उल्लेख करे। चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट की आधिकारिक प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।

मानव अधिकार आयोग मनुष्य के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। पुलिस की ज्यादती या अन्य किन्हीं कारणों से मनुष्य के मूल अधिकारों का हनन अपराध की श्रेणी में आता है। मानव अधिकार आयोग में ऐसी घटना की शिकायत दर्ज की जा सकती है जिस पर आयोग न्यायोचित निर्णय लेता है।

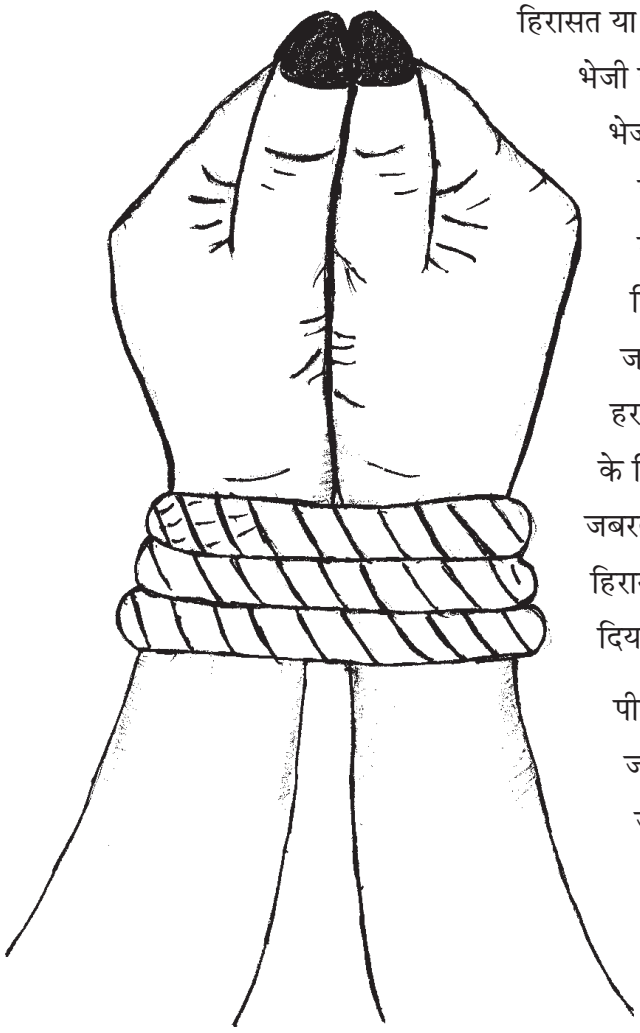

हिरासत या जेल में हुए मौत की सूचना 24 घंटे के अंदर आयोग को भेजी जानी चाहिए। यदि मृत्यु की सूचना आयोग को नहीं भेजी जाती है तो यह समझा जाएगा कि प्राधिकारी मृत्यु से जुड़े तथ्यों को छुपा रहे हैं। मृत्यु की सूचना तुरंत दी गई उसे सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि शव-परीक्षण की वीडियो फिल्म उतारी जाएगी और उसे आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हर राज्य के पुलिस मुख्यालय में मानव अधिकार सेल बनाने के निर्देश हैं। यह भी निर्देश है कि सूचना देने वाले को जबरदस्ती अपना नाम व पता बताने को न कहा जाए। हिरासत में हिंसा के शिकार व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।

पीड़ित द्वारा घटना के वक्त पहने गए कपड़ों को अदालती जाँच और रासायनिक विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होना भी जरूरी है। यदि शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत का प्रावधान है। पुलिस हवालात में हुए उत्पीड़न के लिए न्यायालय में

निजी शिकायत दर्ज कराना लाभप्रद होता है। संबंधित उच्च और उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की जा सकती है। रिट याचिका तब दायर की जाती है जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। याचिका दर्ज करने पर यदि न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुए होने को महसूस करती है तो वह संबंधित प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करने का या अन्य निर्देश दे सकती है। याचिका एक साधारण पत्र के रूप में हो सकती है।

उत्पीड़न के शिकार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले हैं। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि हर गैर कानूनी कैद चाहे कितनी भी अवधि के लिए हो, और हिरासत में हुई हिंसा, चाहे कितनी भी मात्रा या विस्तार में हो, दण्डनीय है। (सूबे सिंह बनाम हरियाणा और अन्य राज्य, ए आई आर 2006 एस सी 1117) जब धमकियाँ प्राधिकरण के किसी व्यक्ति की तरफ से आती हैं और वो भी किसी पुलिस अफसर की तरफ से, तो उससे होने वाला मानसिक उत्पीड़न और भी अधिक क्षतिपूर्ण होता है। (अरविंदर सिंह बग्गा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1995 एस सी 117) जब राज्य या उसका कोई सेवक अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करते हुए मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो पीड़ित व्यक्ति संविधान के धारा 32 और 226 के अंतर्गत आने वाले सामाजिक कानून में सुधार का सहारा लेकर मौलिक अधिकार को लागू करवाने का दावा कर सकता है। (श्रीमती नीलबती बेहेरा / ललिता बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य ए आई आर 1983 एस सी 1960)

आभार : पिपुल्स वॉच द्वारा प्रकाशित 'हैन्डबुक ऑन टोरचर'

हिरासत में हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने पुलिस व सरकार के विभागों को निम्न निर्देश दिए हैं। (डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 610)

- किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले या पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मियों को सही, स्पष्ट दिखाई देने वाले पहचान-चिह्न और नाम-पट्टी लगाना जरूरी है। जो पुलिसकर्मी गिरफ्तार व्यक्ति की पूछताछ कर रहे हों, उनका पूरा ब्यौरा एक रजिस्टर में दर्ज होना आवश्यक है।
- किसी को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का ज्ञापन (मेमो ऑफ अरेस्ट) बनाना आवश्यक है। इस पर कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह गवाह या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या फिर उस इलाके का कोई जाना-माना व्यक्ति। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। गिरफ्तारी की तारीख व समय दर्ज होना आवश्यक है।
- गिरफ्तार या पूछताछ के लिए किसी भी प्रकार की हिरासत में रखे गए व्यक्ति को हक है कि उसके किसी एक शुभचिंतक, परिवार के सदस्य, मित्र या अन्य पहचान वाले को तुरन्त सूचना दी जाए। यदि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य या मित्र उस जिला या शहर के बाहर रहते हों, तो यह सूचना, गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटों के अन्दर, तार द्वारा पहुँचानी आवश्यक है। तार जिला कानूनी सहायता केन्द्र और संबंधित थाने द्वारा दी जाएगी। गिरफ्तारी के समय ही गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताया जाना आवश्यक है कि उसे अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचना भिजवाने का अधिकार है। जिस जगह गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जाएगा, वहाँ उसका नाम व सूचित किए गए व्यक्ति का नाम, इत्यादि सूचना रोजनामचे (डायरी) में दर्ज होनी चाहिए। जिन पुलिस कर्मियों की हिरासत में उस व्यक्ति को रखा जा रहा है, उनके नाम और अन्य जानकारी भी दर्ज होने चाहिए। ये निर्देश प्रत्येक राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) को भेजे गए हैं। देश के हर थाने में ये निर्देश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना अनिवार्य है। इन निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही होगी। इनका पालन न करना उच्चतम न्यायालय की अवमानना समझी जाएगी जिसके लिए कैद और जुर्माना हो सकता है। शिकायत करने वाले व्यक्ति अवमानना की अर्जी अपने राज्य के उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में दे सकते हैं।
- यदि गिरफ्तार व्यक्ति चाहे तो गिरफ्तारी के समय उसकी शारीरिक जाँच हो सकती है। यदि उसके शरीर पर छोटी या बड़ी चोटें हों, तो उन्हें उसी वक्त दर्ज किया जाना चाहिए। जाँच के बाद निरीक्षण मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति व गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस मेमो की एक प्रति (कॉपी) गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।
- हिरासत में रखने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति की हर 48 घंटों पर डॉक्टरी जाँच होनी चाहिए। जाँच करने वाला डॉक्टर प्रशिक्षित होना चाहिए और राज्य के स्वास्थ्य निर्देशक (डायरेक्टर हेल्थ

सर्विसेज) द्वारा चुनी पैनल पर होना चाहिए। हर राज्य के स्वास्थ्य निर्देशक को डॉक्टरों की यह सूची (पैनल) तैयार करनी होगी।

- गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी के अरेस्ट मेमो इत्यादि सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ इलाका मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। मजिस्ट्रेट के यहाँ यह रिकॉर्ड रखा जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को यह हक है कि वह पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिल सके। पूछताछ के पूरे समय वकील का होना जरूरी नहीं है।
- हर जिले व राज्य के प्रमुख कार्यालयों में एक कन्ट्रोल रूम का प्रावधान होगा। किसी भी गिरफ्तारी के 12 घंटों के अन्दर इस कन्ट्रोल रूम को गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। यह सूचना कन्ट्रोल रूम के किसी साफ दिखने वाले सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर लगाई जानी चाहिए।

दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या करें

- प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाते समय पूरी, सही व तथ्यात्मक जानकारी देने में पीड़ित की मदद कर सकते हैं। पीड़ित का मनोबल इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं कि वह किसी प्रकार का दबाव व जल्दबाजी महसूस न करें।
- सुनिश्चित करें कि हस्ताक्षर से पहले पीड़ित को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जाए व नि:शुल्क प्रति दी जाए।
- सुनिश्चित कर सकते हैं कि पुलिस की जाँच सही प्रकार से हो। मामले की पुलिस जाँच की सम्पूर्ण अवधि के दौरान पीड़ित तथा गवाहों के सतत् सम्पर्क में रहें। पीड़ित तथा गवाहों को शांत रहने व सोच समझकर जवाब देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्पष्ट और सही बोलने का प्रयास करें।
- अपने कार्यक्षेत्र में गिरफ्तारी, पूछताछ, जमानत संबंधी अधिकार व प्रक्रिया की समझ बनाएँ जिससे एक गरीब, सत्ताविहीन व्यक्ति इन परिस्थितियों का सामना हौंसले से कर सके।
- जाँच की समयावधि पर नजर रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इनसे जमानत के अधिकार का जुड़ाव है। जमानत के लिए हमेशा वकील की जरूरत होती है, इस अवधारणा का खण्डन करने का यथासम्भव प्रयास करें।

बलात्कार एक गम्भीरतम अपराध है

बलात्कार पीड़िता को न्याय व सुरक्षा दिलाने के हर संभव प्रयास करें। महिला के साथ जबरदस्ती यौनाचार या बलात्कार की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में दी गई है।

- पुरुष द्वारा अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध; पत्नी की इच्छा के विरूद्ध या जबरदस्ती सहमति लेकर यौनाचार तथा पागल महिला या ऐसी महिला जिसने नशे में सहमति दी है के साथ यौनाचार भी बलात्कार गिने जाते हैं।
- पुलिस हिरासत में महिला के साथ यौनाचार होने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(ए) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी किसी महिला की दबाव पूर्ण सहमति से यौनाचार करेगा तो 376(बी) के तहत दर्ज होगा। यदि डॉक्टर या अस्पताल कर्मचारी मरीज या उसके परिवार की किसी महिला से यौनाचार करता है तो धारा 376(डी) में दर्ज होगा। 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ यौनाचार धारा 376 (एफ) में तथा सामूहिक बलात्कार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(जी) में दर्ज होगा। इन सभी में 10 वर्ष का या आजीवन कारावास भी हो सकता है।

बलात्कार के मामले में यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पीड़िता कपड़े नहीं बदलें। उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि चिकित्सकीय परीक्षण जरूरी नहीं है, महिला की घोषणा जरूरी है। फिर भी बलात्कार के मामलों में शीघ्र चिकित्सकीय परीक्षण मामले को मजबूती प्रदान करता है। चिकित्सकीय परीक्षण से घटना का विवरण, महिला द्वारा विरोध का तरीका आदि कई चीजें जख्मों के विवरण तथा अन्य सबूतों से स्पष्ट हो जाती हैं।

बलात्कार पीड़िता को अत्यधिक संवेदनशीलता की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार से उनके आत्म सम्मान व गरिमा का और हनन न हो। उनकी पुनर्वसन के लिए भी विशेष प्रयास जरूरी हैं।

न्याय के लिए संगठक कार्य की भूमिका

संगठक कार्यवाही पीड़ित पक्ष को हौंसला देती है व समाज तथा सत्ताधारी आरोपी के दबाव को निष्फल कर सकती है। सही जाँच, राहत व मुआवजे के लिए प्रयत्न को मजबूती मिलती है। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है।

जोधपुर के ब्लॉक बालेसर के 54 मील हाइवे पर गुमानाराम मेघवाल नाई की दुकान पर बाल कटाने के लिए बैठा। नाई ने बातों ही बातों में उनकी जाति पूछी। उनके दलित होने का पता लगा तो नाई ने बाल काटने से मना कर दिया, धक्का देकर दुकान से बाहर निकालकर मारपीट करने लगा और कहने लगा कि एक दलित जाति का होकर मेरी दुकान में बाल कटाने के लिए आ गया।

घटना के तत्काल बाद दलित अधिकार अभियान के नेतृत्व में करीब 400 लोगों ने घटना स्थल पर सभा कर घटना की निंदा की। पुलिस से बातचीत कर उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। समस्त तथ्यों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी से मिले। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश हुआ और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पीड़ित परिवार की सुरक्षा एवं मुआवजे के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा गया। नवम्बर 24, 2011 को सेशन कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई – भा. दं. प्र. धारा 323 के तहत 6 माह की सजा व एससी/एसटी (अत्याचार निवारण)अधिनियम 3(1)(3) में 6 माह की सजा।

दिसम्बर 6, 2010 को सुबह करीब 9 बजे गाँव खण्डप निवासी मादाराम मेघवाल (पुलिस थाना समदड़ी, जिला बाड़मेर) अपनी बकरी चराने के लिए जा रहा था कि अर्थण्डी के रामचन्द्र पुरोहित की टैक्सी ने उसकी एक बकरी को टक्कर मार दी। मादाराम के विरोध करने पर रामचन्द्र ने उसी गाँव के अपने दोस्त विरेन्द्र सिंह को बुला लिया। मादाराम के साथ हॉकी से मारपीट की। उसके बाएँ हाथ की हड्डी तीन जगह से टूटी व पसलियों तथा पेट में अन्दरूनी चोटें आईं। जोधपुर के अस्पताल में दिसम्बर 17 रात 11 बजे तक इलाज चला। फिर मादाराम ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने भा. दं. सं. की धाराएँ 279, 323 व एससी एसटी एक्ट 3(1)(10) में मामला दर्ज किया। मादाराम के मौत की खबर दिसम्बर 18 को जोधपुर में दलित संगठनों को मिली।

संगठन के द्वारा शवगृह के सामने प्रदर्शित विरोध के कारण बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक ने मामले को सही दर्ज नहीं कर लापरवाही बरतने वाले थानेदार को निलम्बित किया। खण्डप गाँव में पुलिस चौकी लगाई एवं आरोपियों को हिरासत में लिया। मारपीट में प्रयुक्त हॉकी को बरामद किया व उस टैक्सी को भी जब्त किया।

इसी बीच सही चालान नहीं होने का पता चलने पर कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर से दो बार दबाव देकर जाँच बदलवायी गई। बाद में आईपीसी धारा 279, 323, 302 व एससी एसटी एक्ट 3(1)(10), 3(2)(5) धाराएँ जोड़ते हुए दोनों को हिरासत में लेकर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।

दो बार बालोतरा कोर्ट में आरोपियों की जमानत खारिज करवायी गई। एक बार राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत खारिज करवायी गई। राहत राशि स्वीकृत कराने हेतु भी धरने का प्रयोग करना पड़ा। राहत राशि 50 हजार रूपये ही स्वीकृत हुई जो नियमानुसार कम थी। राशि को बढ़ाने हेतु अध्यक्ष विधिक सेवा समिति, जिला बाड़मेर तथा कलक्टर से मिलने से एक लाख की राहत राशि दी गई। मुल्जिमान की जमानत मिलने पर गाँव में हो हल्ला करने की बात पुलिस व कोर्ट को बतायी गई व उन्हें पाबन्द करवाया गया।

जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के सेखाला गाँव की निवासी श्रीमती सोनू देवी की ढाणी नेशनल हाईवे के निकट थी। 28 अगस्त को दिन के 12 बजे वो घर के सामने चर रही बकरी का दूध लेने के लिए घर से निकली ही थी कि सामने से आ रही गाड़ी उनके पास आकर रूकी। वे कुछ समझ पातीं उससे पहले उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया। वे चिल्लाईं तो आस-पड़ौस के लोगों ने उनकी ओर देखा और सहायता के लिए दौड़े लेकिन तब तक गाड़ी रवाना हो चुकी थी। वे अपने स्तर पर ही लड़ने लगी। गाड़ी करीब 2 किलोमीटर आगे निकल चुकी। रास्ते में लोगों ने गाड़ी में चल रही उठापटक को देखा तो वे गाड़ी लेकर पीछे दौड़े। गाड़ी का पीछा होते देख आरोपी ने पीड़िता को रोड पर गाड़ी में से धक्का देकर गिरा दिया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह रेत में जा धंसी।

पीछे से आई गाड़ी के लोगों ने उसको पकड़ा। पीड़िता बेहोस हो चुकी थी। लोग पीड़िता को इलाज के लिए बालेसर लाये और वहाँ से उसे जोधपुर भेजा गया। आरोपी की पहुँच के कारण पीड़िता को रात के करीब 12 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें कहा गया कि वे ठीक हैं और घर जा सकती हैं। जब कई लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध किया तो पीड़िता को पुन: भर्ती किया गया व सुबह होने तक उनके पेट के बच्चे को जन्म दिलाया गया क्योंकि डॉक्टरों ने जाँच करने पर पाया कि 8 माह के गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई थी। शिशु का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया तथा पीड़िता का इलाज चला। शिशु को मारने वाली धारा आईपीसी 316, 324, 326 व एसीएसटी एक्ट की धाराओं को जोड़कर केस पुन: दर्ज करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया। जोधपुर शवगृह के आगे रस्ता जाम करने पर हाथों हाथ गिरफ्तार किया गया।

दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या करें (शेष भाग)

- प्रथम सूचना रिपोर्ट व कोर्ट में दी जा रही गवाही में फर्क होना, संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता है व केस को कमजोर बनाता है। अत: पीड़ित व गवाहों को उनकी गवाही के लिए तैयार कराना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके द्वारा पहले दिए गए बयानों को याद कराया जाय व स्पष्ट रूप से बोल सकें, इसकी तैयारी कराई जानी जरूरी है।
- यदि सामने वाले पक्ष ने गलत मंसा से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है और इस आधार पर पुलिस कर्मियों द्वारा दलित व्यक्ति को सताया जा रहा हो, तो हाईकोर्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज करने की याचिका डाली जा सकती है।
- गम्भीर चोट होने पर पहले इलाज के लिए प्रयास करें। जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं लिखवाएँ। इलाज एफआईआर पर निर्भर नहीं है। तुरन्त राहत व सुरक्षा की आवश्यकता का उल्लेख जरूर करें।
- पीड़ित को उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो उपयुक्त आयोग जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज कराएँ। उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति को सही मनोवैज्ञानिक समर्थन व पुनर्निवेशन की अत्यंत जरूरत है जिससे वे मजबूत होकर यथासंभव अपनी पूरी जिन्दगी जी सकें।
- कई बार ऐसा होता है कि आरोपी गिरफ्तारी के बावजूद जमानत पर छूट जाता है और फिर डरा-धमकाकर या अन्य प्रकार से पीड़ित पर दबाव बनाता है। ऐसे समय में आरोपी की जमानत को खारिज करवाने का प्रयास व न्यायिक अभिरक्षा (जूडिशियल कस्टडी) की माँग एक योग्य कदम हो सकती है। इसके लिए पीड़ित के वकील को प्रस्थापित करने की जरूरत होगी कि - आरोपी को ऐसे कार्य की आदत है; पीड़ित व उसके परिवार से उसकी रंजिश है जिसके कारण वह बार-बार मारपीट करता है; या फिर छूटते ही आरोपी अशांति फैलाने का प्रयास करेगा। दलीलों व मामले के विवरण से तथ्यों के आधार पर, वकील द्वारा उसकी गम्भीरता व संवेदनशीलता सिद्ध की जा सकती है। इन प्रकार की कार्यवाहियों से

दलित समाज का मनोबल भी बढ़ता है और इस विश्वास को बढ़ावा मिलता है कि कानून का उपयोग दलित की रक्षा के लिए हो सकता है।

पारलू गाँव के निवासी (पचपदरा तहसील, बाड़मेर जिला) धर्मोदेवी व उनके पति चेलाराम मेघवाल के साथ उसी गाँव के शैलूसिंह ने रास्ता रोककर मारपीट की। मारपीट के दौरान वह धर्मोदेवी को गिराकर उनकी छाती पर बैठा। इस प्रकार की मारपीट इनके ही साथ वह पहले भी चार बार कर चुका था। घटनास्थल पर पुलिस के पहुँचने तक आरोपी फरार हो चुका था। गिरफ्तारी के बाद जमानत की पेशी में पीड़ित के वकील द्वारा आरोपी के खिलाफ पूर्व के 18 केसों की सूचि रखी गई। बार-बार मारपीट करने का कारण पीड़ित परिवार से रंजिश होना व आरोपी को कानून का डर नहीं होना बताया गया। यह बात भी प्रस्थापित की गई कि पीड़ित के पुत्र की शादी है जिसमें जमानत मिलते ही आरोपी अशांति पैदा कर सकता है। मारपीट के तरीके की गंभीरता को भी सामने रखा गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप आरोपी को जमानत नहीं मिली और वह एक हफ्ते न्यायिक अभिरक्षा में रहा।

- गिरफ्तारी के समय व्यक्तियों के अधिकारों की अपने कार्यक्षेत्र में सूचना दें। गिरफ्तारी के वक्त कैसा व्यवहार हो, इस बात की भी लोगों को जानकारी रहे। गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति उसका बलपूर्वक विरोध न करें, अपना नाम व पता बताने से इंकार न करें और न ही कोई गलत जानकारी दें।
- प्रत्येक गिरफ्तारी और व्यक्ति को रोककर रखे गए स्थान का ब्यौरा गिरफ्तारी के बारह घंटे के अंदर राज्य व जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष को भेजा जाना चाहिए। इस ब्यौरे को नियंत्रण कक्ष की सूचना पट्टी पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सभी कागजातों की प्रतियाँ स्थानीय क्षेत्र मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाती हैं। यदि पता चलता है कि किसी को पुलिस उठाकर ले गई और अन्य कोई जानकारी नहीं है, तो इनका सहारा लिया जा सकता है।
- कई बार चिकित्सा जाँच सबूत के रूप में उपयोग की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर सकता है कि पैर में पुराने जख्म के कारण चोरी करने के लिए दीवार पर चढ़कर घर की छत पर पहुँचना उनके लिए असंभव था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट असत्य घोषित होने के कई कारण हैं

1. राजीनामे के लिए पीड़ित पक्ष पर बनाया गया सामाजिक दबाव जो उन्हें अपने ही कथन को असत्य कहने के लिए मजबूर करता है। अपने समाज के लोग साथ नहीं देते और सत्ताधारी आरोपी का गाँव में रूतबा उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देता है।
2. कई बार लोग पुलिस व कचहरी के चक्कर में नहीं फँसना चाहते हैं। सत्ताधारी पक्ष का दबाव महसूस कर गवाही देने से मना कर देते हैं या गलत बात कहते हैं।
3. कई मामलों में कई प्रकार से दबाव बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी कराई जाती है और उस दौरान सबूतों को मिटाया या कमजोर बनाया जाता है।
4. कई बार पीड़ित पक्ष द्वारा ही कुछ असत्य बातें जोड़ी जाती हैं जो जाँच में टिक नहीं पातीं और पूरे केस को कमजोर बना देती हैं। इस प्रकार जो अत्याचार सही में हुआ हो, उसका भी न्याय नहीं हो पाता।

ये उदाहरण उपर्युक्त कारणों का पुष्टिकरण करते हैं।

बाड़मेर के कंवरली गाँव की रहने वाली 45 वर्षीय भील जाति की गरीब बेवा लहरों देवी के पास जायदाद के नाम पर चार बच्चे थे। ससुराल पक्ष में कोई सहयोग करने वाले नहीं होने के कारण वह अपने पिता के साथ रह रही थी। उसके अनुसार सात महीने पूर्व उसके साथ उसी के गाँव के इन्द्रसिंह द्वारा बलात्कार किया गया, जिसके कारण उसने गर्भ धारण किया। इन्द्रसिंह के यहाँ पीड़िता का बड़ा पुत्र बंधुवा मजदूरी किया करता था और इन्द्रसिंह का उसके घर आना-जाना था। पीड़िता के परिवार वालों ने बदनामी से बचने के लिए उसको घर में ही बंद कर रखा। उससे किसी को मिलने नहीं देते थे।

लहरों के मामले में कार्यवाही हुई तथा आरोपी को हिरासत में लिया गया। मामले की जाँच भी सही चल रही थी लेकिन इस बीच बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता को समाज ने घेर लिया तथा कहने लगे कि ऐसे मामले में आपने समाज से क्यों नहीं पूछा। पिता को समाज से बाहर कर दिया तथा ऐसा दबाव बनाया कि वो किसी को बताए बिना समाज के हवाले हो गया। लहरों देवी के पिता व बच्चों के बयान बदलवाए गए तथा पूरे समाज को उन्हें खाना भी खिलाना पड़ा। केस की फाईल पर केस को झूठा होना बताया गया। आरोपी बरी हो गया।

गाँव बेलवा (तहसील बालेसर, जिला जोधपुर) के निवासी बीजाराम के साथ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किए गए मजदूरी के भुगतान के लिए पोस्टमैन द्वारा मारपीट व बेइज्जती की गई। पहले पोस्टमैन ने उसे कागजात में कुछ सुधार की बात कहकर टाला। बीजाराम ग्राम सेवक के पास

गया। ग्राम सेवक ने कहा कि आपके पैसे आ चुके हैं तथा कागज भी ठीक हैं। अगली बार उसने पोस्टमैन से पैसे मांगे तो उसके सिर पर लाठी पड़ने लगी।

आस-पास के लोग व उसके रिश्तेदार उसे छुड़ाने के प्रयास करने लगे लेकिन उससे पहले उसके सिर पर से खून बहने लगा। आरोपी ने कहा कि वह मेरे घर पर आकर कुछ भी बोलेगा और हम सुनेंगे ऐसे बुरे दिन नहीं आए हैं। बीजाराम कह रहा था कि मैंने तो केवल पैसे मांगे हैं वह भी आपके घर से नहीं सरकारी पोस्ट ऑफिस होने के कारण। पोस्टमैन ने सभी को बताया कि वह मेरे घर में आकर गलत बोल रहा था तो उसके लिए उसे बाहर निकाला है। उसे चोट कैसे लगी ये मैं नहीं जानता।

पोस्ट ऑफिस के उच्चाधिकारियों को लिखित में सूचना दी गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही पीड़ित को कोई राहत व भुगतान मिला है। पीड़ित के केस को पहले वाले जाँच अधिकारी से हटाकर किसी और के पास भेज दिया गया था। जाँच के नाम पर कई दिनों तक फाइल अटकी रही, फिर केस को असत्य घोषित कर दिया गया। केस असत्य इसलिए घोषित हुआ क्योंकि गवाह ने पीड़ित के पक्ष में गवाही देने से मना कर दिया। गाँव में पीड़ित के पक्ष में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। उसकी चोटों के बारे में बताया कि वो शराब पीकर गिरा है।

गणपतराम खेती का काम करता है। उसने ट्यूबवैल से खेती की हुई है। खेत को समतल करने के लिए बिजली के खम्बे के टुकड़े को ट्रेक्टर के पीछे बांधकर उपयोग करते हैं। गणपतराम पड़ौस के सिकन्दर मुसलमान का खम्भा ले आया और अपने खेत में उपयोग करने के बाद उसे वापिस देने के लिए नहीं गया। ये बात कहने के लिए सिकन्दर व उसके साथी गणपत के घर आये व बहस करने लगे। सिकन्दर ने गणपत को थप्पड़ मार दिया। गणपत ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। आपस में इस प्रकार की घटना के बाद सिकन्दर ने फोन करके गाँव से अपने साथियों को बुला लिया। छः मोटर साइकिल पर व एक जीप में सवार होकर करीब सोलह लोग आ गए। उन्होंने मिलकर गणपत व उसकी पत्नी जमना को घर में घुसकर मारा।

पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया। तथ्य अन्वेषण टीम को मिली जानकारी के आधार पर बलात्कार होना सामने नहीं आया। गणपतराम रात भर गायब रहा। घर के सदस्यों का कहना था कि उसे अपहरण कर लिया गया है जबकि यहाँ पर भी ये सामने आया कि वो डर के मारे घर से भाग गया है। घर के मुखिया ने तथ्य अन्वेषण टीम को कहा कि वह गणपतराम के सम्पर्क में है। गणपतराम का पिता चैनाराम व अन्य सदस्य ये सुनकर आये कि उनके घर में कोई हमला हो गया है। वो खाली हाथ मोटर साईकिल पर आ रहे थे कि हमलावर उनके सामने से निकले। मोटर साईकिल वापस घुमाकर उन्होंने चैनाराम का पीछा किया। किसी एक बाईक वाले ने टक्कर मारकर उनको गिरा दिया तथा सभी ने उन तीनों पर भी हमला कर उन्हें घायल किया। 80 साल के चैनाराम को दाढ़ी के बाल पकड़कर घसीटा गया और जब ये

भरोसा हो गया कि वे अब मर गए हैं तो उनको वहीं पटक कर चले गए।

मामले को दबाने के लिए समाज के लोगों ने राजीनामा करवाया तथा पीड़ितों को दबाकर ये लिखवाया कि जो भी हुआ है वो तथ्यों से परे है। हम इस केस में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा जो बातें हमने लिखवाई हैं वो असत्य हैं।

जोधाराम मेघवाल चार भाईयों में सबसे बड़ा था। उनकी पत्नी नहीं हैं। उनकी एक 16 वर्षीय बच्ची व वृद्धा माँ साथ रहती हैं। पिता के काम पर जाने के बाद व दादी के घर पर नहीं होने के दौरान बच्ची घर पर अकेली रहती है। जोधाराम के अनुसार पड़ौस में कमरा किराये पर लेकर रहने वाले लड़के हमेशा लड़की को परेशान करते थे। जोधाराम की लड़कों से लड़ाई हुई। जोधाराम आदतन शराबी हैं तथा अत्यधिक पीने के बाद कई बार घर पर भी नहीं आते हैं। इस कारण लड़कों की हरकतें बढ़ गईं। दिसम्बर 24, 2011 को जोधाराम ने लड़कों से फिर लड़ाई की तथा उनके द्वारा काँच की परावर्तित किरणों, सीटी बजाने व मोबाईल पर भद्दे गाने बजाने की बात पर बहस की। लड़कों ने जोधाराम के साथ मारपीट की, धमकी दी तथा कहा कि हम लड़की को उठा भी सकते हैं। जोधाराम को डर लगा कि ये रात में मारपीट कर सकते हैं तो उन्होंने अपने भाई प्रभुराम को शहर से बुला लिया।

उनके भाई करीब 8 बजे रात में आए। दोनों भाई व लड़की छत पर अलाप जलाकर बैठ गए। देर रात लड़कों ने उनके घर में पत्थर फैंके। जोधाराम तनाव में आ गए तथा रात भर बैठा रहे। उनके भाई व लड़की सो गए। सुबह जोधाराम नीचे से केरोसिन का डिब्बा लाए तथा अपने आपको आग लगा दी। चिल्लाने की आवाज सुन उनके भाई व अन्य लोग आये तथा आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन तब तक वे काफी हद तक जल चुके थे। उन्हें जोधपुर के अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती किया। उन्होंने तथ्य अन्वेषण टीम को पूरे केस की जानकारी दी। ये ही बातें उन्होंने उपयुक्त सरकारी अधिकारियों को बताईं और बयान दिए। वे करीब 70 प्रतिशत जल चुके थे तथा ईलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था हड़ताल के कारण सही नहीं हो रही थी। आखिर दिसम्बर 31 को जोधाराम चल बसे। केस में कार्यवाही हो रही थी पर सामाजिक दबाव का पहाड़ आ गिरा।

केस को असत्य घोषित किया गया क्योंकि समाज के लोगों ने परिवार को सहयोग करने की बजाय उसे दबाया तथा पूरे परिवार से हस्ताक्षर करवाकर थाने में लिखित में राजीनामा दिया।

उन्नति – विकास शिक्षण संगठन एक अलाभकारी व गैर सरकारी संगठन है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 1990 से पंजीकृत हैं। संगठन का उद्देश्य है सामाजिक समावेश व लोकतांत्रिक अभिशासन को प्रोत्साहित करना ताकि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जाए जिससे वे विकास की मुख्य धारा व निर्णय प्रक्रियाओं में प्रभावी और निर्णयात्मक रूप से भागीदारी निभा सकें।

संगठन पश्चिमी भारत के नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं, स्थानीय अभिशासन के जनप्रतिनिधियों और सरकार के साथ मिलकर मुद्दा आधारित व नीतिगत शैक्षणिक सहयोग प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है। सहभागी शोध, लोक शिक्षण, पैरवी, क्षेत्र स्तरीय संघटन व बहुहिताधिकारियों के साथ क्रियान्वयन करना संघटन की मुख्य कार्यपद्धतियाँ हैं। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम स्थानीय स्तर से लेकर नीतिगत बदलाव हेतु वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें हमें कमजोर लोगों के संघर्ष से प्रेरणा व हमारे सहयोगियों से शक्ति मिलती हैं। वर्तमान में सभी गतिविधियाँ निम्नांकित कार्यक्रम केन्द्रों द्वारा आयोजित की जाती हैं :

1. सामाजिक समावेश व सशक्तिकरण

2. नागरिक नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अभिशासन

3. आपदा जोखिम घटाने के सामाजिक निर्धारक

क्षेत्रिय अनुभवों से प्राप्त सीख को समेकित कर उसे प्रकाशित किया जाता है तथा ज्ञान संसाधन केन्द्र के द्वारा विस्तृत रूप ये उसका आदान–प्रदान किया जाता है। हमारा प्रयास हैं कि सामुदायिक नेतृत्व, खासकर दलितों व महिलाओं के लिए अकादमी बनाएँ ताकि वे स्थानीय मुद्दों को प्रभावी रूप से उठा सकें।

सत्यमेव जयते

उन्नति
UNNATI

Empowered lives.
Resilient nations.

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1/200, आजाद सोसायटी, आंबावाड़ी
अहमदाबाद - 380 015
फोन : 079-26746145, 26733296
ई-मेल : **psu_unnati@unnati.org**

650, राधाकृष्णपुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास,
जोधपुर - 342 008
फोन : 0291-3204618
ई-मेल : jodhpur_unnati@unnati.org